लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र]

Tenth Session

सत्यमेव जयते

[खण्ड 38 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 27, मंगलवार, 31 मार्च, 1970/10 चैत्र, 1892 (शक)
No. 27, Tuesday, March 31, 1970/Chaitra 10, 1892 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
691. भारत में उपठेकों के लिये इक्सचेंज खोलना	Opening of Exchanges for subcontracts in India	..	1—2
692. नया कूच बिहार से वामनहाट और गितालदाह (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) तक की मीटरगेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Metre Gauge line to Broad Gauge Line from New Cooch Behar to Bamanhat and Gitaldah (NEF. Railway)	..	2—6
693. भारत-लंका रेलवे समन्वय समिति	Indo-Ceylon Railway Co-ordinating Committee	..	6—9
694. कागज के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of paper	..	9—16
695. आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम	Import Substitution Programme	..	16—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
696. बड़े औद्योगिक गृहों को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Industrial Licences to Big Business Houses	..	19
697. मध्यावधि चुनाव में हरिजनों को मताधिकार से वंचित करना	Harijans prevented from exercising voting Right during Mid Term Poll	..	19—20
698. टाटा और बिड़ला उद्योग समूहों के विस्तार का उनके लाभों पर प्रभाव	Effect of Expansion of Tata and Birla Industrial Houses on their profits	..	20

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
699. छोटी लाइन पर स्थित राम-बाग स्टेशन को बड़ी लाइन पर स्थित इलाहाबाद स्टेशन से जोड़ना	Linking of Rambagh Station (Narrow Gauge) with Allahabad Station (Broad Gauge) ..	20—21
700. पारादीप में रेलवे बस्ती के लिये निविदा का रद्द किया जाना	Cancellation of Tender for Railway Colony at Paradeep ..	21
701. पश्चिम बंगाल में उद्योगों में पूंजी निवेश में कमी	Decline in investment in Industries in West Bengal ..	21—22
702. दिल्ली की सीमापुरी, सीलम-पुर, तथा गांधीनगर बस्तियों में हाल्ट स्टेशन	Halt Stations at Seemapuri, Sealmpur and Gandhi Nagar Colonies in Delhi ..	22—23
703. रेलवे सम्पत्ति की चोरी रोकना	Check on Theft of Railway Property ..	23
704. नाथूराम मिर्धा बनाम गोबर्धन दास सोनी के मामले में उच्च-तम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement in case of Nathu Ram Mirdha *vs.* Goverdhan Das Soni ..	23—24
705. तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को दी गई विशेष वार्षिक वृद्धियां	Special Increments granted to Class III and Class IV Railway Employees ..	24
706. विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के मामले में पांच करोड़ रुपये तक की पूंजी वाले उद्योगों को लाइसेंस लेने से छूट	Exemption of industries upto a capital of Rs. 5 crores from obtaining licence, in case of Indian Citizens residing abroad ..	24—25
707. पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा रूरकेला इस्पात कारखाने का दौरा	Visit by West German Delegation to Rourkela Steel Plant ..	25
708. बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रूस से सप्लाई	Soviet Supplies for Bokaro Steel Plant ..	25—26
709. उम्मीदवार को 6 वर्ष के लिये अयोग्य ठहराने के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन	Amendment of Representation of the People Act regarding six year Disqualification of a candidate ..	26
710. मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी द्वारा दी गई कमीशन की राशि	Amount of Commission paid by M/s A. H. Wheeler and Co. ..	27—28
711. रेलवे चिकित्सा अधिकारी संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Railway Medical Officers' Union	28—29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
712. भारतीय रेलवे के प्रबन्ध कार्य में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	Representation to workers in the Management of Indian Railways ..	29
713. उत्तर प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र	Application for Industrial Licences from U. P. ..	29—30
714. टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर	Tannery and Footwear Corporation of India Ltd., Kanpur ..	30
715. झांसी-बम्बई तथा इलाहाबाद बम्बई-रेलवे लाइनों का विस्तार तथा सुधार	Extension and improvement of Jhansi-Bombay and Allahabad-Bombay Railway Lines ..	30
716. विभिन्न रेलवे जोनों में विद्युत चालित रेलगाड़ियां चलाना	Running of Electric Trains in various Railway Zones ..	31
717. इंडियन वेजीटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड तथा गोकक मिल्स के पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक	Remuneration of whole time Directors in Indian Vegetable Products Ltd. and Gokak Mills ..	31—32
718. बोकारो इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report on Expansion of Bokaro Steel Plant ..	32—33
719. रेलवे में ईंधन की खपत में मितव्ययिता के सुझाव	Suggestions for economy in Fuel consumption on Railways ..	33
720. भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल से कार्यालयों को हटा कर अन्यत्र ले जाना	Shifting of offices by Indian Chambers of Commerce out of West Bengal ..	33—34
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4526. हरियाणा और पंजाब में हाल में हुए आन्दोलन में घायल हुए रेलवे अधिकारी	Railway officials injured during recent agitation in Haryana and Punjab ..	34
4527. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 (ख) की व्याख्या	Interpretation of Section 19(B) of the Representation of the People Act, 1950 ..	34—35
4528. इन्जीनियरी सेना परीक्षाओं के लिये आयु - सीमा में छूट	Relaxation of age limit for Engineering Services Examinations ..	35

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4529. रूरकेला इस्पात कारखाने में खुदाई के लिये अधिक राशि का भुगतान किया जाना	Excess payment made for digging and Excavation at Rourkela Steel Plant	..	35—36
4530. भिलाई इस्पात कारखाने में इस्पात की चोरी के मामले	Theft cases of Steel in Bhilai Steel Plant		36—37
4531. रेलवे डाक्टरों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Railway Doctors		37—38
4532. फिल्म कम्पनियों की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी	Authorised and paid up Capital of Film Companies	..	38
4533. गुजरात का आर्थिक सर्वेक्षण	Economic Survey of Gujarat	..	38—39
4534. गुजरात में उद्योगों के लिये लाइसेंस	Licences for Industries in Gujarat		39—40
4535. गुजरात में औद्योगिक परि-योजनाएं	Industrial projects in Gujarat		40—41
4536. जहानाबाद रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) का विकास	Development of Jehanabad Railway Station (E. Rly.)	..	41—42
4537. गया नवादा तथा क्यूल भागलपुर सेक्शनों (पूर्व रेलवे) पर हावड़ा तक तेज रेल गाड़ियां चलाने की मांग	Demand for fast training upto Howrah on Gaya Nawadah and Kiul Bhagal-pur Sections (E. Rly.)		42
4538. पटना और जहानाबाद के बीच शटल सेवा को गया जंकशन तक बढ़ाना	Extension of shuttle service between Patna and Jehanabad upto Gaya Junction	..	42—43
4539. 9 मार्च, 1969 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों की बहाली	Re-instatement of Railway Employees who took part in 9th March, 1969 strike	..	43
4540. औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था सम्बन्धी दत्त समिति की सिफारिशें	Recommendations of Dutt Committee on Industrial Licensing	..	43—44
4541. देश में पिछड़े जिलों के लिये विकास योजनायें	Development schemes for backward dis-tricts in the country		44
4542. गुड़ का वायदा-बाजार	Forward trading in Gur	..	44—45
4544. मलयेशिया में बायलर प्लांट स्थापित करना	Setting up of Boiler Plants in Malyasia	..	45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
4545.	सरकारी क्षेत्र में एक केबल कारखाना स्थापित करना — Establishment of a cable factory in Public Sector ..	45—46
4546.	हरियाणा में मद्य-निषेध समाप्त करना — Scrapping of prohibition in Haryana	46
4547.	मद्य निषेध के फलस्वरूप राजस्थान को हुई हानि की प्रतिपूर्ति — Reimbursement of loss to Rajasthan incurred as a result of Prohibition ..	46—47
4548.	मैसूर कैमिकल्स मैनुफैक्चरर्स द्वारा अर्जित लाभ — Profits earned by Mysore Chemical Manufacturers ..	47
4549.	बिजली से चलने वाले उपकरणों तथा घरेलू सामान का परीक्षण करने के लिये केन्द्र — Centres for testing of Electrical Appliances and Household goods ..	47—48
4550.	दिल्ली में विकलांगों के पुनर्वास के बारे में हुआ सम्मेलन — Conference on rehabilitation of Handicapped held in Delhi ..	48
4551.	दोमोहनी से चंगराबांडा (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) तक रेलवे लाइन का पुनः बिछाया जाना — Relaying of railway line from Domohoni and Changrabandha (North East Frontier Railway) ..	49
4552.	ग्वालियर शिवपुरी रेल पटरी का चौड़ा किया जाना — Broadening of Gwalior Shivpuri Rail Track ..	49
4553.	भारत में गैर सरकारी रेलें — Private railways in India. ..	49—52
4555.	तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में रेलवे लाइनों का विस्तार — Expansion of railway lines in Rajasthan during Third Five Year Plan ..	52
4556.	तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय अभिकरण — Central Agency for acquiring technical know-how	52
4557.	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये अधिकारियों का स्थायीकरण — Confirmation of officers recruited through Union Public Service Commission ..	53
4558.	उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने सम्बन्धी लम्बित आवेदन पत्र — Pending applications for issue of licences for setting up industries in Orissa ..	53—54

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4559. मनीपुर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करना	Setting up of Public Sector Industries in Manipur ..	54
4560. मनीपुर में कम्पनियों का बन्द होना	Closure of Companies in Manipur ..	54—55
4561. मनीपुर में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Manipur ..	55
4562. आसाम में समवायों को औद्योगिक लाइसेंस देना	Issue of Industrial Licences to Companies in Assam ..	55
4563. हावड़ा पुल पर यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण हावड़ा स्टेशन पर इस्तेमाल न की जा सकी टिकटों का वापस किया गया मूल्य	Refunds granted for unused tickets at Howrah Station due to traffic Jam on Howrah Bridge ..	56
4564. वैगन निर्माताओं को दिये गये क्रयादेश	Orders placed with Wagon Builders ..	56
4565. सामाजिक अन्धविश्वासों को अवैध घोषित करने वाला विधेयक	Enactment for declaring social superstitions as unlawful ..	56—57
4566. गांधीवादी न्यास सिद्धान्तों के अधीन एकाधिकारी गृहों को लाना	Monopoly houses under Gandhian theory of trusteeship ..	57
4567. इलाहाबाद से लखनऊ तक मेल गाड़ी चलाना	Introduction of Mail Train from Allahabad to Lucknow ..	57
4570. आयुध कारखानों को इस्पात सामग्री की सप्लाई	Supply of Steel Materials to ordnance Factories ..	57—58
4571. कुछ औद्योगिक गृहों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया गया चन्दा तथा उनको दिये गये औद्योगिक लाइसेंस	Donations given by certain industrial Houses to political parties and industrial licences issued to them ..	58
4572. विधि मंत्रालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्राप्त पत्र	Receipt of letters in Hindi and English in Law Ministry ..	58
4573. दक्षिण रेलवे में वाणिज्य क्लर्कों की श्रेणी में कमी	Reduction in Commerical Clerks' category on Southern Railway ..	59
4574. छुट्टी रिजर्व में वाणिज्य क्लर्कों (दक्षिण रेलवे) की प्रतिशतता	Percentage of leave reserve Commercial Clerks (Southern Railway) ..	59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
4575.	पहले दर्जे के डिब्बे में कंडक्टर गार्ड के लिये स्थान	Seat for Conductor Guard in First Class compartment ..	60
4576.	मध्य रेलवे के कर्मचारियों को ओवर कोट सप्लाई न किया जाना	Non supply of over coats to Staff of Central Railway ..	60
4577.	कडकाबूर स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर ऊपरी पुल	Over Bridge at Kadakavur Station (Southern Railway)	60—61
4578.	वरकाला (दक्षिण रेलवे) में विश्राम गृहों का निर्माण	Construction of Retiring Rooms at Varkala (Southern Railway) ..	61
4579.	विरामगांम राजकोट और राजकोट विरावल (पश्चिम रेलवे) के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलना	Conversion of Metre gauge line to Broad Gauge between Viramgam Rajkot and Rajkot Veraval (Western Railway) ..	61—62
4580.	पश्चिम रेलवे में ओखा से पोरबन्दर तक ब्राडगेज लाइन	Broad Gauge line from Okha to Porbandar (Western Railway) ..	62
4581.	कोटनाथ रोड रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर ग्रामीणों द्वारा श्रमदान तथा रेल सुविधायें	Shramadan by Villagers at Kotnath Road Railway Station (Western Railway) and Train Facilities ..	62—63
4582.	विदेशी पूंजी विनियोजन बोर्ड	Foreign investment Board	63—64
4583.	गंगा नदी के जल से भूमि के कटाव के कारण मांसी जंक्शन को खतरा	Danger to Mansi Junction from erosion by River Ganga ..	64—65
4584.	विकलांगों तथा मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Crippled and Mentally Retarded Persons ..	65
4585.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा इसके आस पास के स्थान को सुन्दर रूप देना	Face lift to New Delhi Railway Station and its Surroundings ..	65
4586.	पूर्व रेलवे में राजगिर में पानी और बिजली की व्यवस्था तथा बखत्यारपुर से राजगिर तक चलने वाली गाड़ियों का देरी से चलना	Provision of water and electricity at Rajgir and late running of trains in Bakhtiyarpur to Rajgir (Eastern Railway) ..	66
4587.	फलीजाघाट रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) का विकास	Development of Paleza Ghat Railway Station (North Eastern Railway)	66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4588. हरसूद स्टेशन (मध्य रेलवे) पर प्रतीक्षालय तथा अन्य यात्री सुविधाएं प्रदान करना	Provision of waiting rooms and other passenger amenities at Harsud Station (Central Railway) ..	66—67
4589. मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये सहायता	Assistance for development of industries in Madhya Pradesh ..	67
4590. खेतरी परियोजना के खान-क्षेत्र को चिरावा रेलवे स्टेशन से मिलाना	Connecting mining site of Khetri Project with Chirawa Railway Station ..	67—68
4591. राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में डीजल इंजन से गाड़ियों को चलाना	Introduction of diesel locomotives in Rajasthan and Gujarat States	68
4592. बड़ौदा रेयन लिमिटेड के पूर्णकालीन निदेशक को पारिश्रमिक	Remuneration of whole time directors in Baroda Rayon Ltd. ..	68—69
4593. बम्बई आक्सीजन कार्पोरेशन लिमिटेड में पूर्णकालीन निदेशकों को परिश्रमिक	Remuneration of whole time Director in Bombay Oxygen Corporation Ltd.	69
4594. कागज के अत्यधिक बढ़ते मूल्यों के बारे में एक संसद सदस्य से पत्र	Letter from a M. P. regarding soaring prices of paper	70
4595. बांदा स्टेशन के तांगा स्टेण्ड पर कचरा डालना	Dumping of Garbage at Tonga Stand Banda Station ..	70
4596. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सामाजिक उद्देश्यों के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement made by Chairman H. S. L. on Social objectives of public Sector Undertakings ..	71
4597. राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये जिला स्तर पर कल्याण समिति की नियुक्ति	Appointment of Welfare committees at district level for welfare of Schedule Castes and Scheduled Tribes in Rajasthan	71
4598. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये सभी राज्यों में विधायकों की समिति की नियुक्ति	Appointment of Committees of Legislators in all States for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	71—72

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4599. राजस्थान और असम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के क्षात्रों को समय पर छात्र-वृत्तियां न देना	Non-payment of Scholarships in time to students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Rajasthan and Assam ..	72
4600. त्रिवेन्द्रम सेंट्रल (केरल) के स्टेशन मास्टर के वेतन-मान का पुनेरीक्षण	Revision of Scale of pay of Station Master, Trivandrum Central (Kerala) ..	72
4601. त्रिवेन्द्रम की जनता की शिकायतें	Grievances of Public of Trivandrum ..	72—73
4602. रुपसा से तालबन्द तक बड़ी लाइन तथा खड़गपुर और बम्बई के बीच रेल सम्बन्ध स्थापित करना	Broad gauge line from Rupsa Talband and rail link between Kharagpur and Bombay ..	73
4603. दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में जूनियर रिलीविंग असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टरों को स्थानापन्न अवसर	Officiating chance to junior relieving Assistant Station Masters, Delhi Division (Northern Railway)	74
4605. मोतिहारी स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर उपरिपुल	Overbridge at Motihari Station (North Eastern Railway)	74
4606. मेहासी (बिहार) में ओयस्टर बटन मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरी में नियुक्तियां	Appointment in Oyster Button Manufacturing Factory at Mehasi (Bihar) ..	75
4607 मेहासी (बिहार) में ओयस्टर बटन निर्माण उद्योग	Oyster Button Manufacturing industry at Mehasi (Bihar) ..	75
4608. भारत में तथा विदेशों में बिड़ला तथा टाटा की फर्में	Firms of Birlas and Tatas in India and abroad ..	75—76
4609. पंजाब में इस्पात की अत्यधिक कमी	Scarcity of steel in Punjab	76—77
4610. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में आई० सी० एस०/आई० ए० एस० अधिकारी	ICS/IAS Officers in Hindustan Steel Ltd. ..	77
4611. मजेरहाट रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे की सियालदह डिवीजन) के स्टेशन मास्टर तथा केबिन-मैन की मारपीट	Assault on Station Master and Cabin man of Majerhat Railway Station (Sealdah Division of Eastern Railway) ..	77—78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4612. चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines during Fourth Five Year Plan ..	78
4613. रेलवे अस्पतालों तथा औषधालयों में अनियमितताएं	Irregularities in Railway Hospitals and Dispensaries ..	78—79
4614. भुसावल इलाहाबाद यात्री गाड़ी से यात्रा कर रहे दो अमरीकनों की घातक दुर्घटना के बारे में जांच	Enquiry into fatal accident of two americans travelling by Bhusawal Allahabad Passenger Train ..	79
4615. पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में उद्योग	Industries in Pauri Garwal (U. P.) ..	80
4616. भारत के संविधान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद	Translation of constitution of India in Indian Languages ..	80
4617. इस्पात करखानों के लिये विदेशी सहायता	Foreign aid for Steel Plants in Public Sector ..	80—82
4618. वर्ष 1967-69 अवधि में लोक सभा तथा विधान सभाओं के अवैध घोषित किये गये चुनाव	Elections to Lok Sabha and State Assemblies set aside from 1967 to 1969 ..	82
4619. इस्पात कारखानों द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा	Foreign exchange Earned by Steel Plants ..	83
4620. रेलवे कर्मचारी संगठनों की संघों को श्रेणीवार मान्यता देने की मांग	Demands by Railway Employees' organisations for Recognition of unions Categorywise ..	83—84
4621. चौथी पंचवर्षीय योजना में पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ के लिये समाज कल्याण योजनाएं	Social Welfare Schemes for Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Chandigarh during Fourth Five Year Plan	84—85
4622. पूर्व रेलवे में अयोग्य कर्मचारियों को गार्ड के रूप में काम पर लगाना	Utilisation of unqualified staff as Guards on Eastern Railway ..	85—86
4623. अखिल भारतीय गार्ड परिषद, आबू रोड, ब्रांच (पश्चिम रेलवे)	All India Guards Council, Abu Road Branch (Western Railway) ..	86
4624. रेलवे संगचल कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजनायें	Incentive Schemes for Railway Running Staff ..	86—87
4625. इस्पात का उत्पादन	Production of Steel ..	87—88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4626.	वरिष्ठ निर्माण कार्य मिस्त्रियों (मध्य रेलवे) के वेतन को संरक्षण देना	Protection of pay of senior works Mistries (Central Railway) ..	88—89
4627.	मध्य रेलवे में निर्माण मिस्त्रियों (वर्क्स मिस्त्रियों) को सहायक स्थायी मार्ग निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करना	Absorption of work Mistries as Assistant permanent way inspectors (Central Railway) ..	89
4628.	मध्य रेलवे में वर्क-मिस्त्रियों की वरिष्ठता सूची	Seniority List of works Mistries on Central Railway ..	89
4629.	चुनाव लड़ने के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध	Restrictions imposed on Government Employees for contesting Elections ..	89—90
4630.	किशन गंज रेलवे कालोनी दिल्ली में कर्मचारियों के क्वार्टरों में सुविधायें	Facilities in staff quarters in Kishanganj Railway Colony, Delhi ..	90
4631.	सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि	Increase in Pension of Retired Railway Employees ..	90
4632.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को स्थायी रूप से रखना	Absorption of deputationists in HEC, Ranchi ..	91
4633.	आयकर विवरणियों के लिये अपील दायर करने के शुल्क से आय और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण पर व्यय	Income from Filing Fees for Income-tax returns and expense incurred on income tax appellate Tribunal ..	91
4634.	बच्चों के कल्याण के लिये संसाधन जुटाने के लिये करों पर उपकर	Cess on Taxes to raise Resources for Welfare on Children	92
4635.	भावनगर तारापुर के लिये बड़ी रेलवे लाइन	Broad-gauge Railway connection for Bhavnagar Tarapur ..	92
4636.	पश्चिमी रेलवे पर खान-पान की व्यवस्था करने वालों तथा पुस्तकें बेचने वाले अन्य व्यक्तियों को लाइसेंस	Licences to Caterers and others for selling books on Wertern Railway ..	92—93
4637.	मध्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा रोकने की व्यवस्था तथा उस पर हुआ व्यय	Machinery to check Ticketless Travelling and Expenditure incurred on its Maintenance on the Central Railway ..	93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4638. पूर्वोत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा रोकने की व्यवस्था तथा उस पर हुआ व्यय	Machinery to check ticketless Travelling and Expenditure incurred on its maintenance on the North Eastern Railway ..	94
4639. पूर्व रेलवे में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये व्यवस्था तथा उस पर हुआ व्यय	Machinery to check Ticketless Travelling and Expenditure on its Maintenance on the Eastern Railway ..	94—95
4640. बिना टिकट यात्रा (उत्तर रेलवे) को रोकने के लिये व्यवस्था और उस पर व्यय	Machinery to check ticketless Travelling and Expenditure incurred on its maintenance on the Northern Railway ..	95
4641. फिल्म कम्पनियों के निदेशक तथा शेयरधारी	Directors and Share-holders of film Companies ..	96
4642. रेलवे में मितव्ययता तथा कार्यकुशलता के बारे में अजमेर के वाणिज्यिक लिपिक एसोसियेशन द्वारा सुझाव	Suggestions by Commercial Clerks Association of Ajmer Re: Economy and Efficiency on Railways ..	96
4643. पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों में उसी स्थल पर दावों का निपटारा	On-the-spot Settlement of Claimsat certain Stations of Western Railway ..	97
4644. कुछ स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) पर 200 रुपये के दावों का निबटाया जाना	Settlement of Claims of Rs. 200/- at certain Stations (Western Railway) ..	98—99
4645. रेलवे में भर्ती के लिये अंग्रेजी तथा हिन्दी के समाचार पत्रों के विज्ञापन देना	Issue of Advertisement for recruitment in Railways in English and Hindi News papers ..	99
4646. हावड़ा डिवीजन (पूर्व रेलवे) के वाणिज्यिक क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of commercial clerks of Howrah Division (Eastern Railway) ..	99—100
4647. अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ (पूर्वी रेलवे) की शिकायतें	Grievances of all India Railway Commercial Clerks Association (Eastern Railway) ..	100—101
4648. वाणिज्यिक क्लर्कों (पूर्व रेलवे) की वरिष्ठता निश्चय करना	Fixing of Seniority of Commercial clerks in Eastern Railway ..	101
4649. दक्षिण रेलवे के मदुराई डिवीजन में छुट्टी रिजर्व वाणिज्यिक लिपिकों की सेवाओं का उपयोग करना	Utilisation of Services of leave Reserve Commercial Clerks in Madurai Division (Southern Railway) ..	101—102

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4650. दक्षिण रेलवे में युद्ध के लिये आरक्षित पदों पर नियुक्त वाणिज्यिक लिपकों की वरिष्ठता निर्धारित करना	Fixation of seniority of commercials clerks appointed to Fill War Reserved vacancies on Southern Railway. ..	102
4651. ग्रीन पार्क नई दिल्ली में विकलांग महिलाओं के लिये शक्षण तथा उत्पादन केन्द्र	Training cum production centre for Handicapped Women at Green Park, New Delhi ..	103
4652. महाराष्ट्र में चंका से वानी तक नई रेलवे लाइन	New Railway Line from Chanka to Vani in Maharashtra ..	103
4653. दक्षिण रेलवे में वायरलैस आपरेटरों को विशेष अनुदान दिया जाना	Grant of special pay to Wireless Operators on Southern Railway ..	103—104
4654. पश्चिम बंगाल में पंजीकृत संयुक्त स्टाक समवाय	Joint Stock Companies Registered in West Bengal ..	104—105
4655. दिल्ली में मद्य-निषेध	Prohibition in Delhi ..	105—106
4656. भाषा क्षेत्रों के अनुसार जोनल रेलवे के डिवीजनों का पुनर्गठन	Reorganisation of Divisions of Zonal Railways according to Language areas ..	106
4657. मध्य रेलवे के विभिन्न डिवीजनों के अन्तर्गत रेजवे लाइनों की लम्बाई	Length of Railway Lines under Various Divisions of Central Railway ..	106—107
4658. राज्यों की राजधानियों में रेलवे के डिवीजन-मुख्यालय	Railway Divisional Headquarters in State Capitals ..	107
4659. कमर्शियल क्लर्कों के बारे में सुरक्षा तथा पुलिस व्यवस्था सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें	Recommendations of high power committee on Security and policing commerical clerks ..	107—108
4660. भारतीय रेलों में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 लागू करना	Application of employees' Provident Fund act, 1952 to casual labour employees on Indian Railways ..	108
4661. विजयवाड़ा (दक्षिण मध्य रेलवे) के नैमित्तिक श्रमिकों के लिये अधिकृत वेतनमान	Authorised scales of pay for casual labour on Vijayawada Division (Southern Central Railway) ..	108—109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4662. पश्चिम रेलवे में अंग्रेजी भाषा न जानने वाले फायरमैनों और शटरों को पदोन्नति से वंचित करना	Denial of promotion to firemen and Shunters ignorant of English language on Western Railway ..	109
4663. मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड	M/s Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. ..	109—110
4664. महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Maharastra	110
4665. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान	Residential accommodation for employees of Khadi and village industries commission Bombay ..	110
4666. फिल्म कम्पनियों के रजिस्ट्रारों के पास फिल्म कम्पनियों द्वारा फाइल किये गये खाते	Annual accounts filed with registers of companies by film companies ..	110—111
4667. पहले दर्जे के रेल डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था	Arrangements for safety of passenger in first class compartments ..	111
4668. बोकारो इस्पात परियोजना में निर्माण कार्य का ऊपरी ढांचा गिर जाना	Collapse of super structure of a construction work at Bokaro Steel Project ..	111—112
श्री ज्योति बसु की हत्या का प्रयास	Re : Attempt on the Life of Shri Jyoti Basu ..	112—113
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कथित सीमा विवाद के हल न किये जाने और फसल की कटाई पर झगड़े की सम्भावनाएं	Reported unresolved border dispute between U. P. and Bihar and possibilities of clashes over harvest. ..	113—115
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	116, 121
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ..	116
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee—	
101 वां प्रतिवेदन	Hundred and First Report ..	116—117
निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य—	Statement under Direction 115 —	
संसद् सदस्यों के आयकर-विवरिणयों का भेजा जाना	Income Tax Returns of M. Ps. ..	117—121

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री न० कु० सांघी	Shri N. K. Sanghi	117
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi ..	118—119
कलकत्ता पत्तन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया	Statutory Rasolution Re: Calcutta Port (Amendment) Ordinance—Withdrawn	
और	and	
कलकत्ता पत्तन (संशोधन) विधेयक	Calcutta Port (Amendment) Bill ..	121—138
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ..	121
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	122—123
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh ..	123—124
श्री मि० सू० मूर्ति	Shri M. S. Murti ..	124
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri ..	124—125
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu ..	125—126
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	126—128
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha ..	128
श्री भगवान दास	Shri Bhagban Das ..	128—129
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	129
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu ..	130
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 ..	134—136
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass ..	136
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	136
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	137
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh ..	137—138
आवश्यक वस्तु (संशोधन) बनाये रखने वाले अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प-अस्वीकृत	Statutory Resolution Re: Essential Commodities (Amendment) Continuance Ordinance—Negatived;	
और	and	
आवश्यक वस्तु (संशोधन) बनाये रखना विधेयक	Essential Commodities (Amendment) Continuance Bill ..	138
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ..	138—154
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	138—140

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghu Nath Reddy	..	140
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	..	140
श्री मि० सू० मूर्ति	Shri M. S. Murti	..	141—142
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	142
श्री सु० कु० तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah	..	142—144
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani		144
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	..	145—146
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	..	146—147
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerji	..	147
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	..	147—148
श्री के० रमानी	Shri K. Ramani	..	149—151
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	..	151
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	..	153—155
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	..	
श्री ज्योति बसु की हत्या करने के प्रयत्न के बारे में श्री यशवन्त राव चह्वाण द्वारा वक्तव्य	Statement Re : Attack on Shri Jyoti Basu by Shri Y. B. Chavan	..	148—149
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	..	155
अनुदानों की मांगें, 1970-71	Demands for Grants, 1970-71—		
गृह-कार्य मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	..	156—157
श्री स० क० पाटिल	Shri S. K. Patil		157

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 31 मार्च, 1970/10 चैत्र, 1892 (शक)
Tuesday, March 31, 1970/Chaitra 10, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत में उपठेकों के लिये एक्सचेंज खोलना

+

*691. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक** र्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उपठेकों एक्सचेंजों के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ श्री एमरीज एडवर्ड्स के विचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय उद्योग पर इसे लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार करेगी ;

(ग) क्या भारत में उपठेकों के लिए एक्सचेंज खोलने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार यह अनुभव करती है उप-संविदा एक्सचेंजों की स्थापना करना भारतीय उद्योग के दोनों क्षेत्रों के बीच आपसी संबंधों का शीघ्रता से विकास

करने के लिए एक प्रभावशाली साधन होगा । इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा उप-संविदा एक्सचेजों की स्थापना करने के संबंध में सलाह देने के लिए मैं० इडवर्ड्स की सेवाएं प्राप्त की गई हैं ।

(ग) और (घ). बम्बई तथा मद्रास में दो मार्गदर्शी केन्द्र स्थापित करने का विचार है और उनके सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात ही यह योजना अन्य राज्यों में चलाई जाएगी ।

Shri Valmiki Choudhary : When the Exchange will be opened ?

Shri Bhanu Prakash Singh : Mr. Emrys Edwards is here and visiting places. His report will be received in three or four months and after considering over that, it will be opened.

Shri Valmiki Choudhary : Is its constitution being framed and what type of people will be engaged in it ?

Shri Bhanu Prakash Singh : The question of constitution does not arise. It will remain under S. I. S. I. Centre.

Shri Valmiki Choudhary : When this has proved successful in other countries then why it is being opened here on experimental basis ?

Mr. Speaker : You have asked two supplementaries and the Hon. Minister has replied to them. Shri Manibhai J. Patel.

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मैं यहां बताना चाहता हूं कि प्रश्न के दूसरे भाग में छपाई की गलती है, इसमें लिखा है "·····और नया कूच बिहार से फकीरा ग्राम बरास्ता गुलाब गंज यहां बरास्ता 'गुलक गंज' होना चाहिए ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : जी हां ।

नया कूच बिहार से बामनहाट और गितालदाह (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) तक की मीटरगेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*692. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए उनका मंत्रालय पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में नया कूच बिहार से बामनहाट और गितालदाह तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना को क्रियान्वित करेगा ;

(ख) क्या नया कूच बिहार और हाशीमारा तथा नया कूच बिहार और फकीरा ग्राम को बरास्ता गुलाब गंज मिलाने के लिए दो नयी बड़ी लाइनें बिछाई जायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) और (ख) . जी नहीं ।

(ग) धन की कमी होने और यातायात सम्बन्धी औचित्य न होने के कारण जिन लाइनों के आमान परिवर्तन या जिन नयी लाइनों के निर्माण का सुझाव दिया गया है, उन पर अभी विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने यह बताया है कि धन की कमी और यातायात सम्बन्धी औचित्य के अभाव में प्रस्तावित लाइनों पर कार्य नहीं हो सकता। मैं धन की कमी को समझ सकता हूं, परन्तु यातायात सम्बन्धी औचित्य से उनका जो अभिप्राय है, उसको मैं नहीं समझ सकता हूं। ये परस्पर विरोधी हैं। मंत्री महोदय स्पष्ट तौर पर बतायें कि क्या यह धन की कमी के कारण हैं अथवा यातायात सम्बन्धी औचित्य के अभाव के कारण है।

मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को पश्चिमी बंगाल सरकार के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि पांचवें वित्त आयोग को प्रस्तुत किये गये थे और जिसका उदाहरण मैं दे रहा हूं :

"1962-63 के आंकड़ों के अनुसार कूच बिहार जिले की कुल कृषि आय 20.22 करोड़ रुपये थी" वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार यह 35 करोड़ रुपये से 40 करोड़ होगी। इस जिले के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है और कृषि उत्पादन में अधिक भाग दो मुख्य नकदी फसलों पटसन और तम्बाकू का है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, यह लाइन नया कूच बिहार से बामनहाट और गितालदाह होते हुए पूर्वी पाकिस्तान की सीमा तक जाती है। जब तक रेलवे मंत्री महोदय उस क्षेत्र के कृषि उत्पादकों को अच्छी मंडियों में अपना माल ले जाने की कतिपय सुविधायें नहीं देते हैं तब तक ये गरीब लोग अपनी जीविका कैसे कमा पायेंगे? मंत्री महोदय ने कहा है कि यातायात सम्बन्धी औचित्य का अभाव है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह सर्वेक्षण करने के लिये तैयार हैं और क्या वास्तव में यातायात सम्बन्धी औचित्य है या नहीं।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : उन्होंने दो बातें कही हैं। माननीय सदस्य ने आंकड़े दिये हैं जोकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्रस्तुत किये थे। परन्तु मैं अपने आंकड़े देना चाहता हूं। अलीपुर द्वार-कूच बिहार-बामनहाट सैक्शन की, जिसके लिए लाइनों को बदलने का सुझाव दिया गया है, ढलाई क्षमता इस समय 11रेल गाड़ियों की है जो कि एक दिन में दोनों मार्गों पर चलती हैं। यह 53 किलोमीटर लम्बा है। वस्तुतः हम एक दिन में 3 यात्री गाड़ियां और 0.8 माल गाड़ियां ले जा रहे हैं जो कि कुल 3.8 प्रति दिन बैठता है। इस आधार पर मेरा निवेदनपूर्वक कहना है कि इसमें कोई औचित्य नहीं है।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात गोलक गंज लाइन को परिवर्तित करने के बारे में उठाई है। वहां वहन करने की क्षमता प्रतिदिन 11 रेलगाड़ियां है। वास्तव में 2 यात्री गाड़ियां और 0.7 माल गाड़ी प्रतिदिन चलती हैं जोकि कुल 2.7 प्रतिदिन है। यह 47 किलोमीटर लम्बी है। वर्तमान यातायात को देखते हुए यह स्पष्ट है कि धन की कमी के अलावा लाईन में परिवर्तन करने अथवा निर्माण करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, वे सही नहीं हैं। जब तक वहां रेलवे लाइन नहीं हैं तब तक कैसे यातायात औचित्य की बात की जा सकती है? यह यातायात औचित्य की बात कैसे उठ सकती है। हमने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं जहां

कि लाइनों को छोटी लाइनों से बड़ी लाइनों में बिना किसी औचित्य के परिवर्तित किया जा रहा है। जब तक नया कूच बिहार से फकीरा ग्राम बरास्ता गुलक गंज और नया कूच-बिहार से हासीमारा तक रेलवे लाइन नहीं है तब तक यातायात सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न नहीं उठ सकता है। मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि चौथी योजना में 750 किलोमीटर मार्ग को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का विचार है और नई लाइनों के बारे में कहा गया है कि चौथी योजना में 800 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछायी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर कोई वाद-विवाद नहीं चाहता हूं। कृपया अपना प्रश्न करें।

श्री बे० कु० दासचौधरी : मुझे केवल एक मिनट चाहिये। नया कूच बिहार से बामनहाट और गितालदाह तक छोटी लाइनों से इस जिले के पटसन तथा तम्बाकू उत्पादकों को अपना माल भेजने में बड़ी कठिनाई होती है। वे अपना माल सड़क पर चलने वाले वाहनों और ट्रकों द्वारा भेज रहे हैं। यदि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाये तो यह यातायात का औचित्य सिद्ध करेगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सर्वेक्षण करें और उचित आंकड़े लेकर बतायें कि क्या इसका औचित्य है या नहीं।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जैसे कि मैंने पहले बताया है वर्तमान रेलवे लाइन की क्षमता 11 रेल गाड़ियां प्रतिदिन की है और यदि औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता तो हमारे लिये रेलवे लाइन को परिवर्तित करना कैसे सम्भव होगा ? मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं। यदि वे आंकड़े और कार्य दिखा सकते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री रा० की० अमीन : यह एक विस्तृत प्रश्न है जिसका कि प्रत्येक राज्य में हर कोई सामना कर रहा है जो कि छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के बारे में है। मंत्री महोदय ने धन की कमी का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब कभी यह संभव होगा यह कार्य किया जायेगा। इसके स्थान पर क्या वे छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के बारे में स्पष्ट मार्ग-निर्देश हमें बताएंगे और उसे सभा के समक्ष रखेंगे ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने अलाभकर शाखा लाइन समिति का प्रतिवेदन देखा होगा जिसमें कहा गया है कि सभी छोटी रेलवे लाइनों को अलाभकर की श्रेणी में रखा जा रहा है। यह प्रतिवेदन विचाराधीन है। हम एक कदम और आगे चले गये हैं। अपने बजट भाषण में रेलवे मंत्री महोदय ने कुछ और लाइनों का भी सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। मैं वर्तमान छोटी रेलवे लाइनों के महत्व को स्वीकार करता हूं। इन सब बातों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकती हूं कि क्या सरकार का विचार चौथी योजना में उत्तरी सीमा रेलवे की छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने का है और यदि हां, तो वे लाइन कौन सी होंगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं जो कि एक विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : सामान्य बजट पर वाद-विवाद के उत्तर में यह पहले ही बता दिया गया है कि हम बोन्गाइगांव से गौहाटी तक लाइन के बदलने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : इस सभा में यह कहा गया था कि इसको डिब्रूगढ़ तक बढ़ाया जायेगा।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : यह लाइन अलग है।

Shri Om Prakash Tyagi : Because of the existence of both the metre-gauge and Broad-gauge lines in North Eastern Railways, there is great danger to the security and conversion in one gauge i. e. broad gauge will ensure protection for our borders. So I would like to know whether the security point of view remain before the Government alongwith economic consideration ? If it is so then which lines will be converted into broad gauge lines and how much time it will take ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से संगत नहीं है। यह नया कूच बिहार से रेलवे लाइन के सम्बन्ध में है। यह सुसंगत नहीं है।

Shri Om Prakash Tyagi : This is not. It is North-Eastern Railway.

Shri R. L. Chaturvedi : Economic consideration remain before us because without it the work can not go on, but we also have security consideration before us.

Shri Om Prakash Tyagi : Which lines are being converted ?

श्री जे० अहमद : आसाम में ढुब्री विभाजन से पूर्व पटसन निर्यात करने का सबसे बड़ा केन्द्र था और केवल ढुब्री केन्द्र से 30 लाख मन पटसन बाहर भेजा जाता था। छोटी लाइन में स्थान के अभाव के कारण व्यापारी छोटी लाइन से पटसन को ले जाने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। वे अब पटसन को ट्रकों द्वारा ढुब्री से कूच बिहार तक ले जाते हैं ताकि वहां बड़ी लाइन के लिए इसे बुक किया जा सके। क्या मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर सकता हूं कि वे शीघ्र ही ढुब्री को बड़ी लाइन द्वारा कूच बिहार से मिलाने के बारे में गम्भीरता से विचार करें ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : यह विचारार्थ एक सुझाव है।

श्री जि० मो० बिस्वास : अलाभकर मीटर गेज लाइन और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए श्री चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। हमने समिति की सिफारिश देखी है। मैं मंत्री महोदय से समिति द्वारा छोटी लाइन को, विशेषकर पुरुलिया कोटसेला छोटी लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के बारे में की गई सिफारिश के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : मंत्री महोदय ने इस बारे में पहिले ही कह दिया है और

विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या कर दी है। माननीय सदस्य को जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पुरुलिया-कोटसेला का सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया गया है।

Shri Sitaram Kesri : As the Hon. Minister has said in reply to the original question that conversion of Cooch Bihar—Bamanhat and Gitaldah metre-gauge line into Broad-gauge line will be profitable so I want to know whether the Government would make an effort to convert the metre-gauge line from Barauni to Katihar, of which the Government conducted survey and the Former Minister gave assurance, into Broad-gauge ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आमतौर पर मंत्री असंगति के आधार पर विरोध करते हैं। परन्तु मैं देख रहा हूं कि इस अवसर पर मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देने को उत्सुक हैं। मैं सदस्य और मंत्री महोदय पर यह बात छोड़ता हूं और वे स्वयं निर्णय कर लें।

Shri R. L. Chaturvedi : Survey has been conducted from Barauni to Katihar. As already stated the survey work is going on and the report has not been received.

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न एक विशेष लाइन से सम्बन्धित है और मैं कह रहा हूं कि अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित होना चाहिए। परन्तु मुझे लगता है कि माननीय मंत्री पूरे समय सभी लाइनों के बारे में सूचना सहित तैयार रहते हैं।

Shri Sheo Narain : I represent Eastern Uttar Pradesh. For the last seven years, five years of the last Lok Sabha term and two years of this present Lok Sabha term, I have been making a demand whether the Railway Minister was Shri S. K. Patil or Dr. Ram Subhag Singh or Shri Poonacha. To-day Shri Nanda is the Minister. It has been our genuine demand because we live on the border of China and Nepal. From the strategic and security point of view the narrow gauge lines should be converted into broad gauge lines. I want to know when the work will be completed ? I want a definite reply to this (**Interruption**). It is a demand of the whole eastern region otherwsie the procession of S. S. P. is coming on 6th April. My question be replied to. Why the Government are sitting mum ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सुसंगत नहीं है।

भारत-लंका रेलवे समन्वय समिति

693. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री सामिनाथन** :
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री दंडपाणि** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और लंका के बीच रेलवे तथा नौका सेवाओं के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के बारे में भारत-लंका रेलवे समन्वय समिति की लंका में एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई और उसके क्या निष्कर्ष निकले थे ; और

(ग) लंका के प्रतिनिधिमंडल ने क्या आपत्तियां उठाई थीं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां। लंका की सरकारी रेलों के महाप्रबन्धक के अनुरोध पर 3 मार्च, 1970 से 5 मार्च, 1970 तक कोलम्बो में समन्वय समिति की एक बैठक हुई थी। दक्षिणी रेलवे के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड तथा तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया था। लंका की ओर से, लंका के रेलवे विभाग, सीमा-शुल्क विभाग, आप्रवास तथा उत्प्रवास विभाग, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग तथा पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया था। बैठक का उद्देश्य भारत तथा लंका के बीच व्यापार सम्बन्धी कठिनाइयों पर विचार करना था।

(ख) वांछित जानकारी देनेवाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) यह बैठक एक दूसरे को समझने एवं सद्भावना के उद्देश्य से की गई थी।

विवरण

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी :—

(1) सीमा शुल्क विभाग द्वारा आव्रजन, उद्व्रजन, स्वास्थ्य तथा अन्य औपचारिकताओं के बारे में शीघ्र कार्यवाही करना।

(2) रामेश्वरम् से यात्रियों तथा स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों की निकासी के लिये भारत की ओर से रेल-सेवाओं तथा समय का समायोजन।

(3) पार्सलों, सामान तथा मोटर गाड़ियों की सीधी बुकिंग-व्यवस्था का प्रारम्भ किया जाना।

(4) श्री लंका से भारत की यात्रा के लिये टिकटों का अग्रिम रूप से जारी किया जाना।

(5) श्रीलंका के यात्रियों द्वारा भारतीय रेलों में यात्रा करने हेतु वापसी पर्यटन टिकटों की व्यवस्था करना।

(6) श्रीलंका सरकार के रेल स्टेशनों और महत्वपूर्ण भारतीय रेल स्टेशनों के बीच यात्रियों को सीधे टिकट जारी किया जाय।

(7) मुद्रा-विनिमय की सरकारी दर पर कोचिंग डिवीजन द्वारा नाम-जमा धनराशि का निपटान किया जाना।

(8) रामेश्वरम् से महत्वपूर्ण भारतीय रेल स्टेशनों के लिये नवीनतम रेल-किराये की सूचना सप्लाई करना।

(9) श्रीलंका सरकार रेलवे, शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० और दक्षिण रेलवे के मध्य फैरी सर्विस के बारे में त्रिपक्षीय समझौते को अन्तिम रूप देना।

(10) यात्रियों, सामान, पार्सल और असबाब लाने-ले जाने की सुविधा के लिये भारत की ओर से पोतघाट की व्यवस्था करना ; और

(11) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० के दिये गये आश्वासन के अनुसार अतिरिक्त फैरी सेवाओं की व्यवस्था करना।

इस बारे में भी सहमति थी कि तलाईमायार तक ठीक समय पर ट्रेनों चलाने को सुनिश्चित करने के लिये शीघ्र आवश्यक उपाय किये जायं और भारत से श्रीलंका जाने वाले पर्यटकों और श्रीलंका से भारत आने वाले पर्यटकों तथा स्वदेश वापस लौटने वाले व्यक्तियों के यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिये रामेश्वरम् से ट्रेनों द्वारा सीधे यात्रियों की पर्याप्त निकासी की व्यवस्था द्वारा तलाईमायार तथा रामेश्वरम् दोनों ही स्थानों पर यातायात औपचारिकताओं पर शीघ्र कार्यवाही की जाय। यह भी निर्णय किया गया कि असबाब और पार्सलों सहित मोटर गाड़ियों की सीधी बुकिंग-व्यवस्था को यथासम्भव शीघ्र ही चालू किया जाय।

श्री नि० रं० लास्कर : क्योंकि श्रीलंका हमारा एक मित्र पड़ोसी है इसलिये भारत और श्रीलंका के बीच यात्रा की सुविधाएं सुगम बनाई जानी चाहिये। इस संदर्भ में, इस सम्मेलन को आयोजित करना एक अच्छा विचार था। विवरण की मद संख्या 9 में कहा गया है :

"नौका सेवा के सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार रेलवे, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० और दक्षिण रेलवे के बीच त्रिपक्षीय करार को अंतिम रूप देना।" मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई ठोस अथवा निश्चित अथवा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : यह अभी विचाराधीन है। कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री नि० रं० लास्कर : रेलवे ही केवल उससे संबंधित नहीं, अपितु शिपिंग कारपोरेशन भी संबंधित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे इस मामले में शीघ्र ही शिपिंग कारपोरेशन से विचार-विमर्श करने के लिए तैयार है ताकि करार को अन्तिम रूप दिया जाए और आवश्यक सुविधाएं दी जा सकें। जब मुझे श्री लंका और पोर्ट ब्लेयर जाने का अवसर मिला तब स्थिति को मैंने स्वयं देखा और मुझे पता चला कि हमारी ओर से सीमा-शुल्क निकासी में पर्याप्त समय लगता है। क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर से सीमा शुल्क निपटान निकासी के बारे में विचार करेंगे ताकि लोग यात्रा कर सकें और सीमा-शुल्क निकासी अति शीघ्रता से हो सके।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था और शिपिंग कारपोरेशन को इस मामले की पूरी जानकारी थी।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं जान सकता हूं कि यात्रियों को दक्षिण रेलवे के अंतिम स्टेशन से श्री लंका के पहिले स्टेशन अर्थात् तलाईमन्नार तक पहुंचने में अब कितना समय लगता है ? "सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के पश्चात् यात्रियों को समय की कितनी बचत होगी ? यह कहा गया है कि रामेश्वरम से गाड़ियों द्वारा यात्रियों की पर्याप्त निकासी की व्यवस्था होने पर श्री लंका से भारत आने वाले पर्यटकों और प्रत्यावर्तित व्यक्तियों तथा भारत से श्रीलंका जाने वाले पर्यटकों की गतिविधि सुविधापूर्वक हो सकेगी। मैं जानना चाहता हूं कि

अब कितना समय लगता है और यदि 11 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू कर दिया जाये तो इससे समय की बचत होगी ।

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : नौका रामेश्वरम से 14.00 बजे चलती है और तलाईमन्नार 17.30 बजे पहुंचती है । इस प्रकार 3½ घंटे लगते हैं, इसी तरह, नौका तलाईमन्नार से दिन के दस बजे छूटती है और रामेश्वरम 13.30 बजे पहुंचती है और वापसी में भी इसे 3½ घंटे लगते हैं ।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : इससे समय की कितनी बचत होगी ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस बारे में विचार करना होगा । मैं इसे अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं ।

कागज के मूल्य में वृद्धि

*694. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि मूल्य नियंत्रण समाप्त किये जाने के बाद लगभग सभी किस्मों के कागजों के मूल्यों में कई बार वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बढ़े हुए मिल मूल्यों के अतिरिक्त कुछ व्यापारी एक टन पर 200 से 500 रुपये तक अधिक ले रहे हैं ;

(ग) क्या मिल शिक्षा के लिये प्रयोग किये जाने वाले प्रिंटिंग कागज की कुछ साधारण किस्मों के नाम तथा वजन को बदल कर बाजार में कागज की कमी का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस कदाचार तथा मुनाफाखोरी को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). मई, 1968 में कागज के मूल्यों पर से नियन्त्रण समाप्त होने के बाद कागज-उद्योग ने कागज के मूल्यों में दो बार वृद्धि की है । सबसे पहले एक टन पर लगभग 250 रुपये बढ़ाए गए तथा दूसरी बार अप्रैल, 1969 में एक टन पर लगभग 150 रुपये बढ़ाए गए । जब सरकार को यह जानकारी मिली तो कागज उद्योग से कहा गया कि वह सरकार से विचार-विमर्श किए बिना द्वारा मूल्य न बढ़ाए ।

अधिक मूल्य लेने, नाम बदलने एवं 60 जी० एस० एम० से कम तत्व वाले प्रिंटिंग कागजों की कमी के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें मिली हैं। ऐसी शिकायतों पर गौर करने और उन्हें दूर करने के उपाय एवं साधन बताने के लिए एक तदर्थ समिति बनाई गई है जिसमें सरकार, कागज निर्माताओं, कागज व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : यदि मैंने माननीय मंत्री को सही समझा है तो सरकार ने पहिले ही दो बार कागज के मूल्यों में वृद्धि की है जिसको कागज उद्योग ने पहले ही लागू कर दिया है क्योंकि सरकार ने कागज उद्योग को स्पष्ट कर दिया है कि मूल्यों में वृद्धि सरकार से पूर्व परामर्श के बिना न की जाये। इसका आशय यह हुआ कि सरकार पहली दो वृद्धियों को निगल गई है और उनको इन वृद्धियों के बारे में कुछ नहीं कहना है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि बहुत बड़ी संख्या में कागज व्यापारी जो नियमित व्यापार करते थे उनका स्थान कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों ने छीन लिया है जो इन कागज उद्योग वालों के कृपापात्र हैं ? इनमें से कुछ बड़ी मिलें सामान्य किस्म के सफेद कागज का बहिष्कार करके पतले प्रकार के कागज को जिसको मुद्रण, पुस्तकों और स्कूल पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों के लिये प्रयोग में लाया जाता है, अधिदेय मूल्यों पर बेचने का प्रयास कर रही हैं और यदि वे इस समस्या से अवगत हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार नियमित व्यापारियों के वैध अधिकारों की सुरक्षा के लिये, जिन्हें व्यापार से खदेड़े जाने के संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्या कर रही है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : इन एजेंसियों को व्यापारियों को सौपने के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्य निर्माताओं का है। मैं नहीं जानता कि सरकार किसी एक की अपेक्षा दूसरे को किस प्रकार नियुक्त करने के लिये कह सकती है। यदि वे सरकार की बात सुनने को तैयार हैं तो ऐसा करके हमें निश्चय ही प्रसन्नता होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि हमारे देश में सामान्य सफेद कागज की विभिन्नताएं मुख्यतया शैक्षणिक उद्देश्यों, अभ्यास पुस्तकों पाठ्य पुस्तकों आदि के लिये प्रयुक्त होती हैं। यदि इस प्रक्रिया को जारी रहने दिया गया तो शिक्षा और सांस्कृतिक क्रिया कलापों को भी आघात पहुंचेगा। देश में सामान्य पाठक की क्रम शक्ति भी बहुत सीमित है और पुस्तक की मार्किट भी पहिले से ही संकुचित हो चुकी है। क्या इसके बारे में सरकार ने दूर तक सोचा है ? क्या उन्होंने इस मामले में कोई नीति अपनाई है अथवा क्या वे तदर्थ समिति अथवा इसी प्रकार की कोई समिति नियुक्त करके संतुष्ट है ? क्या सरकार कागज उद्योग की इस कदाचार तथा मुनाफाखोरी को रोकने के लिये कठोर अथवा सुदृढ़ कदम उठाने के लिये तैयार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : हमारे सामने दो प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव समस्या को तुरन्त सुलझाने का है और दूसरा दीर्घकालीन प्रस्ताव है। पहले प्रस्ताव के अनुसरण में, हम एक समिति गठित कर रहे

हैं जिसमें व्यापारियों उपभोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे । इन सूचित कदाचारों से छुटकारा पाने के लिये कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर हमें विचार करेंगे । समिति की बैठक 17 अप्रैल को हो रही है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : कौन से कदाचार ? क्या वे सिद्ध हो चुके हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह आरोप है कि मार्किट में कुछ व्यापारियों द्वारा कम ग्राम वाले कागज का मूल्य अंकित मूल्य से अधिक लिया जाता है । अत: इन मामलों पर विचार करने के लिये हमने सभी प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है जिसमें विचार किया जायेगा कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

दूसरी बात कागज उत्पादन में वृद्धि करने की है । हम कागज निगम की स्थापना कर रहे हैं और देश में दूसरों को भी कागज निर्माण का कार्य करने के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The shortage of white paper is being felt. This paper is mainly used for exercise books and for printing text-books etc. The Hon. Minister has stated that after the two increases, there are certain mills which are now selling paper at a higher price by giving separate name to it and the complaints had been received by the Hon. Minister many days ago. Will the Hon. Minister assure that he will remedy the situation ? To issue a warning or to appoint a committee means delay in the matter. The season of exercise books and of printing the text-books has approached now. The blackmarketing in Delhi and its surrounding area is going on at a large scale. Will the Government ensure that all the people get the paper at reasonable prices and I would like to know that what steps are being taken by the Government regarding this ?

How much white paper is being produced now as compared to the past ?

Will you compel the mills to produce full quota ? After delicensing has been effected, new mills are also not being set up, what is the reason of it ?

Shri F. A. Ahmed : From one side we received allegations and from the other side these allegations were refuted. Therefore, I thought it proper to call a meeting of the representatives, of manufacturers, traders and consumers and after the meeting we can know what the facts are. Then we shall decide as to what arrangements Government should make.

So far as paper is concerned this is a heavy capital industry. Many machines have not been made in India as yet and these are being imported from abroad. There is the shortage of raw materials also and negotiations have to be made with the State Governments and naturally it takes time. Due to these difficulties certain paper plants could not move ahead.

Shri Kanwar Lal Gupta : Will you assure that all will get the paper in this season.

Shri Brij Bhushan Lal : Due to shortage of paper, blackmarketing and other things are going on. Dr. R. K. Bhargava, the President of All India Pulp and Paper Technological Association, while inaugurating the International Seminar on 6th December 1969, has told about the alarming conditions of paper scarcity. He said :

"....यह सम्भावना हमें सचेत करने वाली है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कागज समाप्त हो जायेगा और उसकी कीमतें आकाश को छूने लगेंगी ।

Has the honourable Minister thought over it ? If so, I would like to know the action that Government propose to take to overcome this serious problem of paper which will arise after Fourth Five Year Plan, so that the country may not face hardship ?

Shri F. A. Ahmed : I have already said that by the end of Fourth Five Year Plan we will require two lakhs tons of paper. At present there is a plan before us to increase paper production through Paper Corporation. We wish that private sector should also come forward so that the shortage of 2 lack tons could be met. Efforts are being made in this direction. We are thinking of increasing the production in private sector, if possible.

Shri Prem Chand Verma : It is evident that the shortage of paper is increasing day by day and its demand is much more than its supply. Consequently its price is also increasing. Government have been saying for the last seven years that they plan to establish a paper mill in Himachal Pradesh but it has not been established till date. Had this Mill been established, it would have started Introduction and situations would be different today. I would like to know which new Paper Mills are being set up, where they are being set up, when these will start functioning and what will be their production, to overcome the paper shortage in India ?

Shri Bhanu Prakash Singh : The proposal to set up a paper factory in Himachal Pradesh is under consideration since long. Now there is the possibility that an agreement will soon be reached between Himachal Pradesh Government and M/s Thaper &. Co., by whom the factory is being set up. The matter is held up because of an agreement about raw material. This issue was recently discussed by the Government of India, Government of Himachal Pradesh and M/s Thaper & Co., and the agreement reached there upon has sent to Himachal Pradesh Government. I hope that in near future.... (**Interruptions**).

Shri Prem Chand Verma : When this factory is being established ?

Shri Bhanu Prakash Singh : This depends upon Himachal Pradesh Government and only Himachal Pradesh Government can tell something about it. So far as the question of new project is concerned the Government are considering to set up five new projects during Fourth Five Year Plan. These projects are : Kerala Project : News Print 75,000 tons per annum, Assam Projects : 50,000 tons per annum and *pulp* 30,000 Tons per annum, Nagaland Project : 30,000 tons paper per annum....

Mr. Speaker : Honourable Minister has stated reading the entire list....

Shri Bhanu Prakash Singh : These details were asked by the honourable Member.

Shri Madhu Limaye : When price control was withdrawn by Government in 1968 did they not know that it will lead to price rise ? I want to know what is the percentage of price rise during last two years ? Is there any plan to import paper for interim period so that sufficient paper could be made available for textbooks and exercise books ?

Shri F. A. Ahmed : Paper prices were fixed in 1960 on the basis of Tariff Commission report. Two years thereafter, in 1962, there was little increase in paper prices on the basis of cost of production. Since then, till 1968, there was no increase in paper prices. It is true that mill owners were pressing hard that because of rise in cost of production, the price should also be increased. We thought that our production was sufficient and our demand could be met with the same. That is why paper prices were decontrolled. But soon after that, they raised the price of two kinds of paper by Rs. 250 and Rs. 200. In 1969 they raised the prices from Rs. 95 to Rs. 150. Later on we called them and told them not to increase prices in future unless the reason for the increase was established. Incase they still increased the prices we would control the paper prices.

Shri Madhu Limaye: Is there any plan with the Government to import paper to meet the interim period requirements ?

Shri F. A. Ahmed: So far we thought that there was no need for import, but if need be there, we will import it.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : माननीय मंत्री महोदय ने कागज की कमी की पूर्ति के लिए जो सुझाव दिये हैं, मैंने उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। यह खेद का विषय है कि मंत्री महोदय एक ऐसे विभाग के अध्यक्ष हैं जिसकी कार्यगति से घोंघा भी शर्मा जाता है। जिस कागज का प्रयोग स्कूल की किताबों और कापियों के लिए किया जाता है उस पर किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना या लूटपाट करना पाप है। हम विद्यार्थियों के अधिकारों के साथ किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं कर सकते। इसे निश्चय ही समाप्त करना होगा। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि अगले पन्द्रह दिनों में कागज की कमी दूर नहीं हो जाती तो वह नियंत्रण कर देंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : सरकार ने तीन वर्ष पूर्व कागज उद्योग से नियन्त्रण इसलिए उठा लिया कि कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति के सिद्धान्त पर किया जा सके। कागज उद्योग के लिए लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त करने और कागज की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होने के उपरान्त भी, देश में न तो कोई कागज मिल ही लगाई गई और न ही इसका कोई सुझाव ही आया। क्या इसी कारण इतने समय में कोई मिल नहीं लगी कि कागज उद्योग पर जितनी पूंजी लगाई जाती है उससे उतना लाभ नहीं होता ? दूसरे 'बिहार में जो छोटी मिले बन्द हो चुकी हैं, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है ? क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जायेगा कि उन्हें कुछ वित्तीय सहायता दी जाये जिससे कि वे पुनः खुल जायें और कमी की पूर्ति की जा सके ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यद्यपि कागज उद्योग के लिये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी फिर भी उद्योगपतियों का कहना है कि उनके सामने इसके अतिरिक्त भी कई अड़चनें थीं। जैसे प्रथमतः यह एक पूंजी प्रधान उद्योग है जिसके लिए कम से कम कीमत का कारखाना लगाने के लिए लगभग बीस करोड़ रुपये की आवश्यकता है। दूसरे, कच्चे माल के जितने स्रोत है वे सभी राज्य सरकारों के अधीन हैं और उनके उचित मूल्यों पर निरन्तर संभरण के लिये मिल मालिकों को कोई विश्वास नहीं दिलाया जा सकता, और तीसरे यह कि कारखाने से सम्बद्ध बहुत सी मशीनें देश में उपलब्ध नहीं होती और उनके बहुत से हिस्से दूसरे देशों से मंगवाने पड़ते हैं।

यह कुछ प्रमुख दिक्कतें थीं जिनकी ओर कागज उद्योग वालों ने सरकार का ध्यान दिलाया। सरकार ने कागज उद्योग को उच्च निवेश का उद्योग करार किया और न्यूजप्रिंट उद्योग को कोर उद्योग में रखकर इसे अन्य रियायतों के साथ 35 प्रतिशत की छूट भी दे दी है। इस उद्योग के लिए कुछ अन्य रियायतों का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री के० रमानी : कागज की अत्यधिक कमी का प्रभाव छोटे-छोटे छापेखानें वालों और पुस्तक प्रकाशकों पर प्रमुख रूप से पड़ता है । इन परिस्थितियों में क्या सरकार अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करके सम्पूर्ण कागज को अपने नियन्त्रण में लेकर फिर से उसका विभाजन करने का प्रयास करेगी । दूसरे तमिलनाडु में निजी क्षेत्र में कपड़े की एक मध्यम आकार की मिल है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मिल को बड़ा करने या तमिलनाडु में कोई नई कागज मिल लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, क्योंकि तमिलनाडु में तो कच्चा माल यथा लुग्दी आदि बनाने के लिए बांस आदि मिल सकता है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : 17 अप्रैल, 1970 को एक बैठक बुलाई जा रही है और यदि आवश्यकता हुई तो सरकार कागज की कमी की समस्या पर निश्चय ही विचार करेगी ।

श्री के० रमानी : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या उस मिल को बड़ा करने या तमिलनाडु में कोई नई कागज मिल लगाने की योजना सरकार के समक्ष है ?

श्री एस० आर० दामानी : यह तथ्य है कि कागज की भारी कमी है जिसे कि केवल उत्पादन वृद्धि द्वारा ही पूरा किया जा सकता है । अभी अभी जो उत्तर दिया गया उसके अनुसार जो सार्वजनिक क्षेत्र में तीन कागज मिले यथा केरल, आसाम और नागालैंड में लगाने की योजना है । क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं की स्थिति क्या है ? क्या संयन्त्र व मशीनों के लिए आदेश दिया जा चुका है ? क्या मिल के लिए स्थान का चयन हो चुका है ? इन मिलों से उत्पादन कब आरम्भ होने वाला है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : योजना आयोग ने इस बारे में स्वीकृति दे दी है और सरकार शीघ्र कागज निगम स्थापित करेगी और इसकी स्थापना के बाद सरकारी क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं को उस निगम के अधीन रखा जायगा ।

जहां तक कागज की भारी कमी का प्रश्न है सरकार ने कुछ गैर-सरकारी मिलों को 45,000 मीटरी टन अतिरिक्त कागज की क्षमता की अनुमति दी है ।

श्री एस० आर० दामानी : मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त परियोजनाएं किन-किन स्थितिओं में है और उनमें उत्पादन कार्य कब आरम्भ होगा और क्या इसके लिये कोई तारीख निर्धारित की गई है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि इस बारे में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है और अब एक निगम की स्थापना करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है । जैसे ही निगम को रजिस्टर किया जायेगा कार्यवाही की जायेगी और जब समिति का प्रतिवेदन भी उपलब्ध होगा तो इस सम्बन्ध में जांच की जायेगी ।

Shri Janeshwar Misra : I want to know the difference between the cost price and the sale price of paper. How much tax and the profit of the mill owners is included in it ?

My second question is whether the Government is considering to nationalize the Paper industry, taking into consideration the paper requirements of the students ?

Shri Bhanu Prakash Singh : So far as the first question is concerned I want notice for it and I will inform about it to the House afterwards.

So far as the question of shortage of paper is concerned, we will take action in this regard after the meeting on 17th April.

We have no proposal to nationalise the Paper Industry. At present certain News Print factories are working in public sector.

Shri Ramavatar Shastri : The Hon. Minister has just told that there is a shortage of paper due to shortage of raw material.

I want to know whether the Hon. Minister is aware that there is plenty of raw material in Bihar, Bamboo and baggasse is being wasted in South Bihar. Taking all these aspects into consideration whether Government propose to establish some paper mills in South Bihar or not ?

Secondly, whether Government is considering to take over Ashok Paper Mills ? If not, the reasons therefor ?

Shri Bhanu Prakash Singh : As I have already stated Government intend to establish paper and pulp factories in public sector in Kerala, Assam, Nagaland, Madhya Pradesh and Jammu and Kashmir. We are not considering to establish such factories in Bihar.

So far as the question of raw material is concerned it is in excess in some states while there is shortage of raw material in other states. Even then we are considering this matter.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि हमारे देश में काम कर रहे कुछ विदेशी दूतावास, अपनी पत्रिकाओं के लिये निर्धारित सीमा से अधिक अखबारी कागज का आयात करते हैं और अखबारी कागज को चोर बाजार में बेचकर अखबारी कागज का मूल्य स्थिर करते हैं ? यदि हां, तो सरकार कागज का मूल्य, जिसमें अखबारी कागज का मूल्य भी शामिल है, उत्पादन को बढ़ाकर स्थिर करने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि सरकार का विचार कागज का उत्पादन बढ़ाकर उसके मूल्यों में स्थिरता लाने का है और यदि हां तो क्या सरकार ने आसाम और नागालैंड में कागज कारखाने स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि सरकार ने आसाम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में कागज के कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है। हम गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त सुझाव के बारे में भी विचार कर रहे हैं। काश्मीर में लुग्दी का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार हम कागज का उत्पादन बढ़ाने में सफल हो जायेंगे। जहां तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है हम एक ऐसी परियोजना के बारे में विचार कर रहे हैं जिससे वर्तमान क्षमता 1,75,000 मीटरी टन बढ़ जायेगी।

प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : मंत्री महोदय ने कागज की कमी को स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कागज का मूल्य बहुत अधिक है और इसमें चोर बाजारी चलती है। लेकिन उनका उत्पादकों, उपभोक्ताओं और सरकार के बीच विचार-विमर्श करने में विश्वास है।

वे कब तक इस पर निर्भर करेंगे ? सरकारी क्षेत्र में परियोजनाएं आरम्भ करने के बारे में उन्होंने कुछ राज्यों का उल्लेख किया है । लेकिन या तो भूल से या जानबूझकर आंध्र प्रदेश का नाम नहीं लिया गया है । वहां जंगलों में बड़ी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है । वहां कागज के केवल दो कारखाने हैं । हम बांस का उत्पादन उसके उपयोग की क्षमता के बिना कर रहे हैं । अतः क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में कागज उत्पादन के बारे में बनाई गई योजना में आंध्र को भी शामिल करने का है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में मुझे किसी परियोजना की सूचना नहीं मिली है । यदि कोई जानकारी प्राप्त होगी तो हम अवश्य उस पर विचार करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Government were aware of the fact that as a result of removing control from paper, the prices of paper would rise. A great pressure was put on the Government by the traders and the industrialists for removing control on paper—and this control was removed because the traders and the industrialists promised to pay rupees 10 crores to the Government.

अध्यक्ष महोदय : यह बात संगत नहीं है ।

Shri Shinkre : The Mills are producing white paper in small quantity because they get less profit on it, whereas they produce bond paper in large quantity because they get more profit on it. I want to know whether some instructions will be issued to the Mills to produce white paper in fixed quantity so that its production may be increased ?

Shri Bhanu Prakash Singh : This suggestion can be considered.

आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम

*695. **श्री शारदा नन्द** :

श्री सूरजभान :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत पर वर्ष 1965 में लगाये गये प्रतिबन्ध के दौरान भारतीय निर्माताओं ने तांबे के स्थान पर अल्यूमीनियम तथा आयातित इस्पात के स्थान पर देश में निर्मित इस्पात का उपयोग किया था तथा उससे कार्यकुशलता में कोई अन्तर नहीं आया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अन्य वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका पहले आयात किया जाता था तथा इस अवधि में जिनके स्थान पर भारतीय निर्माताओं ने अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया था ;

(ग) क्या सरकार ने उन वस्तुओं के बारे में जिनका आयात किया जाता है, यह पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है कि क्या उनके स्थान पर किन्हीं देशी वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है अथवा क्या उनसे भारत में वस्तुएं तैयार की जा सकती हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार आयात में कमी करने के लिये कोई सर्वेक्षण करने का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि कई उद्योगों में आंशिक या पूर्ण प्रतिस्थापन किया जा चुका है फिर भी इन वस्तुओं की सूचियां प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है क्योंकि आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्र आ जाता है और यह एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

(ग) तथा (घ). उद्योग के सभी क्षेत्रों में पहले आयात की जाने वाली वस्तुओं का पता लगाने और देश में उन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है ताकि ऐसी वस्तुओं, चाहे वे अन्त्य वस्तुएं हों या कच्चा माल, का आयात जहां तक हो सके कम करने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप देश में जैसे जैसे ये वस्तुएं उपलब्ध होती जा रही हैं, अधिकाधिक वस्तुओं को लगातार निर्यात की प्रतिबन्धित सूची में शामिल किया जा रहा है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Sharda Nand : When there was shortage of copper the Government imposed restrictions on its use and then some experts removed the shortage by aluminium and steel. I want to know the items that they manufactured ? I also want to know whether those experts who try to solve these difficulties have been given any encouragement ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : It is a long statement so I will place it on the Table. Though there is import substitution yet we give awards to those persons who do praiseworthy work. We have recently given award to some persons, but I do not exactly remember their names.

Shri Sharda Nand : I want to know whether there is any scheme of increasing production of aluminium, which is a substitute for copper ? I also want to know whether we will be able to produce same quality of steel which we have to import from abroad

Shri F. A. Ahmed : We are thinking as to how we can increase the production of aluminium. We are producing things of good quality and they can be compared with imported things.

डा० रानेन सेन : क्या यह सही है कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के तैयार किये जाने के बावजूद भी सरकार के अनुसंधान कर्मचारियों और व्यापार गृहों में समन्वय नहीं है ? यदि हां, तो आयात प्रतिस्थापन के लिये क्या सरकार अनुसंधान कर्मचारियों और व्यापार गृहों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकारी अनुसंधान केन्द्रों और गैर-सरकारी अनुसंधान केन्द्रों के बीच समन्वय की कमी है । जहां तक मुझे

विदित है, हमें देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान में सुधार करने के बारे में पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मेरा प्रश्न बहुत साधारण है । योजना आयोग के अनुसार हम आस्ट्रेलिया से 35 करोड़ रुपये की कीमत की ऊन आयात करते हैं । भारतीय भेड़ों की नस्ल में सुधार करने की योजना सरकार के सामने गत 10 वर्षों से है । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ताकि 35 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई जा सके ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच है कि ऊन की किस्म आयातित ऊन की किस्म के समान नहीं है । ऊन की किस्म और नस्ल में सुधार करने के लिये आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से भेड़ों के आयात करने का प्रस्ताव है । इस समय इस बारे में मेरे पास पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं है ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या आस्ट्रेलिया से भेड़ों का आयात करने में 10 वर्ष का समय लगेगा ?

श्री वेदव्रत बरुआ : इस बारे में सरकार की स्थिति बहुत अच्छी है । अधिकांश मामलों में जिस वस्तु का उत्पादन नहीं होता, उस वस्तु का आयात किया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कमी को पूरा किया जायेगा । जब किसी वस्तु के उत्पादन के मामले में देश में डिजाइन, इंजीनियरिंग और परामर्श सेवा उपलब्ध होती है तो क्या उसका उपयोग किया जाता है और क्या इसका सम्बन्ध देश की उत्पादन क्षमता और मांग से है । मेरे विचार से इस बारे में वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है ।

श्रीफखरुद्दीन अली अहमद : देश में उपलब्ध डिजाइन और परामर्श सेवा का लाभ उठाया जाता है ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : जहां तक पूंजीगत उद्योग का सम्बन्ध है जिस प्रकार आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम चल रहा है उससे विदित होता है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है । इस बारे में दो सामान्य शिकायतें हैं । पहली शिकायत यह है कि भारतीय पूंजीगत उपकरण का मूल्य आयातित उपकरणों की तुलना में दुगुना या तिगुना लिया जाता है । दूसरी शिकायत यह है कि इन विक्रेताओं द्वारा बिक्री के बाद उपकरणों की मरम्मत नहीं की जाती जिससे भारतीय उपकरण खरीदने वालों को बहुत असुविधा होती है और वे उपकरण महंगे पड़ते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डा० वान्च के नेतृत्व में हाल ही में लागत और मूल्य ब्यूरो की स्थापना की है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उक्त समस्त समस्याओं को उक्त ब्यूरों को सौंपेगी जिससे इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा सके ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच है कि देश में निर्मित कुछ पूंगीगत उपकरणों का मूल्य आयातित उपकरणों की तुलना में अधिक है । इसके बहुत से कारण हैं । मैं इनके सम्बन्ध

में अभी कुछ नहीं कहूंगा जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, उक्त मामले को निश्चित रूप से ब्यूरो को, जिसकी स्थापना की जा चुकी है। सौंपूगा और उसके सुझावों पर विचार किया जायेगा।

Shri Ram Charan : With regard to import substitution a number of business houses in the country have forwarded their suggestions that they can manufacture contributes, but the officers of this Government have deliberately put these items in the Public Sector where it will take a long time to materialise. I, therefore, want to know whether the Government would get these substitutes manufactured by those business houses on priority basis ?

Shri F. A. Ahmed : Permission is granted to those who want to manufacture substitutes but due care is also taken of the items being manufactured in the Public Sector.

Shri Ram Charan : Public Sector will take twenty years, whereas the business house can accomplish that task in a very short time.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बड़े औद्योगिक गृहों को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

*696. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 में राज्यवार कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये ;

(ख) उनके अन्तर्गत पूंजी की राशि कितनी थी ;

(ग) उपरोक्त अवधि में दिये गये कुल लाइसेंसों में राज्यवार 73 बड़े औद्योगिक गृहों को कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में दिये गये कुल औद्योगिक लाइसेंसों में राज्यवार टाटा, बिड़ला, गोयन्का और साहू जैन समवाय समूहों को कितने-कितने लाइसेंस दिये गये ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्यमंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा आता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3034/70]**

मध्यावधि निर्वाचन में हरिजनों को मताधिकार का प्रयोग करने से रोकना

*697. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि 1969 के दौरान मध्यावधि निर्वाचनों में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हरिजनों को मताधिकार का प्रयोग करने से रोका गया था ; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार अब ऐसे क्षेत्रों में चलते-फिरते मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है, जहां से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) हरिजन तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मतदाताओं को डराने धमकाने तथा उन पर बेजा दबाव डालने के बारे में कुछ शिकायतें निर्वाचन आयोग को मिली थीं।

(ख) निर्वाचन आयोग, उन क्षेत्रों में, जहां हरिजन तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मतदाताओं के डराए धमकाए जाने की संभावना है, अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिए जिन में चलते-फिलते मतदान केन्द्र भी हैं, प्रस्थापनाएं तैयार कर रहा है।

टाटा और बिड़ला उद्योग समूहों के विस्तार का उनके लाभों पर प्रभाव

*698. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा तथा बिड़ला उद्योग समूहों ने पिछले दो वर्षों में अपने विस्तार के लिए अपने लाभों की धनराशि को भी अपने उद्योगों में लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ने इस प्रकार पृथक-पृथक कितना धन लगाया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ओद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). बिड़ला तथा टाटा समूह की कम्पनियों द्वारा, 1968-69 में व्यवसाय में लगाये गये लाभ के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन कम्पनियों में से बहुतों को इस वर्ष के तुलन-पत्र अभी प्रस्तुत करने हैं। तथापि बिड़ला तथा टाटा के औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा, 1966-67 तथा 1967-68 में व्यवसाय में लगाया गया कुल लाभ, जैसा कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने, प्रदर्शित किया है, निम्न प्रकार है :—

	व्यवसाय में लगाया गया लाभ (करोड़ रु० में)	
	1966-67	1968-69
बिड़ला	15.40	12.73
टाटा	7.73	4.87

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Linking of Rambagh Station (Narrow-Gauge) with Allahabad Station (Broad-Gauge)

*699. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to connect the Rambagh Railway Station (Narrow-Gauge) in Allahabad with the Allahabad Station (Broad-Gauge) in view of the difficulties being faced by the passengers ;

(b) if so, the time by which it is likely to be connected ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) whether Government had formulated a scheme to connect these Stations ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). Presumably the reference is to the proposal for connecting Allahabad City Station (Metre Gauge) with Allahabad Junction Station (Broad Gauge). An investigation carried out in 1964 had revealed that the proposal is not justified as only a small number of passengers travel daily between these stations.

पारादीप में रेलवे बस्ती के लिए निविदा का रद्द किया जाना

*700. **श्री दे० अमात** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 के अन्त में पारादीप में प्रस्तावित रेलवे बस्ती के सम्बन्ध में 2 लाख रुपये की निविदा को मुख्य अभियन्ता, योजना तथा विकास ने रद्द कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसे रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कटक-पारादीप रेल सम्पर्क के सम्बन्ध में पारादीप बन्दरगाह पर कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए अगस्त, 1969 में एक टेंडर नोटिस जारी किया गया था जिसे, टेंडरों के वस्तुतः प्राप्त होने से पहले ही 13 अगस्त, 1969 को वापिस ले लिया गया था ।

(ख) कटक-पारादीप रेल सम्पर्क के सम्बन्ध में पिछले वर्ष के मध्य में कुछ पुनर्विचार करना पड़ा था । लेकिन इस टेंडर को बाद में अन्तिम रूप दे दिया गया है और स्वीकृति पत्र 27 जनवरी 1970 को जारी कर दिया गया ।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों में पूंजी निवेश में कमी

*701. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है कि पश्चिम बंगाल में उद्योगों में पूंजी-निवेश में बहुत कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पूंजी निवेश के अभाव से इस राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक असुन्तलन पैदा होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). यद्यपि पश्चिमी बंगाल में उद्योगों में किए जा रहे विनियोजन के परिमाण को आंका नहीं गया है । किन्तु 1969 में औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राप्त

आवेदन तथा जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या विगत दो वर्षों से अधिक थी और यह निम्नलिखित आंकड़ों से विदित हो जाएगी :

	1967	1968	1969
औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	86	96	110
जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या	30	18	26
जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	48	34	64

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली की सीमापुरी, सेलमपुर तथा गांधीनगर बस्तियों में हाल्ट स्टेशन

*702. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमुना पार बस्तियों में रहने वाले दिल्ली के 5 लाख से अधिक लोग वहां से दिल्ली तथा दिल्ली से वहां रेलों द्वारा आते जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यात्रियों की सदा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शाहदरा स्टेशन पर यात्रा सुविधायें बहुत ही कम हैं ;

(ग) क्या शाहदरा में इस समय भी सभी ट्रंक गाड़ियां नहीं रुकती हैं और यदि हां, तो क्या वहां पर सभी ट्रंक गाड़ियां रोकने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या मेरठ तथा दिल्ली के बीच लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक उपनगरीय गाड़ियां चलाने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सीमापुरी, सेलमपुर तथा गांधी नगर में हाल्ट स्टेशन खोलने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : जी हां, जमुना पार की बस्तियों में 3 लाख से अधिक आबादी होने का अनुमान लगाया गया है लेकिन इस बारे में रेलों के पास ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी नहीं, लेकिन मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) इस तरह की कुल 22 गाड़ियों में से लम्बी दूरी वाली केवल 7 डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर नहीं ठहरायी जातीं और इस स्टेशन पर इन्हें ठहराने की व्यवस्था करने का विचार नहीं है ।

(घ) इकहरी लाइन वाले गाजियाबाद-मेरठ खण्ड की लाइन क्षमता पर अधिक दबाव पड़ने के कारण इस समय मेरठ और दिल्ली के बीच और गाड़ियां चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

(ङ) जी नहीं । दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का उपनगरीय खण्ड अत्यधिक व्यस्त होने के कारण सीमापुरी, सेलमपुर और गांधीनगर में गाड़ी हाल्ट या फ्लैग स्टेशन खोलना परिचालन सम्बन्धी कारणों से व्यवहारिक नहीं है । वित्तीय दृष्टि से भी इन प्रस्तावों का औचित्य नहीं पाया गया है ।

Check on Theft of Railway Property

*703. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri N. R. Deoghare :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether effective measures have been taken to check the Railway property from being stolen ;

(b) the extent to which Railway property was stolen during the last year ; and

(c) whether it is a fact that if the Railway property is prevented from being stolen, Government would be able to save crores of rupees and it would not be necessary to increase the Railway fares ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) Railway property (owned by the Railways) worth Rs. 31.37 lakhs was stolen during the year 1969.

(c) Suitable preventive action is taken to check thefts. Though this cannot be completely fool-proof, yet the amount lost would not be so much as to save crores of rupees which would obviate the necessity of any increase in fares and freight.

नाथूराम मिर्धा बनाम गोवर्धन दास सोनी के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*704. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने नाथूराम मिर्धा बनाम गोवर्धन दास सोनी के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि कर दी है कि मतपत्रों में अनधिकृत रूप से फेरबदल किया गया है ;

(ख) क्या सरकार से मांग की गई है कि इस आरोप की जांच करायी आये ; और

(ग) क्या सरकार ने अब तक कोई जांच करायी है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) . जी हां ।

(ग) निर्वाचन आयोग ने इस विषय की पूर्णरूप से जांच कराने के लिए कार्यवाई की है जिससे कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार की बात भविष्य में न होने देने के लिए समुचित तथा प्रभावशाली कदम उठाया जा सके ।

तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को दी गई विशेष वार्षिक वृद्धियां

*705 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों अथवा उसके अधिक समय से अधिकतम वेतनमान पा रहे तीसरी और चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारी उन्हें दी गई विशेष वार्षिक वृद्धि को अपर्याप्त समझ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ ने इस बारे में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) . इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार एक नये वेतन आयोग की स्थापना के लिए घोषणा कर चुकी है, फिलहाल इस सम्बन्ध में सरकार का आगे कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है। इस सम्बन्ध में आल-इण्डिया रेलवेमेन्स फैडरेशन से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

Exemption of Industries upto a Capital of Rs. 5 crores from obtaining licence, in case of Indian Citizens residing abroad

*706. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Industial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while liberalising their licensing policy, Government have exempted the industries upto a capital of Rupees 5 crores from obtaining an Industrial licence ;

(b) whether it is also a fact that some foreign exchange restrictions have been imposed on this exemption ;

(c) whether the said restrictions would also be applicable to an Indian citizen residing abroad who would like to set up an industry with a capital of Rs. 5 crores out of his own foreign exchange ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

Ths Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). According to the modified industrial licensing policy recently announced by the Government, industrial undertakings with fixed assets in land, buildings, plant and machinery upto a value of Rs. 1 crore have been exempted from the licensing provisions of the Industries (Dev. and Reg.) Act, 1951, subject to certain conditio ns. Similarly, subject to certain conditions undertakings having fixed assets not exceeding Rs. 5 crores will not require a license for the purpose of expansion upto a maximum total further investment of Rs. 1 crore provided the value of fixed assets after such substantial expansion does not exceed Rs. 5 crores. One of the conditions subject to which industrial undertakings would be eligible

for such exemptions is that they do not require more than 10% of the increase in fixed assets by way of foreign exchange for import of machinery and equipment and they do not also require foreign exchange except marginally for import of raw materials etc. Further, certain categories of undertakings, such as foreign companies (including their branches or subsidiaries in India) would also not be eligible for such exemptions. A 'foreign company' would include all companies as have more than 50% of their paid up equity capital held by companies registered abroad or by non-Indian nationals or non-resident Indians. The shares held by non-resident Indians are also reckoned for this purpose in view of the foreign exchange implications by way of dividend remittances and the like.

पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा रूरकेला इस्पात कारखाने का दौरा

*707. **श्री रा० वे० नायक :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के विदेश मंत्री ने अपने देश के वित्त तथा तकनीकी विशेषज्ञों के साथ अभी हाल ही में भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या भारत सरकार तथा पश्चिम जर्मनी के इस प्रतिनिधिमंडल ने रूरकेला इस्पात कारखाने के विस्तार के बारे में विचार-विमर्श किया था ; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये सरकार ने पश्चिम जर्मनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) . पश्चिम जर्मनी गणराज्य संघ के विदेश मंत्री ने फरवरी, 1970 में भारत का दौरा किया था । रूरकेला इस्पात कारखाने के विस्तार के बारे में उनसे कोई बातचीत नहीं हुई ।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रूस से सप्लाई

*708. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जनवरी, 1970 में जारी की गई बोकारों इस्पात कारखाने की प्रगति रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसके उद्धरण 30 जनवरी, 1970 के "हिन्दू" में 'बोकारों के लिये सप्लाई में शीघ्रता करने का रूसी वचन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि ढांचों (स्ट्रक्चर्ल्स) के 10,066 टन के लक्ष्य में से जनवरी, 1970 तक बोकारो इस्पात कारखाने को केवल 3,700 टन ढांचे प्राप्त हुए हैं और ये ढांचे भी उस क्रम में नहीं थे जिसमें उनकी आवश्यकता थी ;

(ग) यदि हां, तो इन विलम्बों के क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में ऐसे विलम्ब न होने पावें, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या बोकारो इस्पात कारखाना कम से कम पुनरीक्षित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा और यदि हां, तो इसके कब तक चालू होने की आशा है और उसके पूरा होने अथवा प्रथम प्रक्रम तक कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) बोकारो स्टील लि० और सोवियत संगठन त्याजप्रामेक्सपोर्त के बीच हुए करार संख्या 7622-ओ० सी० के अनुसार रूसी संगठनों ने जुलाई, 1970 तक 17,708 टन इस्पात के ढांचे सप्लाई करने हैं। इस्पात के इन सभी का उपयोग ढांचों का उपयोग इस्पात पिघलाने वाले कारखानों के निर्माण में किया जाना है। जनवरी, 1970 के अन्त तक रूस से 6,900 टन न कि 3,700 टन ढांचे प्राप्त हो चुके थे लेकिन यह ठीक है कि निर्माण के लिये जिस क्रम में इनकी आवश्यकता थी उस क्रम में यह प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) बोकारो स्टील लि० ने रूसी संगठनों को माल के संभरण में शीघ्रता करने के लिये लिखा है। तब से लेकर माल के प्रेषण में सुधार हुआ है और फरवरी, 1970 के अन्त तक रूस से 8,100 टन इस्पात के ढांचे प्राप्त हुए हैं और 1400 टन और माल प्रेषण किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ) संशोधित अनुसूची के अनुसार प्रथम धमन भट्टी समूह का निर्माण दिसम्बर, 1971 तक और सम्पूर्ण प्रथम चरण का निर्माण मार्च 1973 तक पूरा होना है। बोकारों स्टील लि० के अनुमान के अनुसार प्रथम चरण पर कुल 760 करोड़ रुपये के लगभग खर्च होंगे।

उम्मीदवार की छह वर्ष की निरर्हता के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन

*709. **श्री मयाबन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाय गए किसी उम्मीदवार की छह वर्ष की निरर्हता सम्बन्धी खण्ड को समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू होगा ; और

(ग) क्या इस खण्ड को समाप्त करने पर निर्वाचन में होने वाले भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी द्वारा दी गई कमीशन की राशि

*710. **श्री देवेन सेन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर अपने स्टालों का संचालन करने के लिये मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी द्वारा कितनी कमीशन दी जाती है;

(ख) उक्त कम्पनी भारत में कुल कितने पुस्तक स्टालों का संचालन करती है;

(ग) मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी के एजेन्टों को कितने प्रतिशत कमीशन दी जाती है ;

(घ) क्या यह सच है कि विख्यात लेखकों की पुस्तकें तथा लोकप्रिय पुस्तकें एजेन्टों की मांग के अनुसार सप्लाई नहीं की जाती हैं; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी के सतर्कता निरीक्षक पुस्तक स्टालों से पत्रिकाएं इस दलील पर बलात् ले जाते हैं कि उन पर मोहर नहीं लगी हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1967, 1968 और 1969 में रेलवे स्टेशनों पर उनके एजेन्टों द्वारा संचालित पुस्तक-स्टालों के लिये इस कम्पनी ने उन्हें क्रमश: 10,76,046 रुपये, 9,83,882 रुपये और 11,78,035 रुपये कमीशन के रूप में दिये ।

(ख) इस कम्पनी द्वारा भारतीय रेलों पर 368 पुस्तक-स्टाल चलाये जाते हैं ।

(ग) कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(घ) सुप्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक तथा अन्य लोक प्रिय पुस्तकें पुस्तक-स्टाल के एजेन्टों द्वारा मंगाने पर या वैसे भी सामान्यत: उन्हें सप्लाई की जाती हैं ।

(ङ) मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के सतर्कता निरीक्षकों को कम्पनी द्वारा इस आशय की हिदायतें मिली हैं कि वे अनधिकृत बिना मोहर की पत्रिकाओं को हटा दें ताकि अनधिकृत बिक्री रोकी जा सके, क्योंकि उससे कम्पनी को राजस्व का घाटा होता है और रेलों को रायल्टी नहीं मिल पाती ।

विवरण

मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लि० द्वारा उनके पुस्तक स्टालों के एजेन्टों को सामान्यत: जो कमीशन दिया जाता है, उसकी दरें इस प्रकार हैं :

1. **उन पुस्तक स्टालों के लिये जिनकी मासिक बिक्री 5,000 रु० से अधिक है :**

   (i) बिक्री की निश्चित राशि जो भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर अलग-अलग होती है, पर 5 प्रतिशत ।

   (ii) निश्चित राशि से अधिक पर 10 प्रतिशत ।

(iii) पिछले वर्ष की बिक्री से अधिक पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत ।

2. **उन पुस्तक स्टालों के लिये जिनकी मासिक बिक्री 1,501 रुपये से 5,000 रुपये के बीच है :–**

(i) बिक्री की निश्चित राशि, जो भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर अलग-अलग होती है, पर 6 प्रतिशत ।

(ii) निश्चित राशि से अधिक पर 10 प्रतिशत ।

(iii) पिछले वर्ष की बिक्री से अधिक पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत ।

3. **उन पुस्तक-स्टालों के लिये जिनकी मासिक बिक्री 1,500 रुपये या इससे कम है :—**

(i) बिक्री की निश्चित राशि, जो भिन्न भिन्न स्टेशनों पर अलग-अलग होती है, पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ।

(ii) निश्चित राशि से अधिक पर 10 प्रतिशत ।

(iii) पिछले वर्ष की बिक्री से अधिक पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत ।

कमीशन के अतिरिक्त, कतिपय पुस्तक-स्टाल एजेन्टों को कुछ जेब-खर्च भी दिये जाते हैं ।

Memorandum by Railway Medical Officers' Union

*711. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri R. Barua :
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Doctors under the Railway Medical Service are submitting their resignations from their posts ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the Railway Medical Officers' Union (Railway Chikitsa Adhikari Sangh) has submitted any memorandum to him in this regard ;

(d) if so, the details of the demands made by them in the said memorandum and the reaction of Government thereto ; and

(e) whether it is also a fact that in case such discontentment continued to prevail among the Railway Medical Officers, it would adversely affect the Railway Medical Service ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The resignations were mainly due to personal/domestic reasons, for higher studies within the country or outside and going abroad for bettering their prospects.

(c) Yes.

(d) The main demands made in the said Memorandum are as under :

(i) Introduction of the scale of Rs. 450-1250, as in the Central Health Services, as an avenue of promotion for Assistant Medical Officers, Class II.

(ii) Introduction of a Specialists' Cadre of Rs. 600-1300, as in the Central Health Services.

(iii) Increase in the percentage of higher grade posts so as to provide better avenue of promotion.

The organisational structure and pattern of pay scales of the Railways are different from that of Central Health Services. Railways are organised on a divisional pattern and Divisional Officers who are in the Senior Scale (Rs. 700-1250) work under the Divisional Superintendent. Assistant Officers in Junior Scale (Rs. 400-950) or Class II (Rs. 350-900) work under the Senior Scale Offiers. It would not be possible to adopt, exclusively for Railway Medical Officers, the scales of pay as obtaining in the Central Health Services. It is also not possible to create a large number of higher grade posts in Class I for the Medical Department, particularly in view of the present financial position of Railways.

(e) It is not anticipated that the Railway Medical Service would be seriously affected by the resignations ; the vacancies caused by resignations are being filled by regular recruitment through the Union Public Service Commission. Railway Administrations are also empowered to make ad hoc recruitment of doctors till Union Public Service Commission nominees become available.

भारतीय रेलवे के प्रबन्ध कार्य में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

*712. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे रेलवे बोर्ड में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि नियुक्त करके कर्मचारियों को भारतीय रेलवे के प्रबन्ध कार्य से सम्बद्ध करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र

*713. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशील नैयर :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश में नये उद्योगों के स्थापनार्थ लाइसेंसों के लिये उपरोक्त राज्य से बहुत से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के पास कितने आवेदन-पत्र भेजे गये और किन-किन उद्योगों के लिये ;

(ग) कितने तथा किन-किन आवेदकों को लाइसेंस जारी किये गये हैं और कितने आवेदन पत्र विचाराधीन है तथा अस्वीकृत किये गये हैं ; और

(घ) प्रत्येक मामले में आवेदन-पत्र किन कारणों से अस्वीकृत किये गये और शेष आवेदन-पत्रों पर निर्णय कब तक किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।**[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3035/70]**

टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर

*714. **श्री देविन्दर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर का आधुनिकीकरण करने के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ;

(घ) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(ङ) टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर को मई, 1969 में अब तक मिले क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). टेनरी तथा फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० कानपुर के आधुनिकी करण करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) 21-3-1970 तक 107.18 लाख रु० के मूल्य के कुल आर्डर प्राप्त हुए हैं।

Extension and Improvement of Jhansi-Bombay and Allahabad-Bombay Railway Lines

*715. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a scheme has been incorporated in the Fourth Five Year Plan for the extension and improvement of the Jhansi-Bombay and Allahabad-Bombay Railway lines in the Central Railway; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) and (b). The Railways' Development Programme is an integrated plan on all-Railway basis. Provision of facilities on individual sections is undertaken based on the development of traffic and relative priorities within the over all resources. Improvements planned and under way on the Jhansi-Bombay and Allahabad-Bombay routes are given in a statement laid on the Table of the House. **[Placed in Libaary. See No. LT-3036/70]**

विभिन्न रेलवे जोनों में विद्युत चालित रेलगाड़ियां चलाना

*716. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक जोन में इस समय कितनी विद्युत-चालित रेलगाड़ियां चल रही हैं ;

(ख) चौथी योजना में प्रत्येक जौन में अनुमानत: कितनी रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ग) चौथी योजना में इस प्रयोजन के लिये कितना व्यय करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इस समय प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर जितनी बिजली गाड़ियां चल रही हैं उनकी दैनिक औसत संख्या इस प्रकार है :

मध्य रेलवे	859
पूर्व रेलवे	743
उत्तर रेलवे	83
पूर्वोत्तर रेलवे	कोई नहीं
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	कोई नहीं
दक्षिण रेलवे	262
दक्षिण मध्य रेलवे	कोई नहीं
दक्षिण पूर्व रेलवे	484
पश्चिम रेलवे	442
जोड़	2873

(ख) और (ग) . रेलवे की चौथी पंचवर्षीय योजना में 1973-74 में कुल प्रारम्भिक माल यातायात 2650 लाख मीटरिक टन होने की परिकल्पना की गयी है । इस योजना अवधि के दौरान अनुपनगरीय यात्री यातायात में 23 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है । उप-नगरीय यातायात में कुछ अधिक वृद्धि होने की आशा है । प्रत्याशित अतिरिक्त यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिये जितनी नयी बिजली गाड़ियां चलानी पड़ेंगी अभी उनकी संख्या का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि यह बात अलग-अलग खण्डों की समय-समय पर यातायात सम्बन्धी जरूरतों पर निर्भर करेगी । फिर भी रेलवे की चौथी योजना के कार्यक्रम में बिजली चल-स्टाक, जैसे बिजली रेल इंजनों और बिजली डिब्बों की अधिप्राप्ति के लिए 92 करोड़ रुपये और विजलीकरण योजनाओं के लिये 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

इंडियन वेजीटेबल प्राडक्ट्स लिमिटेड तथा गोंकक मिल्स के पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

*717. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्डियन वेजीटेबल प्राडक्ट्स लिमिटेड तथा गोंकाक मिल्स

के पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में किसी संसद्-सदस्य से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ;

(ग) क्या इससे सरकारी परिपत्र का उल्लंघन हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) समवाय विधि बोर्ड ने गोंकक मिल्स लिमिटेड को अध्यक्ष (चेयरमैन) 'उपाध्यक्ष' (वाइस चेयरमैन) और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है । उनके नाम और विवरण निम्नलिखित है :

श्री एफ० एच० केम्पले (अध्यक्ष) : 3000 रुपये प्रतिमास वेतन तथा परिलब्धियों सहित 1.1.1970 से तीन वर्ष के लिये नियुक्ति ।

श्री जी० खंडवाल (उपाध्यक्ष) : 2000 रुपये प्रति मास वेतन तथा परिलब्धियों सहित 1.1.1970 से 5 वर्ष के लिए नियुक्ति ।

श्री डी० जे० मदान (प्रबन्ध निदेशक) : 5000–250–6000 रुपये प्रति मास वेतन तथा परिलब्धियों सहित 1.1.1970 से पांच वर्ष के लिए नियुक्त ।

प्रत्येक मामले में जिन परिलब्धियों का अनुरोध किया गया था, वे चिकित्सा व्ययों, सेवा-निवृत्ति लाभों, छुट्टी वेतन तथा बोनस आदि के बारे में थी ।

इन्डियन वेजीटेबल प्राडक्ट्स लिमिटेड के बारे में समवाय ने श्री जी० खंडवाल को प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा है । कथित प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जा रहा है और समवाय से अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में परियोजना-प्रतिवेदन

*718. **श्री रवि राय** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार करने के बारे में भारत सरकार ने 1964 में दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ समझौता किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कम्पनी ने सरकार को याद दिलाया है कि रूस द्वारा प्रस्तुत किया गया बोकारो परियोजना-प्रतिवेदन बहुत मंहगा पड़ेगा और इससे बहुत अपव्यय होगा ।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्म मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। 1964 में बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण न कि विस्तार विचाराधीन था। प्रायोजना के निर्माण के लिए एक परामर्श-समझौता करने के विचार से अप्रैल, 1964 से पूर्व कई महीनों तक मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ वार्ता चलती रही परन्तु उन परिस्थितियों के कारण जिनका उल्लेख दिनांक 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3922 के उत्तर में किया गया है, इस वार्ता को कानूनी करार का रूप नहीं दिया जा सका।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सोवियत संगठन द्वारा प्रस्तुत किये गये बोकारो प्रायोजना प्रतिवेदन को एक तकनीकी समिति द्वारा जांच किए जाने और मंजूर किए जाने के पश्चात् कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया था ? इस समिति में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधि भी शामिल थे। तत्पश्चात मैसर्स दस्तूर-एण्ड कम्पनी ने लागत में कमी करने के बारे में कुछ सुझाव दिए थे और उन पर रूसी विशेषज्ञों के साथ पूर्ण विचार-विमर्श किया गया था। इस विचार विमर्श के फलस्वरूप, जिसमें मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी भी शामिल थे, लागत में 11.4 करोड़ रुपये की कमी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

रेलवे में ईंधन की खपत में मितव्ययता के सुझाव

*719. **श्री स० कुन्दू** : : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के एक अध्ययन दल ने और लोक लेखा समिति ने रेलवे में ईंधन की खपत में मितव्ययता करने के तरीके सुझाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य सुझाव क्या हैं ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। रेलवे बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए एक अध्ययन दल ने डीजलीकरण और विद्युतीकरण में उत्तरोत्तर वृद्धि होने से कुछ रेलों पर कोयले की खपत पर असर डालने वाले विभिन्न तथ्यों के प्रभाव की जांच की थी और निवारक उपाय बरतने की दृष्टि से ऐसे तथ्यों के मात्रामूलक प्रभाव का मूल्यांकन करने की एक रीति का सुझाव दिया था। लोक लेखा समिति (चौथी लोक सभा) ने अपनी 60वीं रिपोर्ट में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अध्ययन दल की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया था।

(ख) और (ग) . एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें अध्ययन दल और लोक लेखा समिति के प्रमुख सुझाव और उन पर की गयी कार्रवाई दिखाई गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3037/70]**

Shifting of Offices by Indian Chambers of Commerce out of West Bengal

*720. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a news has appeared in the daily Hindustan dated the

28th February, 1970 to the effect that the Indian Chambers of Commerce has threatened to shift its main offices outside West Bengal;

(b) whether the said threat is an organised conspiracy against the West Bengal Government;

(c) whether the Central Government propose to take some steps to avert the said threat;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (e). According to the report which appeared in the 'Hindustan' dated the 28th February 1970, the Indian Chambers of Commerce stated that big business houses may shift their head offices from West Bengal; the President of the Chamber issued a Press release that some of the business houses had already started shifting their head offices and that if the situation in the State did not improve, more offices might shift from the State.

हरियाणा और पंजाब में हाल में हुए आन्दोलन में घायल हुए रेलवे अधिकारी

4526. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा और पंजाब में हाल में हुए आन्दोलन में कुल कितने रेलवे अधिकारी घायल हुए ; और

(ख) उन्हें कितना प्रतिकर दिया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) छः ।

(ख) किसी घायल कर्मचारी को मुआवजा नहीं दिया गया है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 (ख) की व्यवस्था

4527. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राज्य से राज्य सभा की सदस्यता के लिए अर्ह होने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 (ख) में 'किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी' शब्दों से कितनी न्यूनतम कालावधि की अपेक्षा अथवा अभिप्राय है ;

(ख) क्या उपरोक्त के सम्बन्ध में न्यूनतम अवधि निर्धारित करने के बारे में अब तक कोई न्यायिक उद्घोषणाएं की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कब और सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा पक्षकारों के नाम क्या हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 (ख) में "किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी" शब्दों से ऐसी कोई न्यूनतम कालावधि, जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित करने वाली हो, न तो विवक्षित है और न

अपेक्षित है। "मामूली तौर से निवासी" पद के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिए गए अर्थ को छोड़कर कोई भी कड़ा या निश्चित नियम इस बात को निश्चित करने के लिए नहीं है कि कोई मामूली तौर से निवासी कितने समय रहा है। यह ऐसा प्रश्न है जो संबद्ध तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना है। "मामूली तौर से निवासी" को परिभाषित करने के लिए कोई भी नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंजीनियरी सेना परीक्षाओं के लिये आयु सीमा में छूट

4528. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि संघ लोक सेवा आयोग की इन्जीनियरी सेवा परीक्षाओं के लिए आयु सीमा 25 वर्ष से 27 वर्ष कर दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस वर्ष अथवा अगले वर्ष से इस सिफारिश को क्रियान्वित करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्जीनियरी सेवा में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की आयु सीमा में छूट के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने यदि कोई विशिष्ट सिफारिशें की हैं तो उनका ब्योरा क्या है तथा श्रेणी दो टेलीग्राफ इन्जीनियरी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए नवीनतम नियम तथा विनियम क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ा कर 26 कर दी जाए। इस सिफारिश पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

तार इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी II के भर्ती नियम में सीधी भर्ती के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

रूरकेला इस्पात कारखाने में खुदाई के लिये अधिक राशि का भुगतान किया जाना

4529. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में खुदाई के लिए 6 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो भुगतान कब किया गया था ;

(ग) ठेकेदारों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितना भुगतान किया गया था ;

(घ) इन्जीनियर तथा आन्तरिक लेखा-परीक्षकों की निगरानी होने पर भी इतनी बड़ी अधिक राशि का किस प्रकार भुगतान किया जा सका ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है, और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अतिरिक्त भुगतान का ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) से (ङ) . प्रश्न नहीं उठते ।

भिलाई इस्पात कारखाने में इस्पात की चोरी के मामले

4530. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 और 1969 में भिलाई इस्पात कारखाने में इस्पात की चोरी के कितने मामले हुये और चोरी हुए इस्पात का मूल्य कितना था ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा दल ने हाल में सरोना यार्ड में फेंका गया पांच ट्रक लोहा पकड़ा था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भिलाई इंजीनियरिंग वर्क्स यूनियन के प्रधान तथा विभिन्न कार्मिक संघों के कुछ पदाधिकारियों द्वारा चोरियों की विशिष्ट शिकायतें किए जाने पर भी अधिकारियों ने उनकी शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया ; और

(घ) भविष्य में चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही की नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1968 और 1969 में भिलाई इस्पात कारखाने से चोरी की किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई परन्तु कच्चे लोहे रेलवे प्लेट आयरन एंगल्स और स्टापर राड आदि की चोरी की कुछ घटनाओं की रिपोर्ट मिली थी जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	सुरक्षा विभाग द्वारा दर्ज किये गये मामले	चोरी हुई सम्पति का मूल्य	बरामद की गई सम्पति का मूल्य
1968	9	रु० 760/-	रु० 760/-
1969	4	रु० 9870/-	रु० 9870/-

सभी मामलों में चोरी की गई सम्पति बरामद कर ली गई है ।

(ख) पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार रेलवे पुलिस ने कुछ कच्चा लोहा और कुछ परिरूपित वस्तुएं रायपुर के निकट सरोना में पकड़ी थीं । यह माल भिलाई इस्पात कारखाने का नहीं था ।

(ग) भिलाई इस्पात कारखाने में भिलाई इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन के नाम की कोई यूनियन नहीं है और न ही कारखाना प्राधिकारियों को किसी दूसरी यूनियन से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(घ) चोरी के सभी मामलों की सूचना निर्गम द्वारों पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को तत्काल दे दी जाती है और वे उचित कार्यवाही करते हैं । सुरक्षा कर्मचारियों की गश्त के अलावा सुरक्षा अधिकारी आकस्मिक जांच-पड़ताल भी करते हैं ।

रेलवे डाक्टरों की सेवा की शर्तें

4531. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने रेलवे डाक्टरों ने त्यागपत्र दिए ;

(ख) रेलवे डाक्टरों की संख्या, उनके वेतनमान और उपलब्धियां क्या हैं और उनकी सेवा की शर्तें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा डाक्टरों अथवा अन्य रेलवे अधिकारियों के समान न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) रेलवे चिकित्सा अधिकारी संस्था की अविलम्ब मांगें क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार रेलवे चिकित्सा सेवा को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में मिलाने पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 192

(ख) रेलवे चिकित्सा सेवा के राजपत्रित पदों की संख्या 2011 है । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें रेलवे डाक्टरों के वेतनमान और दूसरी उपलब्धियां दिखाई गई हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3038/70]** रेलों का संगठनात्मक ढांचा और इसके वेतनमानों का स्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं से भिन्न है । रेलों का गठन मण्डलीय आधार पर किया गया है और 700-1250 रुपये के वरिष्ठ वेतनमान में मण्डल अधिकारी मण्डल अधीक्षक के अधीन काम करते हैं । कनिष्ठ वेतनमान (400-950) अथवा द्वितीय श्रेणी (350-900 रु०) में सहायक अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के अधीन काम करते हैं । इसलिये केवल रेलवे चिकित्सा अधिकारियों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अनुरूप वेतनमान आरम्भ करना सम्भव नहीं है । केवल मात्र पदोन्नति सरणि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से डाक्टरों के लिये अधिक संख्या में प्रथम श्रेणी के ऊंचे ग्रेड के पदों का सृजन करना भी सम्भव नहीं है । पदों का सृजन या उनका ग्रेड बढ़ाना केवल कार्यभार के आधार पर किया जाता है और बड़े पैमाने पर पदों का ग्रेड बढ़ाना/श्रेणी I के राजपत्रित पदों का सृजन करना विशेषकर रेलवे की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए सम्भव नहीं समझा जाता ।

(ग) उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(i) सहायक चिकित्सा अधिकारियों (द्वितीय श्रेणी) के लिये पदोन्नति सरणि के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अनुरूप 450-1250 रुपये का वेतनमान आरम्भ किया जाये ।

(ii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अनुरूप 600-1300 रुपए का विशेषज्ञ संवर्ग आरम्भ किया जाए ।

(iii) पदोन्नति की बेहतर सरणि की व्यवस्था करने के लिये ऊंचे ग्रेड के पदों का प्रतिशत बढ़ाया जाये ।

(घ) रेलवे चिकित्सा सेवा का केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में विलय करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा रेलवे की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर सकती ।

फिल्म कम्पनियों की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी

4532. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थापना के समय और 31 मार्च, 1969 को इन चार फिल्म कम्पनियों अर्थात ए० वी० एम० लिमिटेड, आल इंडिया फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, गुडविल इंडिया लिमिटेड और ग्रेड आर्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी ;

(ख) इन कम्पनियों को 1969 तक सरकार बैंकों अथवा अन्य लोगों से पृथक-पृथक कितनी राशि के ऋण प्राप्त हुए ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों द्वारा कितना ब्याज दिया गया ;

(घ) उक्त कम्पनियों के निदेशकों और अंशधारियों के नाम और पते क्या हैं ;

(ङ) उक्त अवधि में उनके कार्यसंचालन के परिणाम क्या हैं और 1969-70 के बारे में क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ङ). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

गुजरात का आर्थिक सर्वेक्षण

4533. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार की सहायता से गुजरात का आर्थिक सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में ब्योरा क्या है ;

(ग) तीन पंचवर्षीय योजनाओं में योजनावार गुजरात में कितने बड़े उद्योग स्थापित किये गये ;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य में कुछ क्षेत्र औद्योगिक विकास के लिये पूर्ण रूप से उपयुक्त हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये चौथी योजना में कोई प्रस्ताव शामिल किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में गुजरात राज्य में एक केन्द्रीय सरकार की परियोजना की स्थापना की गई थी जिसका नाम कोयाली तेल शोधक कारखाना है । गैर सरकारी क्षेत्र में बड़ौदा के निकट एक उर्वरक कारखाना 1967 में चालू किया गया था ।

(घ) और (ङ). औद्योगिक विकास के प्रायोजन में समूचे राज्य को एक इकाई माना जाता है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा प्रकाशित "चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 प्रारूप" के पृष्ठ 253-260 पर दिखाई गई हैं । ऐसी परियोजनाएं जिनके स्थापना स्थल के बारे में निर्णय कर लिया गया, उसमें गुजरात राज्य में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय सरकार की परियोजनाएं गुजरात एरोमेटिक परियोजना कोयाली, तथा एथिलीन, प्रोपलीन वेनजीन एस्ट्रेक्शन बुटाडीन (जिसमें संश्लिष्ट रबड़ भी सम्मिलित है, के उत्पादन के लिये गुजरात नेप्था क्रेकर कोयाली हैं । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र में जिसमें केन्द्रीय सरकार भी भागीदार होगी, एक अल्युमीना परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

लघु उद्योग क्षेत्र में राज्य सरकार के कहने पर राज्य उद्योग विकास संगठन ने बनासकांठा, भावनगर, बुलपर, जूनागढ़ और सबरकांठा के जिलों का सर्वेक्षण किया है । इन सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में मांग, क्षेत्रों के संसाधनों की विशेषताएं और उन क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाले प्रत्याशित लघुउद्योगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है ।

गुजरात में उद्योगों के लिये लाइसेंस

4534. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये उद्योग स्थापित करने के हेतु लाइसेंसों के लिये 1969-70 में गुजरात से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) कितने आवेदनकर्ताओं को और किन-किन उद्योगों के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). वर्ष 1969 और 1970 में (28-2-70 तक) गुजरात में नये

औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेन्सों के लिए 92 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 55 आवेदन-पत्र गत 6 महीनों में प्राप्त हुए। 3 आवेदन-पत्र आवेदकों द्वारा वापस ले लिये गये हैं और 15 आवेदन-पत्र रद्द किये जा चुके हैं। 5 आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं। ये आवेदन प्लास्टिक संसाधित खाद्य पदार्थ, रंग और लोहा व इस्पात उद्योगों के बारे में हैं। शेष आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिनमें से 17 आवेदन-पत्रों पर लाइसेंस समिति ने विचार कर लिया है और आशा है कि कुछ ही समय में आवेदक फर्मों को समिति के निर्णयों की सूचना भेज दी जायेगी। इसके अलावा, जो आवेदन-पत्र 1 जनवरी 1969 से पहले प्राप्त हुए थे उनके बारे में 1969 में गुजरात में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये 5 लाइसेंस दिये गये थे।

गुजरात में औद्योगिक परियोजनाएं

4535. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली स्वीकृत अथवा लाइसेंस दी गई औद्योगिक परियोजनाओं के नाम और संख्या क्या है ; और

(ख) क्या वे राज्य में समान रूप से फैली हुई होगी अथवा केवल एक अथवा दो जिलों में केन्द्रित होंगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 1-4-1969 से 28-2-1970 की अवधि में गुजरात के लिये 19 औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए। लाइसेंस प्रदान किये गये औद्योगिक एककों के प्रस्तावित स्थापना स्थल को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। करीब 50 प्रतिशत लाइसेंस बड़ौदा अथवा अहमदाबाद में स्थापित किये जाने के लिये हैं। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में गुजराज ऐरोनाटिक प्रोजेक्ट और गुजरात नेप्था क्रेकर प्रोजेक्ट कोयली को भी चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इस राज्य में अल्यूमिनियम का एक संयन्त्र लगाने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	स्थापना स्थल (गुजरात में)
1.	मे० सुहिद गिगी लि०	रनौली, बड़ौदा
2.	मे० सौराष्ट्र केमिकल (प्रो० जियाजी राव काटन मिल्स लि०)	तहसील पोरबन्दर
3.	मे० भूपिन्द्रा कुमार नवनीतलाल एण्ड कं०	अहमदाबाद
4.	मे० महेन्द्रा आयल केक एण्ड इण्ड० (प्रा०) लि०	बीकानेर
5.	श्री नेमचन्द्र कर्मशी शाह, द्वारा राजा ट्रेडिंग कं० बम्बई	अहमदाबाद

6.	मे० पायनीर इक्विपमेंट कं० प्रा० लि०	बड़ौदा
7.	मे० साराभाई मैरक लि०	बड़ौदा
8.	मे० सूरत डिस्ट्रक्ट कं० आपरेटिव मिल्स प्रोडयूसर्स यूनियन लि०	सूरत
9.	मे० सिब्राटोल लि०	अट्ल, जिला बुलसर
10.	मे० इंडो निघन कैमिकल	कोयाली
11.	मे० साबरकनाथ जिला उत्पादकारी को-आप० स्पिनिंग मिल्स लि०	हिम्मतनगर
12.	मे० चरोतर सहकारी खण्ड उद्योग लि०	कैरा
13.	मे० सुर्हद गिगी लि०	रनौली बड़ौदा
14.	श्री मोदू तिम्बलो	भावनगर
15.	मे० अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स	अहमदाबाद
16.	मे० अलैम्बिक कैमिकल वर्क्स कं० लि०	बड़ौदा
17.	मे० भूपेन्द्र कुमार नवनीतलाल एण्ड कं०	अहमदाबाद
18.	मे० श्री खेदुत सहकारी खण्ड उद्योग मण्डल लि०	बारडोली
19.	मे० गोल्डन टोबेको कं० प्रा० लि०	बड़ौदा

जहानाबाद रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) का विकास

4536. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब-डिवीजनल हेडक्वार्टर बनने के कारण, जहानाबाद के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या रेलवे की गया-पटना सेक्शन में जहानाबाद स्टेशन पर तथा जहानाबाद फोर्ट पर भी रेलवे स्टेशन का क्षेत्र बढ़ाने की योजनाएं हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त दो स्टेशनों पर वर्तमान स्टेशन मास्टर्स आफिस, यात्री टिकट परीक्षक कार्यालय, प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय आदि जोकि अस्तव्यस्त पड़े हैं और मुख्य प्लेटफार्म से दूर हैं, के स्थान पर मुख्य प्लेटफार्म में स्टेशन मास्टर्स आफिस, यात्री टिकट परीक्षक कार्यालय, प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय आदि का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उनको पूरा करने की सम्भावित तारीख क्या है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर नकारात्मक हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) जहानाबाद स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का कार्यालय और ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय,

तथा इसी प्रकार जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का कार्यालय प्लेटफार्म को जाने वाले मुख्य प्रवेश द्वार के बिलकुल साथ बने हुए हैं।

इस समय जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर जितना यातायात होता है, उसे देखते हुए यहां एक ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय बनाने का औचित्य नहीं समझा जाता। साथ ही, जहानाबाद या जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर चल-टिकट परीक्षकों के लिए एक अलग कार्यालय की व्यवस्था करने का भी औचित्य नहीं है।

गया-नवादा तथा क्यूल-भागलपुर सेक्शनों (पूर्व रेलवे) पर हावड़ा तक तेज गाड़ियां चलाने की मांग

4537. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया-नवादा तथा क्यूल-भागलपुर सेक्शनों पर तथा हावड़ा तक अप और डाउन तेज मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने का पूर्व रेलवे का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उक्त सेक्शनों पर ऐसी रेल सेवाओं के लिए मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि उनमें से कुछ सेक्शनों पर तेज रेलगाड़ियों के कम होने के कारण दूरस्थ स्थानों के लिये मिलाने वाली रेलगाड़ियां उनसे छूट जाने से दूरस्थ स्थानों को जाने वाले यात्रियों का बहुत समय नष्ट होता है ;

(ग) यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा के लिये ऐसी रेलगाड़ियों की कब तक व्यवस्था की जायेगी ; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) एक ओर हावड़ा और गया के बीच तथा दूसरी और हावड़ा और कियूल के बीच बड़ी संख्या में डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां उपलब्ध हैं। नवादा-गया खण्ड के यात्री गया में और भागलपुर-कियूल खण्ड के यात्री कियूल में इन गाड़ियों का उपभोग कर सकते हैं। भागलपुर-कियूल खण्ड के यात्रियों के लिए एक सीधी एक्सप्रेस गाड़ी अर्थात् 13 अप/14 डाउन अपर इंडिया एक्सप्रेस भी उपलब्ध है। नवादा-गया खण्ड के यात्रियों के लिए भी दो जोड़ी सीधी सवारी गाड़ियां अर्थात् 337 अप/338 डाउन और 331 अप/332 डाउन उपलब्ध हैं। नवादा-गया खण्ड से हावड़ा के लिए सीधे एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

पटना और जहानाबाद के बीच शटल सेवा को गया जंकशन तक बढ़ाना

4538. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पटना-जहानाबाद शटल रेलगाड़ी को गया जंकशन तक बढ़ाने और

वापसी पर वहां से चलाने के लिये पूर्व रेलवे को बहुत सी प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में रेलवे ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यह शटल रेलगाड़ी अप और डाउन सेवा में कब तक गया तक बढ़ा दी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). पटना-जहानाबाद शटल को गया तक बढ़ाने के अनुरोध की जांच की गयी है, लेकिन जहानाबाद-गया खण्ड पर प्रत्येक ओर से चल रही वर्तमान 5 खण्डीय सवारी गाड़ियों के कम उपयोग को देखते हुए इसका औचित्य नहीं पाया गया है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

9 मार्च, 1969 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों की बहाली

4539. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ए० आई० आर० एफ० के 'इंडियन रेलवे मैन' के नवम्बर, 1969 के अंक में पृष्ठ 5 पर प्रकाशित हुई दक्षिण-पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ की मांगों की ओर दिलाया गया है कि 25 अगस्त, 1969 के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार जिसके अन्तर्गत सेवा समाप्त किये जाने की तिथि को ध्यान में न रखते हुए सभी बर्खास्त रेलवे कर्मचारी बहाली के अधिकारी थे, 9 मार्च, 1969 की रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेने वाले बर्खास्त किये गये शेष सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और कितने रेलवे कर्मचारियों को सेवा में वापस लिया गया है ;

(ग) यदि कोई कर्मचारी सेवा में वापस नहीं लिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसे सभी कर्मचारियों को कब तक बहाल कर दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). उल्लिखित मांगों का ब्योरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसकी जांच की जायेगी ।

औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था सम्बन्धी दल समिति की सिफारिशें

4540. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रिमण्डल समझता है कि औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था सम्बन्धी दत्त समिति की सिफारिशें संवैधानिक रूप में सरकार की विधायी शक्ति में नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्योरा क्या है, उनके बारे में सरकार को क्या संशय है और उनका क्या हल सोचा गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ऐसा नहीं समझती कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशें संसद की विधायिनी क्षमता से मेल नहीं खातीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Development Scheme for Backward Districts in the Country

4541. **Shri Nageshwar Dwivedi**: Will the Ministry of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to implement a new programme in some backward districts of the country by bringing the said districts under a special development scheme because of their backwardness and, if so, the details of the said scheme ;

(b) the names of the districts which are being covered under the said scheme and their number, State-wise ; and

(c) whether the State-wise list of the backward district has been formulated on the recommendations of the State Governments ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad): (a) Yes, Sir. In lieu of the various financial incentives recommended by the Plan Working Group on Fiscal and Financial incentives for starting industries in backward areas, the Government propose to give an outright grant or subsidy amounting to one-tenth of the total fixed capital investment of new units, having a total fixed capital investment of not more than Rs. 50 lakhs each, in two selected district, of each of the nine States identified as industrially backward by the Working Group on Identification of Backward Areas, and one district each of the other States and Union Territories. Schemes and projects for new units involving fixed capital investment of more than Rs. 50 lakhs are to be considered on merit. Certain other recommendations made by the Working Group pertaining to assistance in foreign exchange for import of capital equipment for industries located in the backward areas, and transport subsidy are under active consideration of the Government.

(b) and (c). The State Governments/Union Territory Administrations have been requested to select industrially backward districts for special treatment. Replies from some of them have been received ; the defaulting ones have been requested to expedite their replies. In view of this position it is not possible, at this stage, to name the districts identified as backward.

गुड़ का वायदा बाजार

4542. **डा० सुशीला नैयर** : **श्रीमती सावित्री श्याम** :
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री न० रा० देवघरे** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि गुड़ का वायदा बाजार किये जाने की अनुमति दी जाये ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वस्तु के वायदे बाजार किये जाने की अनुमति दी है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारत सरकार से गुड़ के वायदा सौदों की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की थी ;

(ख) जी, हां ।

(ग) गन्ने की अधिक फसल तथा परिणामस्वरूप गुड़ की कीमत में गिरावट को देखते हुए भारत सरकार ने गुड़ में वायदा बाजार पर लगाए गए प्रतिबन्ध उठाने का निश्चय किया है ।

Setting up of Boiler Plants in Malaysia

4544. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has got a contract to instal boiler plants at power stations in Malaysia ; and

(b) if so, the value of the said contract and the profit likely to accrue after the completion of the said contract ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) The National Electricity Board of Malaysia has accepted the offer of High Pressure Boiler Plant, Tiruchi of Bharat Heavy Electricals Limited for supply, erection and commissioning of 2 Nos. 550,000 lbs/hr. boilers.

(b) The total value of the contract in Malaysian Dollars 9,242,004.00 i. e. Rs. 2.27 crores (approximately).

As the profit for each item of production at the Unit is not estimated separately, it is not possible at this stage to assess the profit likely to accrue after the completion of the said contract.

सरकारी क्षेत्र में एक केबल कारख़ाना स्थापित करना

4545. **श्री स० कुन्दू** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक अन्य 'केबल' कारखाना स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने प्रतिकूल टिप्पणी की है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ; और

(ग) उक्त कारखाना कब स्थापित किया जायेगा और कहां स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). आरम्भ में उचित स्थल चुनने के कारण विलम्ब हुआ क्योंकि विभिन्न राज्यों में स्थलों का अध्ययन करना पड़ा । जब स्थल का चुनाव कर लिया गया तो गैर-सरकारी क्षेत्र के कई कारखानों से ये अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि दूर संचार केबलों के उत्पादन के लिए उन्हें

अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी जाये क्योंकि पावर केबलों की मांग कम हो गयी थी । इस बीच यह निश्चय किया गया है कि केबल सरकारी क्षेत्र में ही दूर संचार केबलों की क्षमता का विकास किया जाये और मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लि० ने हाल ही में हैदराबाद में दूसरे कारखाने के लिए परियोजना रिपोर्ट में संशोधन किया है, जिसके बारे में जांच की जा रही है ।

हरियाणा में मद्य निषेध समाप्त करना

4546. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्रीमती सुशीला नैयर :**
श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा ने अप्रैल, 1970 से शराब-खोरी पर से पाबन्दी हटाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के इस निर्णय से केन्द्रीय सरकार का राज्यों को मद्य-निषेध लागू करने के लिये सहायता देने में कितना बोझ कम हो जायेगा ; और

(ग) क्या हरियाणा के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों ने भी ऐसा कोई निर्णय किया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हरियाणा में पूर्ण मद्य निषेध कभी भी लागू नहीं किया गया था । प्रति सप्ताह शुष्क दिनों की संख्या को धीरे-धीरे बढ़ाकर क्रमिक रूप से मद्य निषेध को लागू किए जाने से राजस्व की हानि के हेतु 50 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की पेशकश को राज्य सरकार ने स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की थी । सरकार ने शुष्क दिनों की संख्या को धीरे-धीरे बढ़ाए जाने की नीति के स्थान पर अब जिलेवार मद्य निषेध को लागू करने की नीति को अपना लिया है ।

(ख) इस कार्यक्रम पर राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के अनुपातित अंशदान का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब प्रस्तावित ढंग से मद्य निषेध को लागू करने में राज्य सरकार द्वारा उठाई गई हानि का ब्योरा ज्ञात हो जाए ।

(ग) राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही निर्णय किया है ।

मद्य निषेध के फलस्वरूप राजस्थान को हुई हानि की प्रतिपूर्ति

4547. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1970 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान ने 1 अप्रैल, 1973 से लागू करने के अपने पहले पूर्ण मद्य निषेध के निर्णय को बदल दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य वित्त मन्त्री ने केन्द्र पर आरोप लगाया है कि वह राज्य सरकार को इस कारण हुई हानि की 50 प्रतिशत पूर्ति नहीं कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) इस प्रकार के दोषारोपण वाली कोई सरकारी संसूचना प्राप्त नहीं हुई है । राज्य सरकार ने अलबत्ता यह सूचित किया है कि उन्होंने सप्ताह में शुष्क दिनों की संख्या को धीरे-धीरे बढ़ाते हुए मद्य निषेध को लागू करने की अपनी नीति के स्थान पर पूर्ण मद्य निषेध के अधीन आने वाले क्षेत्र को क्रमशः बढ़ाने की नीति को अपना लिया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर कैमिकल्स मैनूफैक्चरर्स द्वारा अर्जित लाभ

4548. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर कैमिकल्स मैनुफैक्चरर्स को कुल लाभ कम हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). निदेशकों की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 1969 को वर्ष समाप्ति के मध्य, कम्पनी का उत्पादन उच्चतर रहा परन्तु तैयार माल के लिये प्राप्त की गई न्यूनतम कीमतों के कारण गत वर्ष की अपेक्षा कुल लाभ न्यूनतर रहा । यह मुख्य रूप से उत्पादन बाजार में अलग-अलग प्रतियोगिता तथा उत्पाद में किसी प्रकार की वृद्धि के बिना 1-4-1968 से अतीत प्रभावी, वृहद भैषजिक उद्योग के वेतन बोर्ड की सिफारिशों पर कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि के कारण है ।

बिजली से चलने वाले उपकरणों तथा घरेलू सामान का परीक्षण करने के लिये केन्द्र

4549. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देवेन्द्र सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों द्वारा निर्मित घरेलू

सामान तथा बिजली से चलने वाले उपकरणों की जांच करने के लिये विशेष केन्द्र स्थापित करने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) विशेष केन्द्र कब तक किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). योजना का उद्देश्य देश भर में बिजली से चलने वाले उपकरणों की स्वेच्छा से जांच करने वाले चार केन्द्रों की स्थापना करना है। कलकत्ता/बम्बई/मद्रास तथा दिल्ली में स्थापित किए जाने वाले केन्द्र तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों की देखरेख में कार्य करेंगे। योजना का क्रियान्वयन 1970-71 में होने की आशा है।

दिल्ली में विकलांगों के पुनर्वास के बारे में हुआ सम्मेलन

4550. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री देवेन्द्र सिंह :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विकलांग पुनर्वास संस्था ने विकलांगों के पुनर्वास के लिये अभी हाल ही में नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया था ;

(ख) क्या इस सम्मेलन ने सरकार को कुछ सिफारिशें की थीं ;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्योरा क्या है ;

(घ) विकलांगों के लिये विकास केन्द्रों के विकास में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ङ) क्या विकलांगों के लिये एक केन्द्र खोलने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) और (ग). सम्मेलन की सिफारिशें भारत सरकार को अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) से (च). नेत्रहीनों के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय केन्द्र देहरादून में स्थापित कर दिया गया है। मंदमति तथा बधिर व्यक्तियों के राष्ट्रीय केन्द्रों के आधार केन्द्र क्रमशः नई दिल्ली और हैदराबाद में स्थापित हो चुके हैं।

अपंग व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय केन्द्र की रूप रेखा का सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है।

दोमोहनी से चंगराबांडा (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) तक रेलवे लाइन का पुनः बिछाया जाना

4551. **श्री बे०कु० दासचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे प्रशासन दोमोहनी और चंगराबांडा के बीच रेलवे लाइन को जो कि अक्तूबर, 1968 की बाढ़ में खराब हो गई थी, पुनर्निर्माण और पुनः बिछाने की योजना आरम्भ करेगा ; और

(ख) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : उत्तर बंगाल में बाढ़ की समस्या के सम्बन्ध में सिंचाई और बिजली मंत्रालय द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति की अंतिम रिपोर्ट अभी हाल में मिली है। समिति की सिफारिशों का इस लाइन के स्वामित्व से गहरा सम्बन्ध होगा। इन सिफारिशों की जांच इस मंत्रालय द्वारा की जा रही है जिसके बाद ही इस लाइन को फिर से बनाने के विषय में निर्णय किया जा सकेगा।

ग्वालियर-शिवपुरी रेल पटरी का चौड़ा किया जाना

4552. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ग्वालियर-शिवपुरी रेल पटरी को चौड़ा करने तथा रायपुर तथा भोपाल बरास्ता नागपुर के बीच एक तेज चलने वाली गाड़ी चलाना आरम्भ करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) इस समय यातायात अथवा वित्तीय दृष्टि से ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड के आमान परिवर्तन का औचित्य नहीं है ?

नागपुर के रास्ते रायपुर और भोपाल के बीच इस समय जितना सीधा यातायात होता है (प्रतिदिन औसतन 23 यात्री) उसे देखते हुए इन दो स्टेशनों के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं है। इसके अलावा, प्रस्तावित गाड़ी चलाने के लिए मार्ग के कुछ खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता भी उपलब्ध नहीं है।

Private Railways in India

4553. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of private Railways in the country ;

(b) the reasons for allowing them to remain in the private hands ;

(c) whether Government are aware that the passengers and the employees of these Railways have to face much difficulty as a result of Government not taking over these Railway lines ;

(d) if so, the time by which Government propose to take over these Railways ; and

(e) whether Government have received any representations in this regard and, if so, the details thereof and the action taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Eleven. In addition there is a Tram-Way which is technically a Railway in that it links Surendra nagar with Wadhwan City.

(b) It is not the policy of the Government to nationalise the privately owned Railways unless an examination of all relevant factors shows that such a step would be in the public interest. Government get an opportunity to carry out this review at regular intervals, whenever option to take over a privately owned railway falls due, under terms of an Agreement with it. During such reviews conducted in the past, it was found that it would not be in our interest to invest public funds in these Railways. The position will be reviewed as and when the opportunity to exercise option next falls due as per the agreement.

(c) Government are aware that on many of the privately owned Railways, the quality of service is not as good as available on Government railways. The Government are also aware that the service conditions of the employees of some of these Railways are not comparable in all aspects to those on the Government owned Railways.

(d) Government do not at present have any proposal for nationalising these Railways. Government have limited resources at their disposal and these have necessarily to be put to use on objects which would yield maximum social benefit. As mentioned in reply to (b) above, during the reviews conducted in the past, nationalisation of these Railways was found not to be in the public interest. Such reviews will be conducted from time to time in future, when the desirability of nationalising them will be considered, taking all relevant factors into consideration.

(e) Demands for nationalisation, or improvements of these Railways have been made by Members of Parliament in the past also through Questions, as well as Cut Motions etc. The Cut Motions moved and the Questions asked earlier in the current Parliament Session are indicated below :—

Cut Motions	**Regarding**
1. Shri Om Prakash Tyagi	Failure to convert S. S. Railway into Broad Gauge.
2. Shri Ramavtar Shastri Shri Yogendra Sharma Shri Kamla Misra Madhkar Shri Chandra Sekhar Singh	Nationalisation of Futwah Islampur Railway and its conversion to Broad Gauge.
3. Shri Ranen Sen	Nationalisation of Martin Burn Railways Howrah.
4. Shri Samar Guha Jahanuddin Ahmed	Nationalisation of all Private Railway Lines.
Questions	
1. Shri P. K. Mokherjee	Asking whether Government are aware that the Howrah-Amta and Howrah-Sheakhala Railways are facing closure.
2. Shri Shashi Bhushan	Nationalisation of S. S. Light Railways.

3. Shri Bhagaban Das Shri Ganesh Ghosh Shri Mohammad Ismail Shri B. K. Modak	Nationalisation of Howrah-Amta and Howrah-Sheakhala Railways.

Details of some other representations received recently are indicated below :—

1. From Shri George Fernands, M. P. and General Secretary, Samyukta Socialist Party regarding nationalisation of S. S. Light Railway.
2. From District Congress Committee, Muzaffarnagar regarding slow running of trains on S. S. Light Railway.
3. From S. S. Light Railway Employees through their Union regarding service conditions and other staff grievances of S. S. Lt. Railway staff.
4. From Hardwar Vikas Samiti regarding nationalisation, extension, redress of staff grievances of S. S. Lt. Railway.
5. From Shri A. B. Banerjee regarding conversion of Howrah-Amta Light Railway into metre gauge or broad gauge.
6. From Passengers Co-ordination Committee regarding nationalisation of Howrah-Amta and Howrah-Sheakhala Light Railways.
7. From Shri H. N. Singh regarding conversion of Arrah Sasaram Light Railway into Broad Gauge.
8. From Shri Vindeshwari P. Singh regarding conversion of Arrah Sasaram Light Railway into Broad Gauge.
9. From Shri Jagdish Narayan Chaubey regarding conversion of Arrah Sasaram Light Railway into Broad Gauge.
10. From Shri Bali Ram regarding nationalisation and introduction of Fast trains on Arrah Sasaram Railway.
11. From Martin Railways' Head Office Staff Union regarding nationalisation of 6 railways now under Martin Burn Ltd.

Regarding action on representations, it may be stated that position regarding nationalisation has already been explained in reply to items (b) and (d) above. Representations in this regard are kept in view when the question of nationalising each one of these Railways is examined periodically.

Regarding staff, no action can be taken by the Government directly, but the normal channels for the redress of grievances of industrial labour are available to the staff of these Railways also. It may, however, be mentioned that the question of application of the Hours of Employment Regulations under Chapter VI-A of the Indian Railways Act to the employees of certain light railways is subjudice. It may also be mentioned that in the case of five of these railways which are worked by the Government, though owned by the private companies, the staff who are working on these railways are Indian Government Railway Employees.

Regarding Passengers grievances, it may be mentioned that the Private Railways are inspected by the Commissioners of Railway Safety. Their reports are scrutinised by the Government and lapses on the part of the railways are taken up with them for rectification. In the case of the five Railways run by the Government, necessary action on grievances of passengers is taken by the working railways. However, in accordance with the agreements with the

Companies, money for fresh capital expenditure has to be provided by them. Hence even, in the case of the private Railways worked by Government, the Government do not have full authority to expend money for removal of the grievances of the passengers.

Expansion of Railway Lines in Rajasthan during Third Five Year Plan

4555. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent to which the Railway lines were expanded in the country particularly in Rajasthan during the Third Five Year Plan ;

(b) the names of the Narrow and Metre gauge-lines converted into broad-guage lines in the country, particularly in Rajasthan, during the said period ; and

(c) the programme chalked out in this respect for the year 1970-71

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Railway development is envisaged in the over-all national interest, keeping in view the merits of each case. However, it may be mentioned that during the Third Plan, 1800 Kms. of new railway lines were constructed in the country. Out of these, the following fall wholly or partly in Rajasthan :

(i) Udaipur-Himmatnagar M. G.	..	213.0 Kms.
(ii) Hindumalkot-Sriganganagar B. G.	..	27.56 ,,
(iii) Pokaran-Jaisalmer M. G.	..	105.0 ,,

(b) Conversion of only two metre gauge lines into broad gauge was taken up during the Third Plan, viz. Siliguri-Haldibari (61.58 Kms.) and Pune-Miraj (279.0 Kms.). Thus, no metre gauge lines were taken up for conversion in Rajasthan during Third Plan.

(c) No programme for the construction of new lines or conversion of metre gauge lines to broad gauge, for 1970-71, in Rajasthan, has been formulated.

तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय अभिकरण

4556. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री दण्डपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये एक केन्द्रीय अभिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या होंगी ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सलाह ली गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं । देश में केवल तकनीकी जानकारी का आयात करने के लिये किसी स्वतंत्र संस्था/संघ की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी तकनीकी जानकारी के दुहरा आयात को रोककर विदेशी मुद्रा के वहिर्गमन को कम कर देशीय अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन देने के लिये, सरकार के विचार से विदेशी पार्टियों के साथ ऐसे क्षेत्रों में जहां एक ही क्षेत्र में अनेक नए एकक करीब एक ही अवधि में स्थापित करने के प्रस्ताव हों, समन्वित प्रयास किए जाने चाहिये । उपयुक्त मामलों में इस निर्णय को लागू किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये अधिकारियों का स्थायीकरण

4557. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री विद्याधर बाजपेयी : **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1956 के बाद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये लगभग 1000 अधिकारियों को अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या उक्त भर्ती उच्च आयु वर्ग में से की गई थी और क्या उक्त व्यक्तियों की अर्हतायें तथा उन पदों के वेतनमान प्रथम श्रेणी के अधिकारियों जैसे थे ; और

(ग) यदि हां तो इस तथाकथित "अस्थायी" अधिकारियों को जोकि लगातार 12 से 14 वर्षों से काम कर रहे हैं स्थायी घोषित न किये जाने अथवा इन्हें प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इस अवधि में संघ लोक सेवा आयोग के जरिए अस्थायी (अवर्गीकृत) अधिकारी के रूप में 1068 अधिकारी भर्ती किये गये थे । इनमें से अभी तक 332 अस्थायी सहायक अधिकारियों को, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुन लिये जाने पर, श्रेणी I में स्थायी रूप से नियुक्त किया जा चुका है ।

(ख) अस्थायी अधिकारियों की भर्ती अवर्गीकृत राजपत्रित सेवा के उस वेतनमान में की गयी थी जो श्रेणी I कनिष्ठ वेतनमान के अनुरूप था, अस्थायी सहायक अधिकारियों की भर्ती के मामले में भर्ती की सामान्य शर्तों में जो छूट दी गयी थी, वह इस प्रकार है :—

(i) ऊपरी वय सीमा 35 वर्ष निश्चित की गयी जबकि सीधी भर्ती वाले नियमित कर्मचारियों के लिए यह 25 वर्ष की है।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुराने अनुभवी व्यक्तियों को वेतनमान के न्यूनतम की अपेक्षा उच्चतर प्रारम्भिक वेतन दिया गया ;

(iii) उनकी कोई लिखित परीक्षा नहीं ली गयी थी बल्कि वे केवल साक्षात्कार के आधार पर चुने गये थे ।

(ग) रेलों में भर्ती किये गये अस्थायी अधिकारी श्रेणी I के अधिकारी नहीं होते और वे तब तक स्थायीकरण के पात्र नहीं होते, जब तक कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उन्हें अपने कार्य के आधार पर स्थायी नियुक्ति के लिए चुन नहीं लिया जाता । इनमें से जिन अस्थायी अधिकारियों ने 12 से 14 वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली है लेकिन जिन्हें अभी तक श्रेणी I में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया गया है, उसका कारण यह है कि वे स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं पाये गये हैं ।

उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने सम्बन्धी लम्बित आवेदन-पत्र

4558. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करने संबंधी कितने

आवेदन-पत्र इस समय सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) ऐसे कितने आवेदन-पत्र हैं जिनको पिछले वर्ष अस्वीकार कर दिया गया था ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिये गये 9 आवेदन पत्रों पर अभी निर्णय लिया जाना है ।

(ख) वर्ष 1969 में 9 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये थे ।

मनीपुर में सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना

4559. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनीपुर में वार्षिक योजना अवधि 1970-71 में सरकारी क्षेत्र उद्योग स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उद्योग कौन से हैं और क्या सरकार ने उनके लिये अपना अनुमोदन दे दिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मणिपुर प्रशासन ने अपने ड्राफ्ट एनुअल प्लान 1970-71 में बड़े तथा मझोले उद्योगों के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव रखा है :

1. सीमेंट कारखाना (30 मी० टन प्रति दिन)
2. खण्डसारी शूगर मिल (60 मी० टन प्रति दिन)
3. स्पिनिंग मिल (कपास पैदा करने के लिए प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शन योजना) सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई । बशर्ते उनकी प्रायोजना रिपोर्ट स्वीकार्य हो ।

मनीपुर में कम्पनियों का बन्द होना

4560. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक मनीपुर में कितनी कम्पनियां काम कर रही हैं ;

(ख) वर्ष 1969-70 में कितनी नई कम्पनियां स्थापित की गई ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी कम्पनियां दीवालिया घोषित की गई हैं ; और

(घ) उक्त सब कम्पनियों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 31-12-69 तक, हिस्सों द्वारा सीमित पांच कम्पनियां, मणिपुर के संघ प्रशासित क्षेत्र में कार्यरत थीं ।

(ख) 1969-70 में, मणिपुर में किसी नवीन कम्पनी की स्थापना नहीं हुई।

(ग) गत तीन वर्षों के मध्य, मणिपुर में किसी कम्पनी का परिसमापन नहीं हुआ।

(घ) इस बाबत सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ?

मनीपुर में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास

4561. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये मनीपुर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है तथा सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ;

(ख) किन उद्योगों को स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त हो रहा है तथा वर्ष 1969-70 में उनको प्राप्त हुए ऋण की राशि क्रमशः क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(घ) उद्योगों के नाम क्या हैं तथा कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आसाम में समवायों को औद्योगिक लाइसेंस देना

4562. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में प्रत्येक व्यवसाय समूह के नियंत्रणाधीन समवायों को गत तीन वर्षों में वर्षवार, (एकाधिकार जांच आयोग तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार) कितने औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये ;

(ख) इनमें कितनी पूंजी लगेगी तथा इनमें कौन सी वस्तुयें तैयार करने का विचार है ;

(ग) प्रत्येक व्यवसाय समूह द्वारा वास्तव में कितने लाइसेंसों का उपयोग किया गया है ; और

(घ) व्यवसाय समूह-वार कितने लाइसेंसों को रद्द किया गया ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने जिन बड़े औद्योगिक समूहों की परिभाषा दी है, उनके या उनके द्वारा नियंत्रित किसी भी उपक्रम को औद्योगिक कारखानों के लिए गत तीन वर्षों में आसाम में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

हावड़ा पुल पर यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण हावड़ा स्टेशन पर इस्तेमाल न की जा सकी टिकटों का वापस किया गया मूल्य

4563. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हावड़ा पुल पर यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण गत एक वर्ष के दौरान हावड़ा स्टेशन पर कुल कितने मूल्य की टिकटों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका तथा कितनी राशि वापिस देनी पड़ी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : हावड़ा पुल पर यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण यात्री जिन टिकटों का उपयोग नहीं कर पाते, उनके आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। नियमों के अनुसार, इस्तेमाल न किये गये जो टिकट गाड़ी छूटने के तीन घंटे के भीतर लौटा दिये जाते हैं, उन पर स्टेशन मास्टर, टिकट रद्द करने का प्रभार काट कर पैसा वापस कर देते हैं। 1969 के वर्ष में हावड़ा स्टेशन पर 58,444 टिकटों का किराया वापस किया गया जिनका मूल्य 12,13,798.97 रुपये था लेकिन यह मालूम नहीं हैं कि इन टिकटों के इस्तेमाल न किये जाने के क्या कारण थे।

1969 के ही वर्ष में पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा 13,223.63 रुपये मूल्य के 231 टिकटों पर पैसा वापस किया गया था। ये टिकट हावड़ा पुल पर यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण गाड़ी छूटने के तीन घंटे के बाद लौटाये गये थे। ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार, टिकट रद्द करने का प्रभार काट कर किराया वापस किया गया था।

वैगन निर्माताओं को दिये गये क्रयादेश

4564. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से 1970-71 तक वर्ष-वार तथा राज्य-वार कुल कितने मूल्य के वैगन क्रयादेश वैगन निर्माताओं को दिये गये ; और

(ख) वैगन निर्माताओं द्वारा उक्त अवधि में वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने मूल्य के क्रयादेशों की सप्लाई की गई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). रेलवे से सम्बन्धित मामलों का संकलन राज्य-वार नहीं किया जाता। एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें अलग फर्मों के हिसाब से सूचना दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3039/70]**

सामाजिक अन्धविश्वासों को अवैध घोषित करने वाला विधेयक

4565. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक अथवा दूसरी किस्म के कुछ सामाजिक अंधविश्वासों को अवैध घोषित करने वाला कोई कानून बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

गांधीवादी न्यास सिद्धान्तों के अधीन एकाधिकारी गृहों को लाना

4566. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सर्वोच्च एकाधिकारी गृहों को गांधीवादी न्यास सिद्धान्तों के अधीन लाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब किया जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) न्याय सिद्धान्त, जैसा कि गांधी जी ने, सम्पति एवं जायदाद के निजी स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रतिपादित किया, आधारभूत रूप से, सम्बन्धित हितों द्वारा ऐच्छिक रूप से लागू करना था ।

Introduction of Mail Train from Allahabad to Lucknow

4567. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a Mail Train from Allahabad to Lucknow ;

(b) if so, the time by which it is likely to be introduced ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). A pair of Express trains is being introduced between Allahabad and Lucknow in the time table to come into force from 1-4-1970.

आयुध कारखानों को इस्पात सामग्री की सप्लाई

4570. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों के महानिदेशक की प्रतिरक्षा वस्तुयें बनाने के लिये दुर्गापुर तथा रूरकेला इस्पात कारखानों से सामग्री नहीं मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो समय पर सामग्री सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सप्लाई के मामले में नियमितता बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कुछ औद्योगिक गृहों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया गया चन्दा तथा उनको दिये गये औद्योगिक लाइसेंस

4571. **श्री अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान साहू जैन समूह, डालमिया समूह, टाटा समूह, किर्लोस्कर समूह, जे० के० सिंघानिया समूह, बिड़ला समूह तथा गोयनका समूह की वाणिज्य और औद्योगिक फर्मों द्वारा प्रत्येक राजनैतिक दल को कितना चन्दा दिया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक को प्रतिवर्ष कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये ; और

(ग) क्या इन लाइसेंसों के दुरुपयोग की कोई शिकायत मिली है यदि हां, तो कितनी तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

Receipt of letters in Hindi and English in Law Ministry

4572. **Shri Ramesh Chandra Vyas :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of letters received in his Ministry in Hindi from January, 1969 to December, 1969 and the number of those replied to in Hindi itself ;

(b) the ratio between the letters sent in Hindi and English ;

(c) whether all the letters received in Hindi are replied to in Hindi itself ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) 2776 letters were received in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs and the Legislative Department) in Hindi from the State Governments, Union Territories, members of the public etc. during the period January, 1969 to December, 1969. Of these, 1342 letters did not call for any reply. Of the remaining 1434 letters, 1405 letters were replied to in Hindi and 29 letters were replied to in English.

(b) 93 (Hindi) : 2 (English)

(c) and (d). All letters received in Hindi except those which involve interpretation of laws including constitutional law and litigation in Courts, are replied to in Hindi.

दक्षिण रेलवे में वाणिज्य-क्लर्कों की श्रेणी में कमी

4573. **श्री किरुतिनन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के वर्षों में विशेषकर 1968 में, दक्षिण रेलवे के सभी डिवीजनों में मित-व्ययता में नाम पर केवल वाणिज्य क्लर्कों की श्रेणी में कमी करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेल वाणिज्य क्लर्क संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) माल और यात्री यातायात और आमदनी में कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण रेलवे के कुछ मण्डलों में वाणिज्यिक कलर्कों की संख्या में कुछ कमी की गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) ये मुख्यत: निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कर्मचारियों की कमी से सम्बन्धित थे । कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है क्योंकि मापदण्ड कार्यभार के अनुसार जहां कहीं आवश्यकता थी, कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गयी है ।

छुट्टी रिजर्व में वाणिज्य क्लर्कों (दक्षिण रेलवे) की प्रतिशतता

4574. **श्री किरुतिनन :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमों के अनुसार छुट्टी रिजर्व में कितने प्रतिशत वाणिज्य क्लर्क रखे जाते हैं ;

(ख) क्या इसका अनुसरण दक्षिण रेलवे में भी किया जा रहा हैं ; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1969 को प्रत्येक डिवीजन में कितने वाणिज्य क्लर्क थे तथा उस तारीख को डिवीजनवार छट्टी रिजर्व वाणिज्य क्लर्कों की संख्या कितनी थी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : वर्तमान नियमों के अन्तर्गत वाणिज्यिक क्लर्कों के लिए छुट्टी रिजर्व का प्रतिशत 15 से 25 तक है ।

(ख) जी हां ।

(ग)

मण्डल	**चालू पद**	**छुट्टी रिजर्व**
मद्रास	987	196
गुन्तकल्लु	271	54
ओलवक्कोड	709	150
तिरच्चिरप्पल्लि	592	124
मदुरै	467	94
मैसूर	442	87

Seat for Conductor-Guard in First Class Compartment

4575. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in the first class coaches the seat of the Attendant is earmarked and reserved but there is no seat reserved for the Conductor-Guard, which causes a good deal of inconvenience to both the first class passengers and the Conductor-Guard ;

(b) if so, whether Government would provide a seat in the first class coaches for the Conductor-Guard also ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Conductors have been provided a seat in the brakevan alongwith the Guard of the train. The Conductors have to wear a distinctive arm-band and to move about the platform at stations while the train halts so as to be of assistance to passengers of all classes.

(b) and (c). Do not arise.

Non-supply of Over-Coats to Staff of Central Railways

4576. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the staff of Western Railway coming to Delhi is provided with over-coats during winter, while their counter-parts on the Central Railway are not provided with the same ;

(b) if so, the reasons for this discrimination ;

(c) whether Government propose to provide over-coats to the staff of the Central Railway also, if so, by what time ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The Dress Regulations of the Central Railway do not provide for supply of over-coats to such staff, whereas supply of over-coats is admissible under the Dress Regulations of the Western Railway.

(c) and (d). A Uniforms Committee appointed in March, 1969, to review the question of supply, design and schedule of uniforms to Railway staff has just submitted its report, which is under examination.

कडक्कानूर स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर ऊपरी पुल

4577. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के कडक्कानूर स्टेशन (केरल) पर रेलवे लाइन के पार गैर-सरकारी बसों, लारियों और भारी यात्री यातायात की बढ़ती हुई यातायात को देखते हुए स्टेशन के निकट ऊपरी पुल बनाने का विचार है ;

(ख) क्या इस काम के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . केरल सरकार ने 1971-72 में कडक्काबूर के पास 795/ 10-11 कि० मी० पर वर्तमान समपार के बदले अस्थायी रूप से सड़क ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया है। इस निर्माण-कार्य को रेलवे द्वारा अपने 1971-72 के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा बशर्ते राज्य सरकार इस सम्बन्ध में एक निश्चित प्रस्ताव भेजे और अपने हिस्से की लागत का नियतन करे। यह लागत मोटे तौर पर, वर्तमान नियमों के अनुसार पहुंच मार्गों के लिए अपेक्षित भूमि की लागत के साथ-साथ 24 फुट चौड़े सड़क मार्ग तथा पहुंच मार्गों सहित पुल की कुल लागत (पहुंच मार्गों के लिए भूमि की लागत को छोड़कर) का 50 प्रतिशत होता है।

प्रस्तावित सड़क ऊपरी पुल के स्थान का रेलवे तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा सम्मिलित रूप से निरीक्षण कर लिया गया है लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक ब्यौरेवार योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

वरकाला (दक्षिण रेलवे) में विश्राम गृहों का निर्माण

4578. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि वरकाला (केरल) तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों के लिये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्या उनका मंत्रालय पर्यटकों की सुविधा के लिये वहां यात्री गृह बनाने के लिये कार्यवाही करेगा ;

(ख) क्या पर्यटकों की सुविधा के लिये वरकाला में कोई विश्राम गृह है ;

(ग) क्या विश्राम गृह बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। इसका कोई औचित्य नहीं क्योंकि वर्कला जाने के लिए बहुत कम तीर्थ यात्री और पर्यटक रेल द्वारा यात्रा करते हैं।

(ख) जी नहीं, लेकिन प्रतीक्षालय की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

विरामगांम-राजकोट और राजकोट-विरावल (पश्चिम रेलवे) के बीच मीटर-गेज लाइन को ब्राड-गेज में बदलना

4579. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पश्चिम रेलवे में विरामगांम-राजकोट और राजकोट-विरावल के बीच वर्तमान मीटर-गेज लाइन को ब्राड-गेज लाइन में बदलने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भिक जांच कार्य किस तारीख से आरम्भ होगा और पूरा होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). वीरमगाम से राजकोट और ओखा तक (जामनगर-बेदी सहित) के सीधे मीटर लाइन मार्ग के आमान परिवर्तन के लिए इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण और साथ ही कानालुस-पोरबन्दर खण्ड के लिये सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्टों पर विचार होने के बाद ही इस आमान-परिवर्तन के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय किया जाएगा। वास्तविक आमान-परिवर्तन इस बात पर भी निर्भर होगा कि आमान-परिवर्तन के अन्य प्रस्तावों की अपेक्षा इस आमान-परिवर्तन योजना को कितनी अग्रता प्राप्त है और कितना धन उपलब्ध है।

उपर्युक्त सर्वेक्षणों में राजकोट-बेरावल मीटर लाइन खण्ड शामिल नहीं है और इस खण्ड के आमान-परिवर्तन पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे में ओखा से पोरबन्दर तक ब्राडगेज लाइन

4580. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ओखा से पोरबन्दर तक मीटर-गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई कार्य आरम्भ किया गया है और यदि नहीं, तो काम के कब तक आरम्भ होने और पूरा होने की सरकार को आशा है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो कौनसी कठिनाइयां सरकार को उक्त कार्य आरम्भ करने से रोक रही हैं तथा उक्त कठिनाइयों को कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) राजकोट और जामनगर के रास्ते वीरमगाम से ओखा तक (जामनगर-बेदी सहित) और कानालूस-पोरबन्दर के सीधे मीटर लाइन मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण रिपोर्टों पर विचार हो रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्टों पर विचार होने के बाद ही आमान-परिवर्तन के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय किया जाएगा जो इस बात पर निर्भर होगा कि आमान-परिवर्तन के अन्य प्रस्तावों की अपेक्षा इस आमान-परिवर्तन योजना को कितनी अग्रता प्राप्त है और कितना धन उपलब्ध है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कोटनाथ रोड रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर ग्रामीणों द्वारा श्रमदान तथा रेल सुविधायें

4581. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के अक्तूबर, 1967 की समय-सारिणी की सारिणी संख्या-77 में कोट नाथ रोड नामक रेलवे स्टेशन को गुजरात के जूनागढ़ जिले में दिखाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब जूनागढ़ में कुटयाना तालुक के भालगांम गांव के लोगों

ने उक्त स्थान पर रेलवे स्टेशन की सुविधायें देने के लिये रेलवे बोर्ड से मांग की तो उन्हें स्वयं ही इस प्लेटफार्म को समतल आदि करने को कहा गया तथा वे ग्रामीण अब यह कार्य भी पूरा कर चुके हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उस स्टेशन को अभी तक किसी भी रेलगाड़ी की सुविधा नहीं दी गई है ;

(घ) यदि उपरोक्त (क) से (ग) भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) कोटनाथ रोड को एक रेलवे स्टेशन की सभी सुविधायें देना सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । स्टेशन का नाम अक्तूबर की समय सारणी में इस आशा से शामिल कर लिया गया था कि समय सारणी के लागू होते ही स्टेशन यातायात के लिए खोल दिया जायेगा ।

(ख) स्थानीय लोगों ने प्लेटफार्म को श्रमदान द्वारा बनाने की सहमति दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वचन का पालन करने से इन्कार कर दिया ।

(ग) जी हां ।

(घ) वित्तीय दृष्टि से औचित्य न होने के कारण और श्रमदान का प्रस्ताव वापस ले लेने के कारण कोटनाथ रोड पर एक स्टेशन या गाड़ी हाल्ट खोलने का प्रस्ताव छोड़ देना पड़ा ।

(ङ) भाग (घ) का उत्तर देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

विदेशी पूंजी विनियोजन बोर्ड

4582. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल में स्थापित किये गये पूंजी विनियोजन बोर्ड के उद्देश्य तथा कार्य क्या हैं ;

(ख) क्या उनके अब तक किये गये काम को देखने से पता चलता है कि उनका उक्त बोर्ड स्थापित करने के उद्देश्य पूरे हो गये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे अवसर आये हैं जब ऐसे निर्णय जो बोर्ड को सामान्य रूप से कर लेने चाहिये थे, मंत्री अथवा मंत्रिमंडल को सौंप दिए गए हैं और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सौंपे गये तथा ऐसे प्रत्येक मामले को सौंपने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विदेशी निवेशमण्डल की स्थापना विदेशी निजी पूंजी निवेश तथा सहयोग से संबंधित विभिन्न विषयों की जांच करने तथा उन पर विचार करने के लिए सरकार के अधीन

एक अन्तर्विभागीय अभिकरण के रूप में की गई है। अन्य बातों के साथ साथ इस मण्डल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी सहयोग के आवेदन पत्रों के निपटाने में, चाहे वे वित्तीय सहयोग के लिए हों या तकनीकी सहयोग के लिए, अनुचित विलम्ब न हो तथा इच्छुक सहयोगी फर्मों को विदेशी निवेश तथा सहयोग के लिए उपलब्ध सुविधाओं से तथा उसकी प्रक्रिया से अवगत करा देना चाहिए।

यह मण्डल विदेशी निवेश तथा निवेश सहयोग के ऐसे मामलों को छोड़कर जो इस सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्ग आते हैं; अन्य सभी मामलों पर विचार करता है। मण्डल द्वारा नीति संबंधी सभी पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। और उसके बाद संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उन मामलों को प्रस्तुत किया जाता है। विदेशी निवेश सहयोग के मामलों की जांच करने तथा संबंधित मंत्रालय को उनके बारे में सिफारिशें करने के बाद यह मण्डल इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक मामले की पूरी छानबीन हो जाए ताकि यथाशीघ्र उस मामले को निपटाया जा सके।

(ख) जी, हां, यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है।

(ग) विदेशी निवेश मण्डल एक सलाहकार संस्था है और सभी मामलों में अन्तिम निर्णय प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ऐसे कुछ मामलों को, जिनमें किसी भारतीय कम्पनी में कुल पूंजी विनियोजन 2 करोड़ रु० से अधिक न हो, या जिनमें सामान्य हिस्सा पूंजी के रूप में विदेशी पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक न हो, निर्णय के लिए मन्त्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखना होता है और पिछले एक वर्ष में ऐसे 11 मामले प्रस्तुत किए गए।

गंगा नदी के जल से भूमि के कटाव के कारण मांसी जंक्शन को खतरा

4583. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी के जल से भूमि के कटाव के कारण पूर्वोत्तर रेलवे के मांसी जंक्शन को खतरा पैदा हो गया है जिससे रेलवे को अत्यधिक हानि पहुंच सकती है; आसाम का सम्पर्क देश के अन्य भाग से समाप्त हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो उस खतरे को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या मांसी बचाओ संघर्ष समिति ने 19 फरवरी 1970 को सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). गंगा नदी, मानसी के नजदीक अपने बायें किनारे को पिछले 5-6 वर्षों से काटती आ रही है। खगरिया और मानसी के बीच रेलवे लाइन को उत्तर की ओर खिसकाने (स्थायी मार्ग परिवर्तन) के काम को अब मंजूरी दे दी गयी है, ताकि अगली बरसात में असम तक अबाध रूस से सीधा संचार सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) मानसी बचाओ संघर्ष समिति का 9-12-69 का अभ्यावेदन प्रधान मंत्री के सचिवालय के जरिये मिला था।

(घ) 13-3-1970 को एक अन्तरमंत्रालय बैठक में, जिसमें बिहार के सिंचाई मंत्री ने भी भाग लिया था, यह विनिश्चय किया गया है कि गंगा नदी के कटाव से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए स्थायी उपायों के रूप में एक योजना तैयार करने के उद्देश्य से सिंचाई और बिजली मंत्रालय द्वारा नमूना-अध्ययन किया जाये। यह भी विनिश्चय किया गया कि इस बीच वर्तमान ठोकरों की मरम्मत बिहार सरकार द्वारा की जायेगी और तत्सम्बन्धी खर्च बिहार सरकार, रेलवे और परिवहन मंत्रालय समान अनुपात में वहन करेंगे।

Rehabilitation of Crippled and Mentally Retarded Persons

4584. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether he made a statement in Delhi on the 7th March 1970, that the present programme of rehabilitation of the crippled and mentally retarded persons is totally inadequate ;

(b) whether he had also suggested that this requires creation of a separate Ministry ; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard and whether some special provision is proposed to be incorporated in the Fourth Five Year Plan to mkae this programme a success and comprehensive ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). Yes, Sir. He said that the problem of rehabilitation of the crippled and mentally retarded persons was a big problem and arrangements for their rehabilitation in the country were not adequate to meet the situation. He also said that it would be desirable, in a welfare State, to have a Ministry for Social Welfare.

(c) A sum of Rs. 250 lakhs is being provided in the Fourth Plan for Central programmes for the education, training and rehabilitation of the physically and mentally handicapped.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा इसके आस पास के स्थान को सुन्दर रूप देना

4585. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आस-पास का स्थान विशेषकर तांगा-स्टैंड बहुत गन्दा है ; तथा वहां समीपवर्ती कम्पाउण्ड में कचरा जमा रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन को सुन्दर रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) नयी-दिल्ली स्टेशन के आस-पास का स्थान गंदा नहीं है। स्टेशन अहाते के अन्दर कूड़ा फेंकने का कोई स्थान नहीं है। घोड़ों के कारण तांगा-अड्डा क्षेत्र हमेशा बिल्कुल साफ नहीं रह पाता।

(ख) तांगों के अड्डे की सीमा के अन्दर रखने के लिए बाड़ की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

Provision of water and electricity at Rajgir and late running of trains in Bakhtiyarpur to Rajgir (Eastern Railway).

4586. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the trains running from Bakhtiyarpur station to Rajgir Station on the Eastern Railway generally start very late and take at least four hours in arriving there ;

(b) whether it is also a fact that there is no provision for water and electricity in the trains going to Rajgir ;

(c) whether it is further a fact a fact that passengers are compelled to travel by taxis and buses on this account with the result that Government suffer a loss of about Rs. 15 lakhs annually ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to romove these deficiencies ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No. The punctuality performance of the 3 pairs of trains running on Bakhtiyarpur-Rajgir section throughout the year 1969 and in the month of January '70 has been quite satisfactory except during June, 1969 when it dropped to the level of 85% due to heavy alarm chain pulling on account of rush of passengers for 'Malmas' fair at Rajgir. In fact, it has been possible to maintain connections with all the main line trains at Bakhtiyarpur. The booked running time of these trains is about 2½ hours.

(b) No. Provision for water and electricity exists in these trains.

(c) In view of answers to parts (a) and (b) above, travel by taxis and buses cannot be ascribed to only late running of trains and non-provision of water and electricity in the trains.

(d) Every feasible effort is being made to provide dependable and comfortable rail travel in this and other areas.

Development of Paleza Ghat Railway Station (North Eastern Railway)

4587. **Shri Ramavatar Shastri :** will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme for the development of Paleza Ghat Railway Station on the North Eastern Railway ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which the said scheme is proposed to be implemented by Government ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) Yes.

(b) (i) widening and raising of main platform.

(ii) provision of two additional Rail level platforms, and

(iii) provision of a temporary passenger shed on the main platform.

(c) The work is expected to be completed by 31.12.70.

Provision of waiting rooms and other passenger amenities at Harsud Station (Central Railway)

4588. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the steps Government propose to take to renovate Harsud Railway Station on the Bhusawal-Itarsi Section and to provide Waiting Rooms and other passenger amenities there since the population there has much increased ; and

(b) in case no such proposal is under consideration the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) and (b). There are no proposals to renovate Harsud Railway Station or to provide upper class waiting rooms and other passenger amenities as the existing amenities at this station are considered adequte for the present level of traffic.

Assistance for development of industries in Madhya Prapesh

4589. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be please to state :

(a) whether the State of Madhya Pradesh has sought Central financial assistance/grants for the development of industries in tribal areas of the State ; and

(b) if so, the details of decision taken in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

खेतरी परियोजना के खान क्षेत्र को चिरावा रेलवे स्टेशन से मिलाना

4590. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री कृपाल सिंह की अध्यक्षता में बनाये गये रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे में खेतरी परियोजना के खनन स्थान को चिरावा रेलवे स्टेशन से मिलाने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब किया गया था तथा चिरावा के साथ उस क्षेत्र के अब तक न मिलाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि 1967 के निर्वाचनों के बाद रेलवे बोर्ड उस निर्णय के समाप्त करने तथा उस स्थान को डाबला स्टेशन से मिलाने का विचार कर रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि खान क्षेत्र से चिरावा केवल 14 मील की दूरी पर स्थित है जबकि डाबला 25 मील की दूरी पर स्थित है तथा उसे मिलाने पर भी कम खर्च होगा ; और

(ङ) क्या रेलवे बोर्ड उस स्थान को चिरावा से मिलाने का विचार कर रहा है जैसा कि पहले निर्णय किया गया था और यदि हां, तो उस स्थान को कब तक मिला दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खेतरी तांबा परियोजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तावित रेल सम्पर्क के लिए, चिड़ावा से मार्ग निकालने की अपेक्षा डबला-खेतड़ी रोड-सिंघाना मार्ग पर विचार किया गया था क्योंकि इससे अपेक्षाकृत अधिक आय होने की संभावना थी ।

(घ) और (ङ). चिड़ावा से खदान-स्थल तक वाला सम्पर्क निस्सन्देह छोटा होता लेकिन इससे लम्बी दूरी के यातायात के लिए गमनदूरी लगभग 60 किलोमीटर बढ़ जायेगी। इसके अलावा, इस मार्ग से डबला-खेतड़ी रोड-सिंघाना की तुलना में कम आय होने की संभावना थी। चूंकि प्रस्तावित रेल सम्पर्क अन्यथा अलाभप्रद है, इसलिए या तो परियोजना प्राधिकारियों की लागत पर या इमदादी साइडिंग की शर्तों पर ही इस रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में डीजल-इंजन से गाड़ियां चलाना

4591. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में कोयले के इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों को चलाने के बारे में विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना के दौरान इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन ने यह हिसाब लगाया है कि राजस्थान और गुजरात में कोयले से रेलें चलाने पर डीजल की तुलना में अधिक व्यय आयेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). भारतीय रेलों के विभिन्न खण्डों की समग्र आवश्यकताओं को देखते हुए एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर डीजल इंजन से गाड़ियां चलायी जाती हैं, न कि राज्यों के आधार पर। किसी खण्ड पर डीजल कर्षण आरम्भ करने से पहले विभिन्न पहलुओं, जैसे यातायात की आवश्यकताएं, तुलनात्मक आर्थिक पहलुओं, डीजल रेल इंजनों की उपलब्धता आदि पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ). विभिन्न खण्डों पर भाप और डीजल कर्षण के तुलनात्मक आर्थिक पहलुओं का अध्ययन न केवल ईंधन की लागत के आधार पर, बल्कि यातायात के घनत्व और अधिकतम भार पर ग्रेडों के प्रभाव आदि के आधार पर भी किया गया है। जब किसी खण्ड विशेष पर डीजल से गाड़ियां चलायी जायेंगी तब इन अध्ययनों के परिणामों को ध्यान में रखा जायेगा।

बड़ौदा रेयन लिमिटेड के पूर्णकालीन निदेशकों को पारिश्रमिक

4592. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ौदा रेयन लिमिटेड के पूर्णकालीन निदेशकों के परिश्रम के बारे में किसी संसत्सदस्य की ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ;

(ग) क्या इससे सरकारी परिपत्र का उल्लंघन हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमन् ।

(ख) कम्पनी के प्रस्ताव, श्री वी० के० शाह तथा श्री एस० पी० गायकवाड को 19-2-1970 से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रबन्ध निदेशक तथा संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के पद पर 7,500 रु० प्र० मास पारिश्रमिक, (प्रत्येक को) 350 रु० की वार्षिक वेतन वृद्धि तथा कमीशन व परिलब्धियों सहित, नियुक्ति के लिये है । कम्पनी ने उपरोक्त पारिश्रमिक को न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में देने की भी प्रार्थना की है । कम्पनी का यह प्रार्थना-पत्र अभी विधायित किया जा रहा है ।

(क) कम्पनी के प्रस्तावों पर प्रबन्ध निदेशकों को नियुक्ति तथा उनको दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिये निर्माण किये मार्गदर्शक नियमों की दृष्टि से विचार किया जायेगा ।

बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड में पूर्णकालीन निदेशकों को पारिश्रमिक

4593. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड, के पूर्णकालीन निदेशकों को प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक के बारे में किसी संसत्सदस्य की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनके लिये क्या शर्तें निर्धारित हैं ;

(ग) क्या इससे सरकारी परिपत्र का उल्लंघन हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कम्पनी ने, श्री श्याम मदन मोहन रुइया को, 4-4-1970 से, 5 वर्ष की अवधि के लिये 7,500 रु० प्र० मा० वेतन तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षों के लिये कम्पनी के लाभ के 1 प्रतिशत के कमीशन पर, इसके प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये, कम्पनी विधि बोर्ड के अनुमोदन की इच्छा व्यक्त की है । तथा यह देने के लिये प्रस्तावित कुल पारिश्रमिक 1,35,000 रु० प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा की शर्त पर है । कम्पनी ने कथित प्रबन्ध निदेशक के लिये दिये जाने के लिये परिलब्धियों का भी प्रस्ताव किया है व प्रबन्ध निदेशक के लिए दिये जाने वाले पारिश्रमिक व परिलब्धियों को किसी विशिष्ठ वर्ष में, हानि, लाभ न होने या पर्याप्त लाभ न होने की स्थिति में भी न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में, सुरक्षार्थ, प्रार्थना-पत्र दिया है ।

(ग) कम्पनी द्वारा, 10-3-1970 को दिया गया प्रार्थना-पत्र अभी विधायित किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कागज के अत्यधिक बढ़ते मूल्यों के बारे में एक संसद सदस्य से पत्र

4594. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी संसद सदस्य से कागज के अत्यधिक बढ़ते मूल्यों के बारे में एक पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) इन मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मुनाफाखोर कागज मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) मई, 1968 में कागज की कीमतों के विनियंत्रण के बाद से कागज उद्योग ने दो बार कागज की कीमतों में वृद्धि की, पहली बार 250 रु० प्रति मी० टन के हिसाब से और दूसरी बार अप्रैल, 1969 में लगभग 150 रु० मी० टन के हिसाब से ।

(ग) और (घ). कागज उद्योग से कहा गया है कि सरकार से परामर्श किए बिना वह कीमतें और न बढ़ाए । अधिक मूल्य लगाने तथा अन्य भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने तथा उनको दूर करने के उपाय बताने के लिए कागज के बारे में एक तदर्थ समिति बनाई गई है । जिसमें सरकार, कागज उद्योग, कागज के व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं ।

Dumping of garbage at the tonga stand, Banda station

4595. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the road leading to Banda station and Banda city, garbage is dumped at a place near the open drain where rickshaws, tongas, jeeps etc. are parked for transporting the passengers ;

(b) whether it is also a fact that the said garbage dump is causing an adverse effect on the health of the people ;

(c) whether the Railways have no alternative place to dump this garbage ; and

(d) for how many times the said drain is cleaned during a year ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Refuse collected from the Banda station and colony is dumped in a four-walled bin 8 feet in diameter and 3 feet high, situated 150 feet away from the station and 5 feet away from the drain. The refuse is however removed by the Municipal authorities regularly every day.

(b) There have been no complaints or any evidence of adverse effects on the health of residents or the travelling public.

(c) No alternative site has been found to be feasible or convenient.

(d) The drain is regularly cleaned twice a week.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सामाजिक उद्देश्यों के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष का वक्तव्य

4596. **श्री रवि राय :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष के इस आशय के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य सामाजिक उद्देश्यों के विषय में नीति सम्बन्धी नया वक्तव्य जारी करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उस वक्तव्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशासकीय सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को सरकारी उपक्रमों के उद्देश्यों और दायित्वों के बारे में स्पष्ट और व्यापक घोषणा करनी चाहिये । सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है ।

Appointment of Welfare Committees at District Level for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Rajasthan

4597. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Advisory and Welfare Committees at District level for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being appointed in Rajasthan as is being done in the various States ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to appoint such Committees in the near future ; and

(d) if so, by what time and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Cuha): (a) to (d). The Government of Rasjasthan have been addressed in the matter. Their reply is awaited.

Appointment of Committees of Legislators in all States for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4598. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the Chief Ministers had agreed to the suggestion made by the Union Home Minister in the last conference of the Chief Ministers that they would appoint a Committee of Legislators in their respective States for the walfare of Scheduled Castes and Seheduled Tribes as in Parliament ;

(b) if so, the names of States which have appointed or are going to appoint such Committees ; and

(c) in case certain States have not so far appointed such Committees, the reasons advanced by them for their not doing so ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT.) Phulrenu Guha): (a) to (c). No such suggestion was made at the last conference of Chief Ministers. However, this was discussed at the Conference of the State Ministers incharge of welfare of Backward Classes on 29.1.1970 and the State Ministers were requested to send their views urgently. It may be added that Mysore, Rajasthan, Uttar Pradesh and Manipur have agreed to appoint such Committees.

Non-payment of Scholarships in time to Students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Rajasthan and Assam

4599. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in many States, the Scholarships to the students of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not given in time, i. e., whem the schools reopen ;

(b) whether it is also a fact that in Assam and Rajasthan, the said Scholarships are given at the time when the academic year is about to end ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether the scholarships would be given in time in future ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) to (d). The information is being collected from the States/Union Territories and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

त्रिवेन्द्रम सेंट्रल (केरल) के स्टेशन मास्टर के वेतनमान का पुनरीक्षण

4600. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम सेंट्रल के स्टेशन मास्टर का वेतनमान क्या है ;

(ख) केरल राज्य की राजधानी होने के कारण त्रिवेन्द्रम नगर के महत्व को दृष्टि में रखते हुए क्या स्टेशन मास्टर का दर्जा बढ़ा कर 'ए' ग्रेड करना उचित समझा गया है ; और

(ग) ऐसा करने में किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा): (क) दक्षिण रेलवे में त्रिवेन्द्रम सेंट्रल का स्टेशन मास्टर 370-475 रुपये के वेतनमान में है।

(ख) और (ग). इस पद का ग्रेड बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

त्रिवेन्द्रम की जनता की शिकायतें

4601. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम के लोग हाल में दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक से मिले थे और उन्हें अभ्यावेदन दिया था ;

(घ) इस अभ्यावेदन में उल्लिखित महत्वपूर्ण शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) किन मुख्य बातों पर रेलवे विचार कर रही है और किन पर रेलवे बोर्ड स्तर पर विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) त्रिवेन्द्रम की जनता द्वारा कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

रूपसा से तालकन्द तक बड़ी लाइन तथा खड़गपुर और बम्बई के बीच रेल सम्बन्ध स्थापित करना

4602. **श्री स० कुण्डू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाभप्रद शाखा लाइन सम्बन्धी समिति ने दक्षिण पूर्व रेलवे में रूपसा से तालबन्द तक बड़ी लाइन तथा खड़गपुर और बम्बई के बीच बड़ी लाइन रेल-सम्पर्क स्थापित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त लाइन की स्थापना के बारे में अन्य क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(घ) इस बारे में इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) . रूपसा-तालकन्द लाइन के सम्बन्ध में, अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(1) बेहतर सेवा की व्यवस्था करके माल यातायात को आकर्षित किया जा सकता है ;

(2) बारीपद और बांगरीपोसी के बीच पटरी को भारी किस्म के इंजनों के योग्य बनाया जाना चाहिए ;

(3) सवारी गाड़ियों में वेकुअम की व्यवस्था की जानी चाहिए ;

(4) इन लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ;

(5) बांगरीपोसी से तालबन्द तक की लाइन यातायात के लिए फिर से खोल दी जानी चाहिए ;

(6) हावड़ा-बम्बई खण्ड पर बुडामारा और चकुलिया के बीच या राजालुका और कोकपाड़ा के बीच एक लाइन की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ;

(7) जन-जाति क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित एजेंसियों के साथ-साथ रायरंगपुर के विस्तार पर विचार किया जाना चाहिए ; और

(8) पटरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के उपयुक्त बनाया जाना चाहिए ।

(घ) अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 की रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) जूनियर रिलीविंग असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को स्थानापन्न अवसर

4603. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में जूनियर रिलीविंग असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के पदों पर ग्रेड 205-280 रुपये के वेतनक्रम में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों को 205-280 रुपये के वेतनक्रम में स्थानापन्न रूप से नियुक्त नहीं किया जाता ;

(ग) क्या इस व्यवस्था से प्रशासन को हानि होती है क्योंकि कम वेतन पाने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों को अपने वरिष्ठों की अपेक्षा अधिक स्थानापन्न भत्ता दिया जाता है ; और

(घ) लेखा विभाग ने कनिष्ठ कर्मचारियों को स्थानापन्न भत्ते का अधिक भुगतान का क्या औचित्य बताया है और इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था सहायक स्टेशन मास्टरों के 130-240 रुपये (अधिकृत वेतनमान) के निम्नतम ग्रेड में की जाती है । 205-280 रुपये (अधिकृत वेतनमान) के ग्रेड में छुट्टी के कारण कोई पद खाली होने पर, स्टेशन के एवजी सहायक स्टेशन मास्टरों और स्थायी सहायक स्टेशन मास्टरों में से वरिष्ठतम व्यक्ति को 205-280 रुपये (अधिकृत वेतनमान) के ग्रेड में स्टेशन मास्टर सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में काम पर लगाया जाता है । इस तरह के मामलों में, जहां नियमों के अधीन स्वीकार्य हो, वहां स्थानापन्न भत्ता दिया जाता है ।

Over-Bridge at Motihari Station (North Eastern Railway)

4605. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the absence of an over-bridge at Motihari station on the North Eastern Railway, which is the Head-quarters of Champaran district, the local people and the other people coming there from all over the district, have been experiencing great difficulties ;

(b) if so, the reasons for not taking any action so far in this regard ;

(c) whether Government propose to construct an over-bridge at Motihari Station in the near future ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Since Motihari Station has only one platform, the question of providing a foot-over-bridge does not arise. However, for the convenience of the public to go from one side of the station to the other, a level crossing at the west end of the station is being re-opened.

(c) and (d). Do not arise.

Appointments in Oyster Button Manufacturing Factory at Mehasi (Bihar)

4606. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some new officers have recently been appointed under the common service arrangement for the Oyster Button Manufacturing Factory located at Mehasi Bazar in Bihar ;

(b) if so, the nature of progress the industry has made and the extent of profit earned by the Industrialists enggaed in that industry after the appointment of those officers ;

(c) the details of its production, sale and tenure of service of those officers in the factory ; and

(d) the justification for their continuance there as also for receiving salary from Government ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Oyster Button Manufacturing Industry at Mehasi (Bihar)

4607. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Oyster Button Manufacturing Industry located at Mehasi in Champaran District in Bihar is treated as a cottage industry ;

(b) if so, whether Government have ever tried to examine by constituting an enquiry committee consisting of Government and non-Government members, the difficulties being faced by the said industry in respect of raw material, market and working capital as also its management ;

(c) if not, whether Government take the responsibility for the decline of this rare industry ; and

(d) the action proposed to be taken to improve its condition ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) It is treated as a cottage industry when operated without power and as a small scale industry, with power.

(b) Government have not so far felt the need for constituting any such committee. However, a common service organisation for mother of Pearl buttons industry set up by the State Government has been functioning at Mehasi since 1956.

(c) and (d). The State Government are fully alive to the difficulties of this industry and efforts are being made to improve their condition. The decline in the industry has been due to competition from nylon and plastic buttons.

भारत में तथा विदेशों में बिड़ला तथा टाटा की फर्में

4608. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला तथा टाटा की इस समय भारत में तथा विदेशों में कुल कितनी कितनी कम्पनियां, मिलें तथा फर्में हैं ।

(ख) इस समय इनमें कितनी पूंजी लगी हुई है ।

(ग) क्या वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में इनको विनियोजित पूंजी में कोई वृद्धि अथवा कमी हुई है ; और

(घ) उक्त वर्षों में यह वृद्धि अथवा कमी कितनी हुई और उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, बिड़ला के औद्योगिक गृह में 203 कम्पनियों तथा टाटा के औद्योगिक गृह में 70 कम्पनियां सम्मिलित थीं । इनके अतिरिक्त, बिड़ला समूह ने पांच औद्योगिक सह-उपक्रमों की स्थापना की है, जो बाहर के देशों में उत्पादन कर रहे हैं ! टाटा समूह ने ऐसा कोई उपक्रम स्थापित नहीं किया है ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा, इन दोनों गृहों से सम्बन्धित दिखाई गई कम्पनियों को 1967-68 में प्रदत्त पूंजी तथा कुल मूर्त्त परिसम्पत्तियों की बाबत स्थिति, निम्न प्रकार है :

करोड़ रुपयों में

	टाटा उद्योग गृह	**बिड़ला उद्योग गृह**
प्रदत्त पूंजी	134.8	117.6
कुल मूर्त्त परिसम्पतियां (अवमूल्यन का शुद्ध)	579.9	572.4

बिड़ला गृह का भारत के बाहर की कम्पनियों में इक्विटी भाग 54.3 लाख रुपयों का है ।

(ग) तथा (घ). चूंकि 1968-69 तथा 1969-70 के वर्षों के पूंजी नियोजन की बाबत सूचना, इन दो वर्षों के सम्बन्धित कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं के अभाव से, उपलब्ध नहीं है, अत: 1967-68 से इन नियोजनों में बढ़ोतरी अथवा घटाव की तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

पंजाब में इस्पात की अत्यधिक कमी

4609. **श्री गाडिलिंगन गौड : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में इस्पात की बहुत कमी है जिससे राज्य के उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा लघु उद्योग निगम की दुर्लभ लौह चादरों की सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कुछ श्रेणी के इस्पात की विशेष तौर पर चद्दरों, प्लेटों इत्यादि की कमी देश के सभी भागों में इस्पात पर आधारित उद्योगों द्वारा अनुभव की जा रही है ।

(ख) जब कि मांग बढ़ गई है, उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ा है। लघु उद्योगों की आवश्यकता इस्पात के विशेष आयात कोटे द्वारा पूरी किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं जिससे करीब 4200 मी० टन पंजाब राज्य को दिए जाने का प्रस्ताव है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में आई० सी० एस०/आई० ए० एस० अधिकारी

4610. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि सरकारी उपक्रमों से आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० संवर्ग के अधिकारियों को हटा लिया जाये ;

(ख) क्या उक्त सिफारिश के प्रतिकूल आई० ए० एस० संवर्ग के कुछ अधिकारियों की हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में रखा हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और उन्हें वहां पर रखे जाने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) प्रशासकीय सुधार आयोग ने सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि सरकारी उपक्रमों के पदों को भरने के लिए प्रतिनियुक्ति किये गये अधिकारियों पर निर्भरता को कम किया जाय और खत्म किया जाय। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और यह निश्चय किया गया है कि सरकारी उपक्रमों में प्रति नियुक्त सरकारी अधिकारियों से पूछा जाय कि वे नियत समय के भीतर यह बतायें कि क्या वे स्थायी रूप से सरकारी उपक्रमों में काम करना चाहते हैं अथवा अपने मूल केडर को वापस जाना चाहते हैं।

(ख) और (ग). इस समय भारतीय प्रशासन सेवा के पांच अधिकारी हिन्दुस्तान स्टील लि० में प्रतिनियुक्ति पर गये हुए हैं। उनके नाम हैं :—

श्री जी० जगत्पति,
श्री के० सी० सिंह देव,
श्री सी० वी० एस० मणि
श्री एल० आई० पारिजा
श्री ए० के० सरकार

ऊपर (क) में उल्लिखित विकल्प इन पर भी लागू होता है।

मजेरहाट रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे की सियालदह के डिवीजन) स्टेशन मास्टर तथा कैबिनमैन की मारपीट

4611. **श्री वी० नरसिम्हा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे, सियालदह डिवीजन, के दक्षिणी अनुभाग में कलकत्ता से लगभग 17 किलोमीटर दूर मजेरहाट रेलवे स्टेशन पर एक क्रुद्ध भीड़ ने हमला किया था और स्टेशन मास्टर तथा कैबिनमैन की बुरी तरह से मारपीट की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस झगड़े के क्या कारण थे ;

(ग) इस कारण रेलवे सम्पत्ति की व जान की कितनी हानि हुई है ;

(घ) क्या इसके कारणों की कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । यह घटना 28-1-1970 को घटी थी ।

(ख) उपद्रव का कारण यह था कि कुछ यांत्रिक खराबियों के कारण सिगनल के काम न करने की वजह से एक गाड़ी अप होम सिगनल पर रुक गयी थी ।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई । क्रुद्ध भीड़ ने रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी, यह नहीं मालूम है कि क्षति कितने की हुई ।

(घ) जी हां ।

(ङ) यांत्रिक खराबी के कारण गड़बड़ी हुई थी । गाड़ी के इस तरह रुकने के कारण यात्री क्रोधित हो उठे और स्टेशन की इमारत पर हमला कर दिया तथा स्टेशन मास्टर कार्यालय को लूट लिया । भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर और पश्चिमी केबिन के लीवर मैन को मारा-पीटा । लीवरमैन को इलाज के लिए बी० आर० सिंह अस्पताल में दाखिल कराया गया ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनें

4612. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनें बिछाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी नई छोटी (मीटर गेज) तथा बड़ी लाइनें बिछाई जाएंगी ;

(ग) इस कार्यक्रम पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अभी नहीं ।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता ।

Irregularities in Railway Hospitals and Dispensaries

4613. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Northern Railway Workers' Union has in a letter drawn the attention of Government to the numerous irregularities being committed in railway dispensaries and hospitals ;

(b) if so, the action taken by the Government in this regard ;

(c) whether it is also a fact that costly medicines when they are not available in the dispensary, are purchased from the market on the recommendation of the Chief Medical and Health Officer and his Personal Assistant for the high officers ; and

(d) if so, the number of such medicines purchased on the recommendation of the Chief Medical and Health Officier and his Personal Assistant during the last three years as also the names of the officers and the employees for whom they were purchased ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The Northern Railway Mazdoor Union has drawn the attention of the Northern Railway, through an agenda item for a Permanent Negotiating Machinery Meeting held in February, 1970, to certain allegations of mis-management and irregularities in the Central Hospital of Northern Railway, New Delhi. The allegations were looked into by the Railway Administration and found to be unsubstantiated.

(c) and (d). When certain medicines or their close substitutes are not available in stock and considered indispensable for treatment, they are locally purchased in accordance with prescribed regulations and powers delegated to appropriate levels, regardless of whether they are required for officers or staff. Separate statistics of such local purchases in respect of officers and employees are not being maintained.

भुसावल-इलाहाबाद यात्री गाड़ी से यात्रा कर रहे दो अमरीकनों की घातक दुर्घटना के बारे में जांच

4614. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 फरवरी, 1970 को भुसावल-इलाहाबाद यात्री गाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे जो दो अमरीकी लड़के मारे गये थे, उस दुर्घटना के बारे में कोई जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और भविष्य में लोगों को रेल गाड़ियों की छतों पर यात्रा न करने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). यह दुर्घटना 22 फरवरी, 1970 को हुई । हमेशा की तरह इस मामले की भी विधिवत जांच की गई । जांच समिति का निष्कर्ष था कि जब गाड़ी लागरगवां और सतना स्टेशनों के बीच चल रही थी तो ये लड़के गाड़ी की छत पर चढ़ गये और किसी रेल कर्मचारी ने उन्हें चढ़ते हुये नहीं देखा ।

किसी डिब्बे की छत सीढ़ियों या पायदानों पर या गाड़ी के किसी अन्य भाग में जो यात्रियों के उपयोग के लिये नहीं होता यात्रा करना भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । इस बात की पहले से ही हिदायत है कि पायदान और छत पर यात्रा करने के खतरों के बारे में उचित रूप से प्रचार किया जाये और जहां कहीं लोग इस प्रकार अनिधकृत रूप से यात्रा करते हुए दिखाई दें, उनसे ऐसा न करने के लिये अनुरोध किया जाये और इन यात्रियों की छत पायदानों आदि से हटाने के प्रयास किए जाएं ।

Industries in Pauri-Garhwal (U. P.)

4615. **Shri Arjun Singh Bhadoria**: Will the Minister of **Industrial Development Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1222 on the 25th November, 1969 regarding industries in Pauri-Garhwal (U. P.) and state :

(a) whether the required information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Not yet ; Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Government of U. P. have been contacted again and they have promised to furnish the information.

Translation of Constitution of India in Indian Languages

4616. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme to bring out an authorised version of the Constitution of India in the Indian Languages ;

(b) if so, the time by which this work is likely to be completed ;

(c) whether the copies of the Constitution of India would be laid on the Table of the House simultaneously or they would be authenticated as and when they are brought out ; and

(d) the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon): (a) Yes, Sir.

(b) As Parliamentary legislation will have to be enacted to enable the preparation of authorised translations of the Constitution in Hindi and other Indian languages, it is not possible to say when the work is likely to be completed.

(c) and (d). The question will be considered when the authorised versions of the Constitution in Hindi and other Indian languages are ready.

इस्पात कारखानों के लिये विदेशी सहायता

4617. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक इस्पात कारखाने के लिये कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) किन देशों से तथा प्रत्येक देश से कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी सहायता खर्च की गई है ; और

(घ) न खर्च की गई सहायता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). साधारण इस्पात तैयार करने वाले भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर के कारखाने तथा दुर्गापुर स्थित मिश्र-इस्पात कारखाने की स्थापना/विस्तार पर 31 मार्च, 1969 तक विदेशी मुद्रा के रूप में क्रमशः 161.31, 186.91, 117.0 और 21.96 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। लगभग यह सारी राशि विदेशों से मिले कई शर्तवद्ध उधारों/ऋणों से खर्च की गई है। इन कारखानों के लिये दिये गये उधारों की स्थिति नीचे दिखाई गई है :

कारखाना	उधार की राशि	प्रयुक्त राशि	कैफियत
भिलाई इस्पात कारखाना			
(क)	रूस से 138.05 करोड़ रुपये	133.09 करोड़ रुपये	1970-71 तक 1.39 करोड़ रुपये का उपयोग होने की सम्भावना है।
(ख)	रूस से 30 करोड़रूबल	—	यह उधार भारत सरकार की कई परियोजनाओं के लिये है। जहां तक इस्पात मंत्रालय का सम्बन्ध है इस राशि में से भिलाई इस्पात कारखाने की डल्ली खानों के मंत्री करण और विकास, भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता के विस्तार और हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो को परामर्श और रूपांकन कार्यों में सहायता के लिए रुपया खर्च किया जायेगा। ये प्रस्ताव इस्पात मंत्रालय के विचाराधीन है।
रूरकेला इस्पात कारखाना			
	पश्चिमी जर्मनी से 112.6 करोड़ मार्क	110. 751 करोड़ मार्क	शेष का उपयोग किया जा रहा है।
दुर्गापुर इस्पात कारखाना			
	यू० के० से 4.85 करोड़ पौंड	4.40 करोड़ पौंड	15 लाख पौड का सरकार ने अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग किया है। 30 लाख पौड को दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए नए ऋण में बदलने का प्रस्ताव है।

बोकारो इस्पात कारखाना

रूस से 166.6 करोड़ रुपये	110.3 करोड़ रुपए	कारखाने का निर्माण कार्य अभी चल रहा है और शेष राशि का उपयोग कर लिया जायगा ।

सोवियत सरकार ने हाल में कारखाने का 40 लाख टन इस्पात पिण्ड की क्षमता तक विस्तार के लिए 70.8 करोड़ रुपए देना स्वीकार कर लिया है ।

मिश्र-इस्पात कारखाना

जापान से 1609.69 करोड़ येन	1582.8 करोड़ येन	शेष का उपयोग किया जा रहा है ।
यू० के० से 4.5 लाख पौड	4.1 लाख पौड	शेष का उपयोग किया जा रहा है ।
कनाडा से 19.60 लाख कैनेडियन डालर	17.8 लाख कैनेडियन डालर	शेष का उपयोग किया जा रहा है ।

1967 से 1969 तक अपास्त किये गये लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचन

4618. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचन ऐसे हैं जो वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में अपास्त किए गए ;

(ख) कितने निर्वाचन ऐसे हैं जो भ्रष्ट आचरण के आधार पर अपास्त किए गए ; और

(ग) भ्रष्ट आचरण के आधार पर जिन उम्मीदवारों के निर्वाचन अपास्त किए गए उनके नाम क्या हैं तथा वे किन दलों से सम्बद्ध थे और उनका मामला किस प्रकार के भ्रष्ट आचरण के बारे में था ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) :

(क)	(i) लोक सभा	3
	(ii) राज्य विधान सभाएं	44
(ख)	(i) लोक सभा	2
	(ii) राज्य विधान सभाएं	19

(ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3040/70]**

इस्पात कारखानों द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

4619. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के किन इस्पात कारखानों ने विदेशी मुद्रा अर्जित की है ;

(ख) प्रत्येक इस्पात कारखाने ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की हैं ; और

(ग) निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं ;

(ग) लोहे और इस्पात की निर्यात-नीति का विनियमन इस प्रकार किया जाता है जिससे केवल ऐसे माल का निर्यात किया जा सकता है जिनकी देशीय सप्लाई आंतरिक मांग से अधिक होती है, अत: निर्यात वृद्धि की दर मुख्यत: निर्यात के लिये उपलब्ध माल तथा विदेशों की मांग पर निर्भर करेगी । स्थाई आधार पर इस्पात का निर्यात करने के लिये सरकार की नीति यह है कि इस्पात उद्योग के विकास की योजना निर्यात में निरन्तर वृद्धि की व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई जाये और उद्योग को विश्व के बाजारों में मुकाबला कर सकने के लिए हर सम्भव सहायता दी जाय ।

विवरण

(दस लाख रुपयों में)

	1967-68	**1968-69**	**1969-70 (अप्रैल 69 से फरवरी 70 तक)**
रूरकेला	17.5	32.1	25.4
भिलाई	246.9	319.6	313.2
दुर्गापुर	44.9	63.7	59.2
मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि०	7.6	1.5	3.8 (अप्रैल से दिसम्बर तक)

रेलवे कर्मचारी संगठनों द्वारा संघों को श्रेणीवार मान्यता देने की मांग

4620. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न श्रेणीवार संगठनों से इस आशय की मांगें प्राप्त हुई हैं कि संघों को श्रेणियों के आधार पर मान्यता दी जाय ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार विभिन्न संगठनों का एक संघ (फेडरेशन) बनाने के बारे में विचार कर रही है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न श्रेणियों की अपनी अलग-अलग ऐसी शिकायतें हैं जिनको मान्यता प्राप्त वर्तमान दो संघों द्वारा कारगर ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है ; और

(ङ) क्या सरकार की इच्छा विभिन्न श्रेणीवार संगठनों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने की अनुमति देने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) रेलों पर कोटिवार संगठनों को मान्यता प्रदान करने की बात से सहमत होना सम्भव नहीं है क्योंकि इससे यूनियनों की संख्या बढ़ जायेगी ।

(ग) सभी कोटियों के रेल कर्मचारियों के दो संघ पहले से ही मौजूद हैं जिन्हें सरकार के साथ बातचीत करने की सुविधाएं प्राप्त हैं ।

(घ) सरकार ऐसा नहीं समझती कि इस समय जिन यूनियनों को मान्यता प्राप्त है या जिन संघों को बातचीत करने की सुविधाएं प्राप्त हैं, वे कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों की शिकायतों को कारगर ढंग से प्रस्तुत नहीं करते ।

(ङ) इस समय भी कोटिवार संगठन अपनी शिकायतें पेश करते हैं, जिन पर ध्यान दिया जाता है, यद्यपि उनके साथ कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ के लिए समाज कल्याण योजनाएं

4621. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने हेतु पंजाब, हरियाणा, जम्मू, तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिये कुछ समाज कल्याण योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान्, सिवाय इसके कि केवल चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिये कोई योजना नहीं है ।

(ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के लिए समाज कल्याण योजनाएं।

(रुपये लाख की राशियों में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	जम्मू तथा काश्मीर	हरियाणा	पंजाब	हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़
1	स्त्री कल्याण	8.00	5.00	1.50	3.40	...
2	बाल कल्याण	7.00	8.00	7.00	9.85	...
3	सामाजिक रक्षा	4.50	8.30	12.50	8.92	...
4	स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदानें	2.00	5.00	5.00	0.80	...
5	विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	3.50	11.00	6.50	1.20	...
6	अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रशासन	1.50	3.00	3.00	0.15	...
7	मद्य निषेध के लिए शिक्षा	0.25	0.50	...	...	...
8	जन सहयोग में प्रशिक्षण	0.25	0.50	...	8.38	...
9	विविध योजनाएं	...	...	4.50	1.70	...
	जोड़ :	27.00	41.30	40.00	34.40	..

पूर्व रेलवे में अयोग्य कर्मचारियों को गार्ड के रूप में काम पर लगाना

4622. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में, विशेषकर दानापुर तथा धनबाद डिवीजनों में अस्थायी रूप से काम करने के लिये अयोग्य कर्मचारियों को गार्ड के काम पर लगाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक ऐसे गार्डों की यहां तक कि अपेक्षित 'स्टैण्डर्ड आफ विजिन' के लिये डाक्टरी परीक्षा नहीं की जाती है और गया (दानापुर डिवीजन) में यहां तक कि बाक्स पोर्टर को, बिना उसकी स्वास्थ्य परीक्षा किये तथा उसके द्वारा बिना अपेक्षित स्कूल शिक्षा प्राप्त किए, गार्ड के काम पर लगाया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो मानव जीवन को खतरे में डालने का औचित्य क्या है यदि अस्थायी रूप से काम चलाने वाले ऐसे गार्ड संकेतों (सिगनल) को सही रूप से न समझ सकें अथवा दुर्घटनाओं, चोरियों अथवा अन्य घटनायें होने पर गार्ड के वैध कर्तव्यों को निभाने में असफल हो जायें ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय गार्ड परिषद्, आबू रोड ब्रांच (पश्चिम रेलवे)

4623. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय गार्ड परिषद्, आबू रोड ब्रांच (पश्चिम रेलवे) ने अपनी छोटी तथा न्यायसंगत मांगों के सम्बन्ध में 12 फरवरी, 1970 को एक मांग दिवस अधिसूचना जारी की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के गार्डों ने लम्बे समय से की जा रही अपनी मांगें पूरी न किये जाने के विरोध में 15 मार्च, 1970 को रेलगाड़ियों के चलने में बाधा डाले बिना भूखा रहने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सामूहिक विरोध को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित नोटिस में जो मांगें की गयीं हैं, उन्हें रेलवे ने नोट कर लिया है और उनके गुण-दोष के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की है ।

रेलवे संगचल कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनायें

4624. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशरफ समिति ने संगचल कर्मचारियों के लिये कुछ प्रोत्साहन योजनाओं की सिफारिश की थी जिनके भूतलक्षी प्रभाव से तुरन्त क्रियान्वित करने का अखिल भारतीय गार्ड परिषद् ने भी अनुरोध किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रोत्साहन योजना विशेषतया थोड़ी दूर जाने वाली

मालगाड़ियों पर लागू हैं जैसा कि 19 जून, 1969 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एस) 68 आर एस (कमेटी) 1 की मद संख्या 2 में बताया गया है ;

(ग) क्या उक्त प्रोत्साहन योजना को क्रियान्वित न किये जाने से कुछ रेलों के अर्थात् पश्चिम रेलवे के ईदगाह मुख्यालय के गार्डों को, जिन्हें नये नियमों के अधीन संगचल भत्ते के रूप में प्रतिमास मुश्किल से 15 रुपये से 20 रुपये तक मिलते हैं, और जिन्होंने 26 फरवरी, 1970 को जनरल मैनेजर के पास अपना पिछला अभ्यावेदन भेजा है, बड़ी कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रोत्साहन योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है और ईदगाह मुख्यालय को ऐसे प्रभावित गार्डों के न्यूनतम दैनिक "माइलेज" भत्ते का संरक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, अशरफ समिति ने इस तरह की सिफारिश की थी। अखिल भारतीय गार्ड परिषद् की प्रार्थना के बारे में कोई रिकार्ड नहीं मिल रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). कम दूरी वाली कुछ माल गाड़ियों का संचालन करने वाले रनिंग कर्मचारियों को (जिनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिनका हेड क्वार्टर ईदगाह में है), नये नियमों के अधीन प्रस्थान पूर्व रुकाव समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप मील दूरी आमदनी में नुकसान हुआ। इस आशय की हिदायतें जारी की गई हैं कि आगे और आदेश जारी होने तक ईदगाह (और रेलों के कुछ अन्य खंडों) के रनिंग कर्मचारियों को, 1-12-68 से स्वीकृत संशोधन से पहले की दरों और नियमों के अधीन रनिंग भत्ता दिया जाता रहे और 1-3-68 से 30-11-68 के बकायों के भुगतान के प्रयोजन के लिये इन दरों में जितने प्रतिशत की वृद्धि करने की मंजूरी दी गयी थी, उसके अनुसार उपयुक्त वृद्धि कर दी जाये। इस सम्बन्ध में ईदगाह के कर्मचारियों से एक अभ्यावेदन भी मिला था।

मानदण्ड निर्धारित हो जाने पर प्रोत्साहन योजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा।

इस्पात का उत्पादन

4625. **श्री स० कुण्डू** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीनों इस्पात कारखानों का विस्तार करने के लिये प्रति 50 लाख टन इस्पात के उत्पादन के हिसाब से सभी श्रेणियों के कितने कर्मचारी रखे गये ;

(ख) प्रति लाख टन इस्पात के आरम्भिक उत्पादन के हिसाब से रखे गये कर्मचारियों के आंकड़ों की तुलना में यह आंकड़े कितने कम अथवा अधिक हैं और उनका अनुपात क्या है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में इस्पात के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि के लिये प्रति 50 लाख टन उत्पादन के हिसाब से कितने कर्मचारी रखे जायेंगे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों के 10 लाख टन के स्तर और उनमें 31-12-1968 को (जो क्रमश: उनके 2.5, 1.6 और 1.8 मिलियन टन पिण्ड की क्षमता तक विस्तारों प्राप्त की स्थिति है) इन कारखानों के वर्क्स, प्रशासन और आवास विभागों तथा खनिज और खानों में नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी :—

	10 लाख टन स्तर	**31-12-1968 की स्थिति**
भिलाई इस्पात कारखाना*	26,423	37,918
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	22,512	27,076
रूरकेला इस्पात कारखाना	24,181	29,677

इस्पात कारखाने के विस्तार के कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि कई बातों पर निर्भर करती है जैसे प्रारम्भिक अवस्था की आ-दा क्षमता उत्पाद मिश्र, प्रयुक्त उपकरण और प्रौद्योगिकी, स्वचालित यंत्रों के प्रयोग की सीमा तथा कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत तथा दूसरी सुविधाएं जैसे आवास, चिकित्सा की सुविधा और शिक्षा आदि, आदि ।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित कारणों से चौथी और पांचवीं योजना अवधियों में इस्पात की क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों का समुचित अनुमान लगाना इस समय कठिन है और इसका अनुमान तभी लगाया जा सकेगा जबकि इन योजनाओं में शामिल किये जाने वाली प्रायोजनाओं का निश्चय करके उन्हें अनुमोदित कर दिया जाय और उनके शक्यता अध्ययन / विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन उपलब्ध हो जायं ।

वरिष्ठ निर्माण-कार्य मिस्त्रियों (मध्य रेलवे) के वेतन को संरक्षण देना

4626. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में कुछ वरिष्ठ निर्माण-कार्य मिस्त्रियों को फालतू घोषित किया गया था और उन्हें निचले वेतन-मान में लगाया गया है और उनसे कनिष्ठ अब भी निर्माण कार्य मिस्त्रियों के रूप में काम कर रहे हैं जो इस विषय पर वर्तमान आदेशों का उल्लंघन है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस भेद-भाव पूर्ण रवैये को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

*इस कारखाने की कोई रक्षित खान नहीं है ।

(ग) क्या निचले वेतन-मान में लगाये गये ऐसे निर्माण कार्य मिस्त्रियों को वेतन संरक्षण देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य रेलवे में निर्माण-मिस्त्रियों (वर्क्स मिस्त्रियों) को सहायक स्थायी मार्ग निरीक्षकों के संवर्ग में नियुक्त करना

4627. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि मध्य रेलवे में फालतू निर्माण मिस्त्रियों को सहायक स्थायी मार्ग-निरीक्षकों के संवर्ग में नियुक्त नहीं किया जा रहा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्माण मिस्त्रियों तथा सहायक स्थायी मार्ग-निरीक्षकों के लिये निर्धारित अर्हतायें एक जैसी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण मिस्त्रियों को सहायक स्थायी मार्ग-निरीक्षकों के संवर्ग में नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) फालतू कर्मचारी जिस ग्रेड में फालतू घोषित किये जाते हैं, उससे ऊंचे ग्रेड में समाहित नहीं किये जाते ।

मध्य रेलवे में वर्क मिस्त्रियों की वरिष्ठता सूची

4628. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे की चालू लाइन तथा निर्माण शाखा में कार्य कर रहे वर्क मिस्त्रियों की वरिष्ठता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). चालू लाइन पर काम करने वाले निर्माण मिस्त्रियों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित हो गयी है । निर्माण संगठन में इस तरह के वर्क्स मिस्त्रियों की वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है और शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जायेगी ?

Restrictions imposed on Government Employees for contesting Elections

4629. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the British Government permits most of its employees to

contest the elections for Parliament and the employees have to resign their posts only after they have been elected ;

(b) whether the Government of India also propose to withdraw the restrictions imposed on their employees and permit them to participate in and contest the elections ; and

(c) if so, from what date and, if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Government employees in India cannot participate in and contest elections unless articles 102 and 191 of the Constitutions of India and section 36 of the Representation of the People Act, 1951 are suitably amended.

Facilities in Staff Quarters in Kishanganj Railway Colony, Delhi

4630. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no facilities like street lights, drinking water, parks, community halls etc., have been provided in the Kishanganj Railway Colony, Delhi, where about 5,000 quarters are located ;

(b) if so, whether Government propose to provide the aforesaid facilities to their employees residing in the said colony ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Increase in Pension of Retired Railway Employees

4631. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railways have not increased the amount of pension of their retired employees in accordance with the announcement made by the Prime Minister in this regard last year ;

(b) whether it is also a fact that the Railway pensioners have made a demand to Government in this regard ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No. Orders issued in this connection by the Ministry of Finance were adopted on Railways in toto.

(b) and (c). Do not arise.

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को स्थायी रूप से रखना

4632. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची ने प्रतिनियुक्ति पर आए कितने कर्मचारियों को स्थायी रूप से रख लिया है ;

(ख) निगम प्रतिनियुक्ति पर आए हुए इन कर्मचारियों को किन शर्तों पर स्थायी रूप से रखता है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिनियुक्ति पर आए हुए उन सभी कर्मचारियों को, जो निगम में स्थायी रूप से रखे जाने के विकल्प देते हैं, स्वतः ही स्थायी रूप से रख लिया जाता है अथवा उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है ; यदि हां, तो किन आधारों पर किया जाता है ; और

(घ) प्रतिनियुक्ति पर आए हुए ऐसे व्यक्तियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने 1968-69 में निगम में स्थायी रूप से रखे जाने का प्रस्ताव किया था और जिनके दावों को अस्वीकार कर दिया गया था तथा उनके दावों को अस्वीकार किए जाने के क्या कारण थे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ). जहां तक सम्भव है सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आयकर विवरणियों के लिये अपील दायर करने के शुल्क से आय और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण पर व्यय

4633. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों में आयकर अपील अधिकरण को अपील दायर करने के शुल्क से कितनी आय हुई और बैंच-वार कितना व्यय हुआ है ;

(ख) करदाताओं के विरुद्ध अपील दायर करने अथवा निर्देशन पर क्या विभाग से कोई शुल्क न लेने के क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में यदि सरकार से यह शुल्क लिया जाता, तो इसकी राशि कितनी होती ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

बच्चों के कल्याण के लिये संसाधन जुटाने के लिए करों कर उपकर

4634. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के कल्याण हेतु संसाधन जुटाने के लिये सभी करों पर छोड़ा उपकर लगाने के लिये सरकार से अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भावनगर-तारापुर के लिये बड़ी रेलवे लाइन

4635. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर से तारापुर तक बड़ी रेलवे लाइन का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र में देश के लिये आवश्यक काफी मात्रा में खनिज सम्पत्ति, सीमेंट, मूंगफली के तेल की खली, नमक और रसायन उपलब्ध हैं और प्रस्तावित बड़ी लाइन उनके परिवहन के लिये उपयोगी सिद्ध होगी ; और

(ग) इस बारे में सरकार का नवीनतम फैसला क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भावनगर और तारापुर के बीच बड़ी लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत और यातायात की सम्भावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से, नये सिरे से यातायात सर्वेक्षण करने और पूर्ववर्ती इंजीनियरी अनुमानों को अधयतन बनाने का काम हाल में पूरा किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है । जांच पूरी होने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के बारे में अन्तिम निश्चय किया जायेगा । इस लाइन का वास्तविक निर्माण इस बात पर निर्भर है कि विचाराधीन अन्य प्रस्तावों की अपेक्षा इस प्रस्ताव को कितनी अग्रता मिलती है और कितना धन उपलब्ध होता है ।

Licences to Caterers and others for Selling Books on Western Railway

4636. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the Division-wise number of persons who have been granted licences for making catering arrangements and for selling books and general merchandise goods in the trains and at the Railway stations on the Western Railway ;

(b) the particulars of such licence holders and whether these persons are allotted the contracts on the basis of their qualifications ;

(c) if so, the criteria on which their qualifications are taken into account and the number of those out of them, who are degree holders or diploma holders ;

(d) whether it is a fact that throughout the Western Railway most of them engage other persons for running canteens instead of running these canteens themselves and receive some definite commission from them in the form of rent ;

(e) if so, the measure Government propose to adopt to check such malpractices ; and

(f) if not, the reasons for not terminating their contracts in accordance with the recommendation No. 33 of the Railway Catering and Passenger Amenities Committee appointed by Government in 1967 ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (f). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Machinery to Check Ticketless Travelling and Expenditure Incurred on its Maintenance on the Central Railway

4637. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of passengers travelling wihtout tickets held by the students, clerks, Vigilance Department and other agencies during the last three years on the Central Railway ;

(b) the total amount realised as fine from the said passengers ;

(c) the details of the amount collected by the Travelling Ticket Inspectors from the passengers travelling without tickets ;

(d) the details of the expenditure incurred on the agencies other than the Travelling Ticket Inspectors in respect of checking the passengers travelling without tickets and whether Government are fully satisfied in respect of the said expenditure ; and

(e) if not, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The number of passengers detected travelling without tickets in checks with which students, clerks and Vigilance Department were associated in 1967, 1968 and 1969 was 24,416.

(b) The amount realised from the said passengers was Rs. 1,68,507 ; this includes excess fares and excess charges.

(c) The details of the amounts collected by the ticket checking staff including Travelling Ticket Inspectors from passengers travelling without tickets were as follows :—

1967 .. Rs. 48,58,967

1968 .. Rs. 52,67,575

1969 .. Rs. 54,02,411

(d) and (e). Expenditure incurred on agencies other than the ticket checking staff was Rs. 3,747. This does not include the cost of vigilance staff utilised for ticket checking as they perform various other duties connected with vigilance work.

The expenditure incurred on this account is very small and negligible when compared to the earnings.

Machinery to Check Ticketless Travelling and Expenditure Incurred on its Maintenance on the North Eastern Railway

4638. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of passengers travelling without tickets held by the students, clerks Vigilance Department and other agencies during the last three years on the North Eastern Railway ;

(b) the total amount realised as fine from the said passengers ;

(c) the details of the amount collected by the Travelling Ticket Inspectors from the passengers travelling without tickets ;

(d) the details of the expenditure incurred on the agencies other than the Travelling Ticket Inspectors in respect of checking the passengers travelling without tickets and whether Government are fully satisfied in respect of the said expenditure ; and

(e) if not, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The number of passengers detected travelling without tickets in checks with which students, clerks and Vigilancce Department were associated in 1967, 1968, and 1969 was 13,322.

(b) The amount relised from the said passengers was Rs. 46,695. This include excess fares and excess charges.

(c) The details of the amounts collected by the ticket checking staff including Travelling Tickets Inspectors from passengers travelling without tickets were as follows :—

1967 .. Rs. 41,51,071
1968 .. Rs. 46,88,833
1969 .. Rs. 61,71,727

(d) and (e). Expenditure incurred on agencies other than the ticket checking staff was Rs. 6,212. This does not include the cost of Vigilance staff utilise for ticket checking as they perform various other duties connected with vigilance work.

The expenditure incurred on this account is very small and negligible when compared to the earnings.

Machinery to Check Ticketless Travelling and Expenditure Incurred on its Maintenance on the Eastern Railway

4639. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of passengers travelling without tickets held by the students, clerks, Vigilance Department and other agencies during the last three years on the Eastern Railway ;

(b) the total amount realised as fine from the said passengers ;

(c) the details of the amount collected by the Travelling Ticket Inspectors from the passengers travelling without tickets ;

(d) the details of the expenditure incurred on the agencies other than the Travelling Ticket Inspectors in respect of checking the passengers travelling without tickets and whether Government are fully satisfied in respect of the said expenditure ; and

(e) if not, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The number of passengers detected travelling without tickets in checks with which students, clerks and Vigilance Department were associated in 1967, 1968 and 1969 was 8,588.

(b) The amount realised from the said passengers was Rs. 1,09,903. This includes excess fares and excess charges.

(c) The details of the amounts collected by the ticket checking staff including Travelling Ticket Inspectors from passengers travelling without tickets were as follows :—

1967	..	Rs. 88,23,253
1968	..	Rs. 1,21,92,340
1969	..	Rs. 1,16,03,201

(d) and (e). Expenditure incurred on agencies other than the ticket checking staff was Rs. 3,670. This does not include the cost of Vigilance staff utilised for ticket checking as they perform various other duties connected with vigilance work.

The expenditure incurred on this account is very small and negligible when compared to the earnings.

Machinery to Check Ticketless Travelling and Expenditure Incurred on its Maintenance on the Northern Railway

4640. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of passengers travelling without tickets held by the students, clerks, Vigilance Department and other agencies during the last three years on the Northern Railway ;

(b) the total amount realised as fine from the said passengers ;

(c) the details of the amount collected by the Travelling Ticket Inspectors from the passengers travelling without tickets ;

(d) the details of the expenditure incurred on the agencies other than the Travelling Ticket Inspectors in respect of checking the passengers travelling without tickets and whether Government are fully satisfied in respect of the said expenditure ; and

(e) if not, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The number of passengers detected travelling without tickets in checks with which students, clerks and Vigilance Department were associated in 1967, 1968 and 1969 was 5,959.

(b) The amount realised from the said passengers was Rs. 39,128. This includes excess fares and excess charges.

(c) The details of the amounts collected by the ticket checking staff including Travelling Ticket Inspectors from passengers travelling without tickets were as follows :—

1967	..	Rs. 1,02,10,312
1968	..	Rs. 1,15,86,982
1969	..	Rs. 1,22,35,773

(d) and (e). Expenditure incurred on agencies other than the ticket checking staff was Rs. 3,261. This does not include the cost of Vigilance staff utilised for ticket checking as they perform various other duties connected with vigilance work.

The expenditure incurred on this account is very small and negligible when compared to the earnings.

फिल्म कम्पनियों के निदेशक तथा शेयरधारी

4641. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री फिल्म कम्पनियों के निदेशकों तथा शेयरधारियों से संबंधित दिनांक 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9541 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवेक (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली; आल इंडिया फिल्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली; बंसल पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली; जनरल टाकीज लिमिटेड, नई दिल्ली; शंकर पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता; डायमन्ड पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई तथा जैमिनी पिक्चर्स सर्कट (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई नामक इन सात फिल्म कम्पनियों की इनकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्या थी ;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा वर्ष 1968-69 तक सरकार बैंकों अथवा अन्य संस्थानों से अलग अलग कितना ऋण प्राप्त किया गया है ;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ब्याज के रूप में कितनी धनराशि अदा की गई ; और

(घ) उक्त अवधि में इन कम्पनियों के कार्य का ब्योरा क्या है तथा 1969-70 के लिये इस बारे में क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

रेलवे में मितव्ययता तथा कार्यकुशलता के बारे में अजमेर के वाणिज्यक लिपिक एसोसियेशन द्वारा सुझाव

4642. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री जब वे 29 सितम्बर, 1969 को अजमेर में थे, वाणिज्यिक लिपिकों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिले थे और उनसे रेलवे में मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता के बारे में सुझाव मांगे थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वाणिज्यिक लिपिक एसोसिएशन के मंत्री ने उनके कहने पर सीधे तथा मंडल अधीक्षक, अजमेर के द्वारा रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री को कुछ सुझाव दिये थे ;

(ग) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). मालूम हुआ है कि अजमेर में 29-9-69 को वाणिज्यिक लिपिक एसोसिएशन का एक शिष्ट मंडल तत्कालीन रेलवे राज्य मंत्री से मिला था और उसने रेलों पर कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाने के लिये कुछ सुझाव प्रस्तुत किये थे । रेल-प्रशासन उन सुझावों की जांच कर रहा है ।

पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों में उसी स्थान पर दावों का निपटारा

4643. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री प्र० न० सोलंकी :

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे ने 200 रुपये तक के दावों को उसी स्थल पर निपटाने के बारे में एक योजना चालू की है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा स्टेशन पर दावों को निपटाने के लिए क्या विस्तृत प्रबन्ध किया गया है ;

(ग) किन स्टेशनों पर इस सुविधा की व्यवस्था की गई है, तथा इस कार्य के लिए कितने कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यद्यपि मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय द्वारा दावों का 75 प्रतिशत कार्य स्टेशनों को सौंप दिया गया है, फिर भी लिपिक संवर्ग में कोई कमी नहीं की गयी है और न ही कर्मचारियों का उन स्टेशनों पर तबादला किया गया है जहां काम भेज दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) दावों के निपटाने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पश्चिम रेलवे के कुछ स्टेशनों पर 1-11-1969 से परीक्षण के रूप में एक योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत मण्डलों के मण्डल वाणिज्य अधीक्षक अथवा सहायक वाणिज्य अधीक्षक द्वारा 200 रुपये तक के दावों का मौके पर निबटारा कर दिया जाता है ।

(ख) मण्डल वाणिज्य अधीक्षक अथवा सहायक वाणिज्य अधीक्षक सप्ताह में एक बार नामांकित स्टेशनों पर जाते हैं और जहां तक व्यावहारिक होता है, दावों का निबटारा करते हैं ।

(ग) यह योजना इन्दौर, कोटा, अजमेर, गांधीधाम, जयपुर, भावनगर, भक्तिनगर, लाखाजीनगर और राजकोट स्टेशनों पर लागू की गयी है । इस प्रयोजन के लिए अभी तक इन स्टेशनों पर कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं रखे गये हैं । इस बारे में विचार किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ). जैसाकि उपयुक्त भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है, यह योजना पश्चिम रेलवे के केवल 9 स्टेशनों पर लागू की गयी है और इन स्टेशनों पर केवल 200 रुपये तक के दावों का निबटारा किया जाता है । कुल दावों में इनका प्रतिशत बहुत थोड़ा होता है । इस तरह इस कारण रेलवे के प्रधान कार्यालय की दावा शाखा को बहुत मामूली राहत मिली है । दावों को निबटाने से सम्बन्धित काम के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कुछ स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) पर 200 रुपये के दावों का निबटाया जाना

4644. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री प्र० न० सोलंकी :

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे ने कुछ स्टेशनों पर 200 रुपये के दावे निपटाने के आदेश दिए हैं, और यदि हां, तो अब किन स्टेशनों से दावे निबटाये जायेंगे ;

(ख) पश्चिम रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय ने 1 जनवरी, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक कुल कितने दावे निबटाये ;

(ग) उक्त भाग (ख) में उल्लिखित स्टेशनों से सम्बन्धित कुल कितने मामले थे ;

(घ) उक्त भाग (ग) में उल्लिखित स्टेशनों के बारे में 200 रुपये से कम वाले कुल कितने दावे थे ; और

(ङ) पश्चिम रेलवे के दावा अनुभाग में भिन्न-भिन्न वेतनक्रमों में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं, और स्टेशनों को यह कार्य सौंप देने से कितने कर्मचारी फालतू हो जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1-11-69 से पश्चिम रेलवे के इंदौर, कोटा, अजमेर, गांधीधाम, जयपुर, भावनगर, भक्तिनगर, लाखाजीनगर और राजकोट स्टेशनों पर 200 रुपये तक की कीमत के दावों को मौके पर निबटाने की एक योजना लागू की गई है इस योजना के अन्तर्गत मण्डल के मण्डल वाणिज्य अधीक्षक अथवा सहायक वाणिज्य अधीक्षक सप्ताह में एक बार इन स्टेशनों पर जाते हैं और मौके पर दावों का निबटारा करते हैं।

(ख) 95,583

(ग) और (घ). यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) पश्चिम रेलवे के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक (दावा) के कार्यालय में विभिन्न ग्रेडों में कुल कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

(i) **दावा निबटान अनुभाग :**

मुख्य क्लर्क,	335-425 रुपये के ग्रेड में	4
प्रधान क्लर्क,	210-380 रुपये के ग्रेड में	22
वरिष्ठ क्लर्क,	130-300 रुपये के ग्रेड में	112
कनिष्ठ क्लर्क,	110-180 रुपये के ग्रेड में	138

(ii) **नीति अनुभाग और संगठन और विधि अनुभाग :**

मुख्य क्लर्क	1
प्रधान क्लर्क	3
वरिष्ठ क्लर्क	16
कनिष्ठ क्लर्क	16

(iii) **दावा निरोध अनुभाग :**

मुख्य क्लर्क	1
प्रधान क्लर्क	3
वरिष्ठ क्लर्क	21
कनिष्ठ क्लर्क	22

दावा कार्यालय में कोई कर्मचारी फालतू घोषित नहीं किया गया है । स्टेशनों पर दावों का मौके पर निबटारा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Issue of Advertisements for Recruitment in Railways in English and Hindi News-papers

4645. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Service Commissions, Allahabad, Bombay, Calcutta and Madras advertise the Class III posts of the Railway Service only in English and in English Newspapers ;

(b) if so, whether orders are proposed to be issued immediately to the effect that all the advertisements should be published in Hindi in all the Hindi newspapers and in English simultaneously in accordance with the provisions of the Official Languages (Amendment) Act ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) Class III posts whose authorised scale of pay rises above Rs. 375/- are advertised in English in the list of Newspapers approved by the Ministry of Home Affairs for advertisement issued by U. P. S. C. All other posts in the lower grades are advertised only in English, in English Newspapers as also in Hindi/regional languages newspapers commonly read in the area where such vacancies exist.

(b) and (c). The matter is under consideration.

हावड़ा डिवीजन (पूर्व रेलवे) के वाणिज्यिक क्लर्कों की पदोन्नति

4646. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे विशेषकर हावड़ा डिवीजन में कुल कितने वाणिज्यिक क्लर्क कार्य कर रहे हैं ;

(ख) 110-200 रुपये के वेतनक्रम में कुल कितने वाणिज्यिक क्लर्क कार्य कर रहे हैं ;

(ग) 1955 से पूर्व कुल कितने वाणिज्यिक क्लर्क नियुक्त किये गये थे जोकि अभी भी प्रारम्भिक वेतनक्रम से अगले ऊंचे वेतनक्रम में पदोन्नति के लिये प्रतीक्षा कर रहे है ;

(घ) इन व्यक्तियों को इतने अधिक समय तक अगले ऊंचे वेतनक्रम में पदोन्नति न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) गत 10 वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे इन सभी कर्मचारियों की पदोन्नति करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पूर्व रेलवे —5,169
हाबड़ा मण्डल--2,149

(ख) 2,914

(ग) 282

(घ) और (ङ). कर्मचारियों की पदोन्नति अगले उच्चतर पदक्रम में रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है । शंकर शरण पंचाट द्वारा संस्तुत निर्धारित प्रतिशतताओं के अनुसार पदोन्नति वाली विभिन्न इकाइयों में क्लर्कों के उच्चतर ग्रेड के पदों का आवंटन किया गया है और इन प्रतिशतताओं के अनुसार जो पदोन्नतियां की जानी थीं वे कर दी गयीं हैं । जिन कर्मचारियों ने दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन सभी को पदोन्नति की गारंटी देना व्यावहारिक नहीं है ।

अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ (पूर्वी रेलवे) की शिकायतें

4647. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ, पूर्वी जोन, ने 30 अक्तूबर, 1969 को महाप्रबन्धक, पूर्वी रेलवे, के वाणिज्यिक लिपिकों की शिकायतों के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने ज्ञापन में उल्लिखित शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) शिकायतों का सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से था :

(i) वाणिज्यिक लिपिकों का 250-380 रुपये, और इससे अधिक के वेतनमान में प्रतिशत वितरण,

(ii) वाणिज्यिक लिपिकों के क्वार्टरों का अलग पूल बनाने की आवश्यकता,

(iii) मकानों पर अनधिकृत कब्जा करने न छोड़ने के लिए कुछ मामलों में वाणिज्यिक लिपिकों से दण्डात्मक किराये की वसूली,

(iv) छुट्टी रिजर्व पदों में कमी,

(v) कुछ मामलों में वाणिज्यिक लिपिकों की चिकित्सा के लिए सुविधा का अभाव,

(vi) चल टिकट क्लर्कों द्वारा यात्रियों से किराया वसूल करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को मंसूख करने की आवश्यकता,

(vii) धनबाद आदि बड़े स्टेशनों पर पीने के पानी आदि की सुविधाएं,

(viii) धनबाद में टिकट खिड़की के लिए सुरक्षा की व्यवस्था,

(ix) व्यस्त स्टेशनों पर कार्यभार लेने और देने के लिए समय.

(ग) रेल प्रशासन ने इन शिकायतों की जांच की है और इस सम्बन्ध में यथोचित कार्रवाई की है ।

वाणिज्यिक क्लर्कों (पूर्व रेलवे) की वरिष्ठता निश्चित करना

4648. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वरिष्ठता सूची के बारे में वाणिज्यिक क्लर्कों की शिकायतों के सम्बन्ध में 6 मई, 1969 को अभ्यावेदन किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वाणिज्यिक क्लर्कों की वरिष्ठता सूची को नियमित करने के लिये पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक को एक अर्द्ध-सरकारी पत्र भेजा था ;

(ग) यदि हां, तो उक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कागजात का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या वरिष्ठता को नियमित कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भाग (क) में उल्लिखित प्रलेख एक ज्ञापन था, जिसे अमान्यता प्राप्त आल इंडिया रेलवे कमर्सियल क्लर्कस एसोसिएशन ने 6 मई, 1969 को भेजा था । जहां तक भाग (ख) का सम्बन्ध है, सवाल नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). रेलवे ने 1969 में एक वरिष्ठता सूची प्रकाशित की थी। चूंकि यह सही तौर पर बनायी गयी थी, इसलिये आगे और विनियमन का सवाल नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे के मदुराई डिवीजन में छुट्टी रिजर्व वाणिज्यिक लिपिकों की सेवाओं का उपयोग करना

4649. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से मदुराई डिवीजन में कुछ छुट्टी रिजर्व वाणिज्यिक लिपिकों की सेवाओं का उपयोग स्थायी तथा बिना मंजूरी वाले पदों पर और स्टेशन मास्टर, लिपिकों तथा टिकट कलेक्टर आदि जैसे पदों पर किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस प्रथा से वाणिज्यिक लिपिकों को समय पर अवकाश लेने में कठिनाई होती है ;

(ग) क्या इससे वाणिज्यिक लिपिकों को बीमार कर्मचारियों के स्थान पर कई महीने

समयोपरि कार्य करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप न केवल उनका स्वास्थ्य ही बिगड़ जाता है बल्कि समयोपरि भत्ते के रूप में उनको काफी धन का भुगतान भी करना पड़ता है ; और

(घ) मदुराई डिवीजन में 1968 और 1969 में वाणिज्यिक लिपिकों को कितना समयोपरि भत्ता दिया गया था तथा इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 110-200 रुपये के वेतनमान में केवल चार अतिरिक्त पदों पर जिनका सृजन काम में वृद्धि के कारण चार स्टेशनों पर किया जाना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) बीमार होने और छुट्टी लेने पर रिक्त होने वाले स्थानों पर काम करने के लिए जब तक अन्य स्टेशनों से भारमोचक कर्मचारी नहीं आते तब तक वाणिज्यिक क्लर्कों को समयोपरि काम करना पड़ता है।

(घ) समयोपरि भत्ता इस प्रकार दिया गया :

1968 में	**1969 में**
19, 402 रू०	23, 010 रू०

इस वृद्धि का मुख्य कारण है मंहगाई भत्ते में परिशोधन, समयोपरि भत्ते की गणना के लिए मंहगाई वेतन का शामिल किया जाना, समयोपरि भत्ते के लिए प्रतिनियुक्त किये गये कर्मचारियों की वेतन दर में वृद्धि। ऊपर भाग (ग) में बताये गये कारणों को देखते हुए समयोपरि भत्ते का भुगतान एकदम बन्द नहीं किया जा सकता।

दक्षिण रेलवे में युद्ध के लिये आरक्षित पदों पर नियुक्त वाणिज्यिक लिपिकों की वरिष्ठता निर्धारित करना

4650. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुसार, दक्षिण रेलवे के मदुराई डिवीजन में युद्ध सम्बन्धी आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त वाणिज्यिक लिपिकों को 1 जून, 1942 से 21 दिसम्बर, 1945 तक प्रत्येक वर्ष सृजित होने वाले 70 प्रतिशत रिक्त पदों में शामिल कर उन्हें वरीयता दी गई थी ; और

(ख) इन वाणिज्यिक लिपिकों को वरीयता किस आधार पर दी गई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) युद्ध सेवा का लाभ देते हुए नियुक्ति की कल्पित तारीख के सन्दर्भ में वरिष्ठता निर्धारित की गई थी।

ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में विकलांग महिलाओं के लिये प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र

4651. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिये ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या ऐसे केन्द्र राज्यों में भी खोले जायेंगे और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) दिसम्बर, 1969 में स्थापित किया गया यह केन्द्र नेत्रहीन, बधिर तथा अपंग वयस्क महिलाओं के लिए है । इसमें 32 प्रशिक्षणार्थी हैं और यहां दर्जीगीरी, बुनाई तथा मसाला पीसने इत्यादि जैसे कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाता है । इस केन्द्र में 50 प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्थान है । इस केन्द्र के लिए 1970-71 के बजट में 75,000 रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है । किसी एक व्यवसाय में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है, जिसके बाद प्रशिक्षणार्थी दो वर्ष तक केन्द्र में उत्पादन कार्य कर सकते हैं ।

(ग) विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना चतुर्थ योजना में अनिवार्य रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व है । इस दिशा में उन्होंने ही कदम उठाये हैं ।

New Railway Line from Chanka to Vani in Maharashtra

4652. **Shri Deo Rao Patil:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Engineering survey for laying new railway line from Chanka to Vani in Maharashtra has been made ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Preliminary Engineering and Traffic Surveys for the construction of a railway line from Chanka to Vani have been sanctioned and are in progress. Further consideration to the proposal will be given after the results of the surveys become available.

दक्षिण रेलवे में वायरलैस आपरेटरों को विशेष अनुदान दिया जाना

4653. **श्री चित्त बासु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में वायरलैस आपरेटर वायरलैस पर और 17 नवम्बर, 1969 से माइक्रो वेव टेलीप्रिंटरों पर भी काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या टेलीप्रिंटरों पर उनका काम वायरलैस पर काम की अपेक्षा अधिक कठिन है क्योंकि 17 नवम्बर, 1969 से अब तक टेलीप्रिंटरों पर कार्यभार, उत्तरदायित्व और कार्य 17, नवम्बर, 1969 से पहले वायरलैस सैटों पर उनके कार्य की तुलना में चौगुना है ;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे के वायरलैस आपरेटरों को विशेष वेतन देने के लिये, जो रेलवे बोर्ड के 16 दिसम्बर, 1969 के पत्र संख्या पी० सी० 69-एस० पी०-1-एस० टी०-5 के अन्तर्गत सिग्नलरों को दी गई हैं, टाइप (टेलीप्रिंटर कार्य) में अपेक्षित अर्हता प्राप्त है ;

(घ) यदि हां, तो क्या टेलीप्रिंटर सर्किटों पर काम करने के लिये दक्षिण रेलवे में वायरलैस आपरेटरों को 17 नवम्बर, 1969 से विशेष वेतन का लाभ दे दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सामान्यत: बेतार आपरेटर, बारी बारी से बेतार या टेलीप्रिंटिंग का काम करते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ). बेतार आपरेटर-टाइपराइटिंग में अर्हता प्राप्त होते हैं और उन्हें माइक्रोवेव टेलीप्रिंटिंग के काम पर लगाया जाता है । टेलीप्रिंटर पर काम करने वाले बेतार आपरेटरों को कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता । इसके कारण ये हैं :—

(1) बेतार आपरेटरों पर लागू होने वाला 150-300 रुपये का वेतनमान, टेलीप्रिंटर आपरेटरों के रूप में काम करने वाले तारबाबुओं पर लागू 110-200 रुपये+15 रुपये मासिक विशेष वेतन तथा 150-240 रुपये+15 रुपये मासिक विशेष वेतन के वेतनमानों से अधिक है ; और

(2) दक्षिण रेलवे में माइक्रोवेव प्रणाली शुरू होने पर, बेतार आपरेटर फालतू हो गये थे, लेकिन उन्हें टेलीप्रिंटिंग के काम में लगा लिया गया है और उन्हें 150-300 रुपये का जो उच्चतर वेतनमान पहले मिला हुआ था, उसका पूरा लाभ दिया गया है ।

पश्चिम बंगाल में पंजीकृत संयुक्त स्कन्ध समवाय

4654. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 1967, 1968, 1969 और जनवरी, 1970 में, महीनेवार, कुल कितने संयुक्त स्कंध समवाय पंजीकृत किये गये ;

(ख) पंजीकृत किये गये समवायों का औद्योगिक वर्गीकरण क्या है ;

(ग) पश्चिम बंगाल में 1967, 1968, 1969 और जनवरी, 1970 में प्रतिमास, पंजीकृत किये गये संयुक्त स्कंध समवायों की अधिकृत पूंजी कितनी थी ;

(घ) पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे संयुक्त स्कंध समवायों को 1967-68 से वर्ष 1969-70 तक वर्षवार प्रदत्त पूंजी कितनी थी ; और

(ङ) क्या यह अफवाह है कि "अस्थायी पूंजी पश्चिम बंगाल से बाहर चली गई है और जो आनी थी, वह नहीं आई है" में कोई सार है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल राज्य में, 1967, 1968, 1969 के वर्ष तथा जनवरी, 1970 में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या तथा अधिकृत पूंजी के मांस अनुसार ब्योरे संलग्न विवरण-पत्र संख्या 1 में दिये गये हैं। इन कम्पनियों का उद्योग अनुसार विसर्जन संलग्न विवरण-पत्र संख्या 2 में प्रदर्शित है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-3041/70]**

(घ) पश्चिमी बंगाल राज्य में, 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 के वर्षों की कार्यरत संयुक्त स्कंध कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी निम्न प्रकार थी :–

वर्ष	प्रदत्त पूंजी (करोड़ रु० में)
1967-68	581.0
1968-69	603.6
1969-70 (31-12-69 तक)	602.2

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 (जनवरी, 1970 तक) के वर्षों के मध्य कुल 3.1 करोड़ रुपयों की प्रदत्त पूंजी वाली 18 कम्पनियों ने, अपने पंजीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल से अन्य राज्यों को परिवर्तित किये। उसी अवधि के मध्य 7.3 करोड़ रुपयों की कुल प्रदत्त पूंजी सहित 31 कम्पनियों ने (16 विदेशी कम्पनियों सहित) अन्य राज्यों से पश्चिमी बंगाल को अपने पंजीकृत कार्यालय स्थानान्तरित किये। पश्चिमी बंगाल से "रोक पूंजी" के आने तथा उसके बाहर जाने के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में मद्य निषेध

4655. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मद्यनिषेध लागू करने का कोई प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या फैसला किया है ; और

(ग) सरकार ने अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) और (ख). इस विषय पर दिल्ली प्रशासन से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता, कार्यकारी पार्षद ने प्रधान मंत्री को इस विषय पर एक पत्र भेजा है।

(ग) जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में मद्यनिषेध लागू है तथा दिल्ली में सार्वजनिक मद्यपान पर प्रतिबन्ध है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में कोई मद्यनिषेध नहीं है।

भाषा क्षेत्रों के अनुसार जोनल रेलवे के डिवीजनों का पुनर्गठन

4656. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे जोनों के डिवीजन बनाने के बारे में क्या सिद्धान्त हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को विशेषत: तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को, एक डिवीजन में ही एक भाषा वाले क्षेत्र से दूसरी भाषा वाले क्षेत्र में तबदील किये जाने पर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या डिवीजनों के गठन पर पुन: विचार किया जायेगा और यथासम्भव प्रत्येक डिवीजन एक भाषा वाले क्षेत्र में बनाया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) किसी मंडल का निर्माण परिचालनिक कुशलता और प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ-साथ खर्च में किफायतशारी को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ख) जहां तक सम्भव होता है जिन कर्मचारियों के बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें एक भाषायी क्षेत्र से दूसरे भाषायी क्षेत्र में स्थानान्तरित नहीं किया जाता।

(ग) इस तरह से मण्डलों का पुनर्गठन करने का कोई विचार नहीं है।

मध्य रेलवे के विभिन्न डिवीजनों के अन्तर्गत रेलवे लाइनों की लम्बाई

4657. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में कितने-कितने किलोमीटर रेलवे लाइन है ; और

(ख) उन डिवीजनों में कौन-कौन से डिवीजन दो भाषाओं वाले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 31.3 1969 को मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में रेलवे लाइनों की लम्बाई इस प्रकार थी :—

डिवीजन	**किलोमीटरों में लाइनों की लम्बाई**
बम्बई	410
भुसावल	1769
नागपुर	792
झांसी	1929
जबलपुर	872

(ख) भुसावल और नागपुर डिवीजनें महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के अंग हैं, जहां क्रमशः मराठी एवं हिन्दी भाषायें सामान्यरूप से बोली जाती हैं।

राज्यों की राजधानियों में रेलवे के डिवीजन मुख्यालय

4658. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की ऐसी कौन-कौन सी राजधानियां हैं, जहां रेलवे के डिवीजन मुख्यालय नहीं हैं ; और

(ख) इसके क्या करण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा): (क) शिलांग (असम), पटना (बिहार), अहमदाबाद (गुजरात), चंडीगढ़ (पंजाब और हरियाणा), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर), त्रिवेन्द्रम (केरल), भोपाल (मध्य प्रदेश), बंगलूरु (मैसूर), कोहिमा (नागालैंड), भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

(ख) मण्डल मुख्यालय के स्थान का निश्चय परिचालन कुशलता और प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ-साथ खर्च में किफायतशारी को ध्यान में रखकर किया जाता है, न कि इस आधार पर कि कोई स्थान किसी राज्य की राजधानी है या नहीं।

कर्मशियल क्लर्कों के बारे में सुरक्षा तथा पुलिस व्यवस्था सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें

4659. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा तथा पुलिस व्यवस्था सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपने प्रतिवेदन के पैरा 47-50 में कमर्शियल क्लर्कों के बारे में सिफारिशें की थीं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ; और

(ग) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किये गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). उच्चाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में वाणिज्य क्लर्कों के बारे में इस तरह की कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। लेकिन समिति ने सिफारिश की है कि :—

(i) मालगोदाम में, यातायात की समुचित सम्हलाई और परेषणों की जो तौल, पैकिंग, मार्किंग, स्टोरिंग, लदान, उतराई और सुपुर्दगी पर ध्यान देने के लिए माल लादने-उतारने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी होनी चाहिए। यानान्तरण स्थलों पर क्षतिग्रस्त पैकेजों को फिर लादने से पहले उनकी मरम्मत पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि रास्ते में उन पैकेजों से और माल न निकाला जा सके।

(ii) माल सम्हालने वाले मजदूरों पर समुचित पर्यवेक्षण रखा जाना चाहिये और वैयक्तिक जिम्मेदारी ठहराने पर नहीं बल्कि कारगर पर्यवेक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिये ।

ये सिफारिशें इस समय रेलवे बोर्ड के विचाराधीन हैं ।

(ग) इन सिफारिशों की विस्तृत छानबीन और उन पर विभिन्न विभागों से परामर्श लेने की जरूरत है, जिसमें समय लगता है ।

भारतीय रेलों में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 लागू करना

4660. **श्री जि० मो० विश्वास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैमित्तिक श्रमिकों की शर्तों पर बड़ी संख्या में रखे गये तथा संहिता नियमों के क्षेत्राधिकार में न आने वाले स्थानापन्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के लाभों से वंचित रखा जाता है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने 1959 में जोनल रेलवे अधिकारियों को हिदायतें दी थीं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने उक्त वर्गों के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम से अन्तिम रूप से छूट प्राप्त कर ली है ; और

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनिवार्य उपबन्धों को क्रियान्वित किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्ध कारखाने, छापाखाने, बिजलीघर, कैंटीन, होटल आदि रेलों की कुछ विशिष्ट स्थापनाओं पर लागू होते हैं जिन्हें 12-11-1958 को अधिनियम के मुख्य उपबन्धों से तदर्थ अन्तरिम रूप से छूट दी गयी थी । तदनुसार 9-1-1959 को रेलों को हिदायतें जारी कर दी गयी थीं । अन्तिम रूप से छूट देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । लेकिन रेलों में इन स्थापनाओं में छः महीने से अधिक अवधि के लिए नियोजित नैमित्तिक मजदूर और एवजी कर्मचारी भविष्य निधि और उन अन्य लाभों के पात्र हो जाते हैं जो अस्थायी नियमित कर्मचारियों को मिलते हैं। चालू लाइन और निर्माण से सम्बन्धित इंजीनियरिंग और अन्य विभागों के दूसरे नैमित्तिक मजदूर, फिलहाल, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, अतः वे उसके अधीन मिलने वाले अन्य लाभों के पात्र नहीं हैं ।

विजयवाड़ा (दक्षिण मध्य रेलवे) के नैमित्तिक श्रमिकों के लिए अधिकृत वेतनमान

4661. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त उन श्रमिकों के लिये क्या शर्तें निर्धारित हैं, जिनके

अन्तर्गत वह अधिकृत वेतनमान पाने के पात्र हो जाते हैं ;

(ख) क्या विजयवाड़ा डिवीजन में दक्षिण-मध्य रेलवे के अधिकारी इन शर्तों के अनुसार अमल करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस डिवीजन में बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिकों को, जो दैनिक मजूरी पर हैं, अधिकृत वेतनमान न देने के क्या कारण हैं जब कि वे छः महीने से अधिक समय से सेवा में हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) प्रायोजनाओं के अलावा अन्य कामों पर लगाये गये नैमित्तिक मजदूर छः महीने की लगातार सेवा पूरी कर लेने पर अधिकृत वेतन मान के पात्र हो जाते हैं।

(ख) और (ग). विजयवाड़ा मण्डल में कुछ मामलों में नैमित्तिक मजदूरों को जो अधिकृत वेतनमान के पात्र हो गये थे, उन्हें इस तरह का देय लाभ नहीं दिया गया। दक्षिण मध्य रेल प्रशासन से उनके मामलों को शीघ्र निबटाने के लिए कहा गया है।

पश्चिम रेलवे में अंग्रेजी भाषा न जानने वाले फायरमैनों और शंटरों को पदोन्नति से वंचित करना

4662. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में डिवीजन-वार ऐसे फायरमैन 'बी' तथा शंटर्स 'बी' कितने हैं, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह रेलवे बोर्ड द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार किया गया हैं ;

(ग) क्या अंग्रेजी जानने वाले तथा न जानने वाले ड्राइवरों तथा शंटरों 'बी' के पदों की प्रतिशतता नियत करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में कोई और कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड

4663. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री मेसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड के बारे में 26 अगस्त 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 771 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (क) से (ङ) तक मांगी गई जानकारी 30 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन समिति के 85 वें प्रतिवेदन में दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो पूछे गये प्रश्नों के विशिष्ट उत्तर न देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना

4664. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 तथा 1971-72 में महाराष्ट्र में बड़े उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन्हें किन जिलों में स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान

4665. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी आयोग कर्मचारी संघ, बम्बई ने बम्बई में अपने कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान बनाये जाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्ताव पहली बार कब रखा गया था ;

(घ) इस पर कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ; और

(ङ) अब तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कितने कर्मचारियों को रिहायशी मकान उपलब्ध किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

फिल्म कम्पनियों के रजिस्ट्रारों के पास फिल्म कम्पनियों द्वारा फाइल किये गये खाते

4666. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास (1) फिल्मिस्तान

प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई (2) फिल्मालय (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई ने बिना ठीक प्रकार के लेखों को तैयार किये बिना कुछ सन्तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे फाइल किये हैं ;

(ख) क्या निदेशकों द्वारा भिन्न प्रकार से किये विनियोजन को विभिन्न सन्तुलन पत्रों में दिखाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान निदेशकों के नाम क्या हैं और कम्पनियों में उनका कितना विनियोजन है ; और

(घ) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो अधिकारी कैसे तय करते हैं कि उक्त कम्पनियां ठीक प्रकार से लेखे तैयार कर रही हैं ; और

(ङ) लेखों को दोषपूर्ण ढंग से रखने वाली कम्पनियों के निदेशकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

पहले दर्जे के रेल डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था

4667. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले दर्जे के रेल डिब्बों के यात्रियों की सुरक्षा के लिये सरकार ने 1969-70 में क्या उपाय किये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ गाड़ियों में पहले दर्जे के डिब्बों में रात के समय परिचारक नहीं होते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) महत्वपूर्ण रात की गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के मार्गरक्षियों की व्यवस्था रहती है । जहां कहीं जरूरत हुई, सरकारी रेलवे पुलिस के प्रबन्धों में वृद्धि के लिये रेलवे सुरक्षा दल की कुमुक भी भेजी जाती रही है । पहले दर्जे के डिब्बों के सभी दरवाजों और खिड़कियों में सुरक्षा चटखनी और छड़ों की व्यवस्था है । महिलाओं के सभी दर्जों के डिब्बों में सुरक्षा चटखनियां और खिड़कियों में छड़ों की व्यवस्था है । जिन स्टेशनों पर सरकारी रेलवे पुलिस तैनात है, वहां यात्रियों की संरक्षा के लिए प्लेटफार्म पर पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी लगायी जाती है ।

(ख) पहले दर्जे के गलियारेदार डिब्बों में दिन और रात दोनों समय यात्रा में परिचरों की व्यवस्था रहती है ।

बोकारो इस्पात परियोजना में निर्माण कार्य का ऊपरी ढांचा गिर जाना

4668. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री बोकारो इस्पात** परियोजना में निर्माण कार्य के ऊपर के ढांचे के गिरने के बारे में 9 सितम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3379 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात परियोजना के निर्माण कार्य का ऊपरी ढांचा किन कारणों तथा

परिस्थितियों में गिर गया था, इसकी जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख). दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री ज्योतिबसु की हत्या के प्रयास के बारे में
RE : ATTEMPT ON THE LIFE OF SHRI JYOTI BASU

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार किया जायेगा।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : महोदय आज सुबह पटना स्टेशन पर श्री ज्योतिबसु पर गोली चलाई गई और उनके साथ चलने वाले एक अधिकारी की हत्या हो गई। यह एक गम्भीर मामला है। कुछ दिन पूर्व डा० राम सुभग सिंह की हत्या का भी प्रयास किया गया था।

Shri Rabi Ray (Puri) : It is a very serious matter and it should be looked into. Political murders should not be allowed to take place.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इस घटना पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

Mr. Speaker : It is not proper to raise the matter like this without giving any prior notice.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आप सरकारी प्रवक्ता को इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कहें।

Shri Rabi Ray : The Government spokesman should give a statement on this at about 2 P. M.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : यह एक गम्भीर मामला है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। मुझे पूरे तथ्यों का पता लगा लेने दीजिये।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मुझे आशा है कि आप रेलवे अथवा गृह-कार्य मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कहेंगे।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम इस बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं और आशा है कि शाम तक बिहार सरकार से जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : You should also direct the Government to state as to what steps are being taken to apprehend the culprit.

अध्यक्ष महोदय : वह इस बारे में वक्तव्य देंगे।

श्री हेम बरुआ : राजनीतिक हत्याओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिबसु ने पिस्तौल चलाने वाले व्यक्ति की ओर संकेत भी किया था परन्तु वह भाग निकलने में सफल हो गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कह दिया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कथित सीमा विवाद के हल न किये जाने और फसल की कटाई पर झगड़े की सम्भावनायें

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported unresolved border dispute between U. P. and Bihar and possibilities of clashes over harvesting."

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस समय उत्तर प्रदेश के जिला बलिया तथा बिहार के जिला शाहबाद के बीच गंगा नदी की गहरी धारा ही सीमा है। इस क्षेत्र में गंगा नदी प्रतिवर्ष अपना मार्ग बदलती रहती है और इसके परिणाम स्वरूप इसकी गहरी धारा के स्थान में भी परिवर्तन होता रहता है। मानसून के पश्चात् जब नदी में पानी कम हो जाता है तो कई स्थानों पर नदी एक से अधिक धाराओं में बहती है और यदि इस बारे में सन्देह हो कि गहरी धारा कौन सी है तो इस विषय पर सम्बन्धित नियमों के अनुसार दोनों सरकारों के अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि गहरी धारा कौन सी है ।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार नदी के मार्ग के साथ साथ कुछ स्थानों पर गहरी नदी के वास्तविक स्थान के बारे में पिछली मानसून के पश्चात कुछ सन्देह उत्पन्न हो गये हैं। दोनों सरकारों ने एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित कर रखा है और हमारी जानकारी के अनुसार गहरी धारा की पुष्टि करने के लिए दोनों सरकारों के आयुक्त शीघ्र ही आपस में मिलेंगे। दोनों सरकारों पर फसलों की कटाई से पूर्व तथा तुरन्त इस कार्य को निपटाने का अनुरोध किया गया है ।

Shri Shambhu Nath : The Tirvedi Committee gave its report on the border disputes of U. P. and Bihar. This report was approved by Parliament also. But it could not be implemented as some people from Bihar filed a writ petition in the Court.

It appears from the statement of the Hon. Minister that factual position has not been ascertained in this regard. In 1969-70 the U. P. Government wrote to the Centre that verification regarding actual locus of the deep-stream should be done by it. But the Central Government has not taken any action in this regard so far. There is no possibility of the Commissioners of the two Governments sitting together and solving the dispute. In view of the fact that Bihar

Government is evading all solutions may I know whether the Central Government will send its Surveyor General there for demarcating the border and arrangement will be made to have the crop harvested by the persons who have sown that crop ?

Shri Vidya Charan Shukla : The demarcation of the border was done through a Bill passed by Parliament. Some work of fixing the pillars was also undertaken but it could not be completed as some persons from Bihar filed writ petitions against it and they got stay order from the Court.

So far as the question of verification of locus of deep-stream is concerned it was decided in 1968. The Hon. Member knows that it undergoes changes every year. There are some old rules in this regard and the State Governments have to solve this question of verification under these rules. We cannot send the Surveyor General there in view of the stay order of the Court.

It has been agreed to by both the Governments not to resort to such action which may lead clashes. The Commissioners of both the States are meeting together to solve the dispute.

डा० राम सुभग सिंह : गंगा के उस पार के गांवों के लोगों ने वहां पर फसल बोई थी। क्या इस बारे में कोई प्रबन्ध किये गये हैं कि जिन लोगों द्वारा वह फसल बोई थी, वही लोग इस फसल को काटें।

Shri S. N. Shukla (Rewa) : So far as my information goes the Court has already awarded its decisions on the writ petition. If that has not been done may I know the number of writ petitions filed and on how many of them court has awarded its decision and the dates on which they were filed. The Government of Bihar is evading the solution of this dispute. I want to know the steps being taken by Government to get the decision of the court on these petitions at an early date ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is not correct to say that Government of Bihar is interfering in this matter. Five petitions are still pending before the Court. Decision may be taken on them today.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : The harvesting of crop starts in this area after Holi. In my view some crop has already been harvested. I want to know whether the crop which was sown by the farmers of the Uttar Pradesh is being got harvested by the P. A. C. men of Bihar by show of force. Fourteen persons were killed in this area during the last year. I want to know as to why no action has been taken by the Central Government.

Shri Vidya Charan Shukla : The question of maintaining law and order in the area is not the concern of the Central Government. The Central Government has done its duty.

Shri Raghuvir Singh Shastri : The Jawans of the Provincial Armed Constabulary of both the States are facing each other.

Shri Vidya Charan Shukla : When there was an apprehension of the fighting being break out we immediately took the action. We have written to the Commissioners of both the States to take a decision in a day or two and further action may be taken under the agreement reached at the meeting.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : This border dispute is not likely to be solved by the Governments of two concerned States. The Central Government should interfere and settle this dispute.

The two Collectors met sometime but could not reach at any decision. According to verification the land of Jambi, Hansnagar (Nainijor) Pachsakhia and Amanpur village belong to Uttar Pradesh. The farmers of this State have sown the crop there. Therefore they have the right to harvest it. According to 1968 verification also this land belongs to Uttar Pradesh.

The writ petitions are pending before the court for quite a long time. The Court should work for the greater good. But they are not doing so. Therefore I want that there should be some restrictions on the Judges also and their rights should be restricted. May I know whether the Government is prepared not to give recognition to the 145 Bighas of land which have been taken over by the Bihar State after the false survey. I do not think that any useful purpose will be solved by the meeting of the Commissioners of the two States. May I know whether any mediator will be sent there and verification of the deepstream will be done ?

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : I rise on a point of order. The Hon. Member has just now stated that the Bihar Government had conducted a bogus Survey. That is not the case. The Survey was conducted according to the Bihar Survey Settlement Act.

Mr. Speaker : There is no point of order.

Shri Vidya Charan Shukla : We have been taking action in this matter wherever there is a scope for it. The problem will be solved under the Bill which have already been passed by Parliament. It has been delayed because some writ petitions have been filed in the Court. As soon as they are decided the boundary between the two States will be demarcated permanently.

The officials of the area could not decide as to who have sown the crop in the field and which field belongs to U. P. and which belongs to Bihar. It is not proper to put blame on any particular Government. Both the States are trying to solve this problem amicably and peacefully. I hope the Hon. Members who are taking so much interest here will go there and prevent the people from resorting to clashes.

Shri Molahu Prasad : The Central Government should make comprehensive arrangements for maintaining law and order there.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरा कहना नहीं मानेगें तो आप की बात रिकार्ड नहीं की जाएगी ।

Shri Molahu Prasad : **

Mr. Speaker : The Hon. Member should resume his seat. He is aware that each and every Member cannot ask questions when the discussion on Calling Attention is going on.

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : May I know whether some officials of the Central Government are favouring the Bihar State ?

Shri Vidya Charan Shukla: This is wrong.

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

खादी तथा ग्रामोद्योग का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा सांख्यिकीय विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3032/70]**

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30-क के अन्तर्गत, न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 466 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3033/70]**

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 25 मार्च, 1970 को पास किये गये विनियोग विधेयक, 1970 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक सभा द्वारा 25 मार्च, 1970 को पास किये गये मणिपुर विनियोग विधेयक, 1970 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 25 मार्च, 1970 को पास किये गये मणिपुर विनियोग संख्या (2) विधेयक, 1970 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से सिफारिश नहीं करनी है।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

101 वां प्रतिवेदन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I present the Hundred and first Report (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee regarding paragraph 107 of the

Audit Report (Civil), 1969 relating to National Malaria Eradication Programme (Department of Health).

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I want to ask whether Hindi version of the Report is complete or it is summarised version ?

Mr. Speaker : It is complete.

निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य
STATEMENT UNDER DIRECTION 115

संसद सदस्यों के आयकर विवरण

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : 24-12-69 को इस सभा में आयकर तथा धनकर भुगतान सम्बन्ध संकल्प पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्र० चं० सेठी ने बताया था कि 350 संसद सदस्यों ने आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अथवा धारा 139 (1) के अधीन विलम्ब से प्रस्तुत किए हैं।

धारा 139 (1) के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करना है जिसकी आय कर योग्य सीमा से कम है। मेरे विचार में यहां पर अधिकांश सदस्यों की आयकर योग्य सीमा से अधिक नहीं है। संसद सदस्यों को प्रतिमास दी जाने वाली राशि को 'अन्य साधनों' से आय स्वीकार किया गया है। अन्य साधनों से होने वाली आय में से तभी कटौती हो सकती है यदि वह कर योग्य सीमा से अधिक हो और तभी संसद सदस्य को विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। कानूनी स्थिति यह है। संसद सदस्य 500 रुपया प्रतिमास प्राप्त करता है, केवल इसीलिये आयकर विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। 6000 रुपये वार्षिक आय वाले किसी भी सदस्य को काफी रकम तो अपने कर्तव्यों के पालन में खर्च करनी पड़ती है। उनको आयकर विवरण तभी प्रस्तुत करना है यदि इन खर्चों के बाद उनकी अवशिष्ट या शुद्ध आयकर योग्य सीमा से अधिक हो।

लगभग दो वर्ष पूर्व माननीय सदस्यों को दी जाने वाली राशि को **'वेतन'** मान कर उसमें से आयकर की कटौती की जाती थी। बाद में महाअधिवक्ता तथा विधि मंत्रालय की सलाह पर उपर्युक्त राशि को 'अन्य साधनों' से आय वर्गीकृत किया गया था। 'अन्य साधनों से होने वाली आय करयोग्य आय निर्धारित करने के लिये कई कटौतियां की जा सकती हैं परन्तु 'वेतन' में से नहीं। तत्पश्चात 24-12-1969 की मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 89 दिनांक 23-2-70 के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐसे संसद सदस्यों की एक सूची अध्यक्ष महोदय को दी गई थी जिहोंने आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं किये अथवा धारा 139 (1) के अधीन विलम्ब से भेजे हैं।

मेरे विचार में मंत्री महोदय को गलत सलाह दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने सभा को ठीक जानकारी नहीं दी है। समस्त देश में संसद सदस्यों के बारे में गलत धारणा बन गई है। मंत्री महोदय को इस गलत धारणा को बदल देना चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 24-12-1969 को मैंने कहा था कि 350 संसद सदस्यों ने या तो अपना आयकर विवरण प्रस्तुत ही नहीं किया या देर से किया है। इस प्रकार कहने से मेरा तात्पर्य कोई गलत धारणा बनाने का नहीं था बल्कि सही-सही बात कहना था। तत्पश्चात मैंने संसद सदस्यों की एक सूची लोक सभा के अध्यक्ष महोदय को और एक सूची राज्य सभा के सभापति को प्रस्तुत की थी। इस सूची के अनुसार 260 संसद सदस्यों ने आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे। और 213 संसद सदस्यों ने विलम्ब से भेजे थे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) के अधीन कानूनी स्थिति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी पिछले वर्ष में कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जिसके लिए आयकर नहीं लिया जाता निर्धारित तिथि तक अपना विवरण प्रस्तुत करना होता है जो सामान्यतः निर्धारण वर्ष की 30 जून होती है। फिर भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उपर्युक्त तिथि बढ़ाई जा सकती है।

मार्च 1968 तक संसद सदस्यों को दिए जाने वाला 500 रुपये प्रतिमास का निश्चित भत्ता 'वेतन' से होने वाली आय समझा जाता था और आय के स्रोत पर कर की कटौती की जाती थी। धारा 139 (1) के अनुसार चाहे कर की कटौती आय के स्रोत पर भी की जाती थी, इन माननीय सदस्यों को अपने विवरण भेजने चाहिये थे।

अक्तूबर, 1967 में एक माननीय सदस्य श्री सी० सी० देसाई ने एक अभ्यावेदन भेजा था जिसको विधि मंत्रालय को भेजा गया था। उन्होंने सलाह दी कि संसद सदस्यों के वेतन कर निर्धारित "अन्य साधनों से आय" शीर्षक के अधीन किया जाना चाहिये। इसलिए 1 अप्रैल 1968 से संसद सदस्यों की मासिक उपलब्धियों से कर की कोई कटौती नहीं की गई।

संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त भत्ते में से की जाने वाली कटौतियों के बारे में महा लेखा परीक्षक की सलाह मांगी गई थी जिसके अनुसार निम्नलिखित खर्चों पर आयकर की छूट दी जा सकती है :—

(क) दिल्ली में कार्यालय चलाने पर किए गए खर्च ;

(ख) अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय चलाने पर किये गये खर्च ; और

(ग) दिल्ली अथवा अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाक टिकट, लेखन सामग्री, यातायात, टेलीफोन, आशुलिपिक की सहायता आदि पर किये गये खर्च।

निम्नलिखित खर्चों पर आयकर की छूट नहीं दी जा सकती :—

(एक) चुनाव लड़ने पर किये गये खर्च ;

(दो) निर्वाचन क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये किए गए खर्च ;

(तीन) दिल्ली स्थित निवास स्थान से संसद भवन में भाग लेने के लिए आने जाने पर किए गए खर्च ; और

(चार) अपने निवास स्थान से दिल्ली और दिल्ली से अपने निवासस्थान तक आने जाने पर किए गए खर्च ;

विधि मंत्री महान्यायवादी की राय से सहमत थे ।

इस सलाह के आधार पर प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने अनुदेश जारी कर दिये हैं। इस निर्णय के अनुसार यदि किसी माननीय सदस्य की संसद सदस्य के रूप में 500 रुपये प्रतिमास की आय को छोड़कर कोई अन्य आय नहीं है और उनका खर्च प्रतिवर्ष 1,000 रुपये के बराबर है तो उन्हें धारा 139 (1) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

विधि मंत्री ने सलाह दी थी कि केवल कुछ भाग को समान आधार पर खर्च स्वीकार कर लेना उचित होगा। यह मामला अधीनस्थ विधान सम्बन्धी संसदीय समिति को भेजा गया था। उपर्युक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कोई सामान्य सूत्र बनाने के बजाय खर्चों के लिये छूट देने की बात प्रत्येक मामले के गुणदोष पर छोड़ दी जाए।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली ने हाल ही के एक मामले में निर्णय किया है कि संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त मासिक भत्ते का कर निर्धारण लाभ और व्यापार अथवा व्यवसाय के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत किया जाना चाहिये । न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद विधि मंत्रालय के साथ परामर्श किया गया था। उनका विचार है कि उपर्युक्त निर्णय ठीक नहीं हैं और उन्होंने अपने पहले परामर्श को ही सही बताया है कि संसद सदस्यों के वेतन का कर निर्धारण "अन्य साधन" शीर्षक के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए। अब यदि आय "वेतन" शीर्षक के अधीन गिनी जाए तो केवल जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि, यातायात तथा पुस्तकों आदि के सम्बन्ध में कटौतियां की जा सकती हैं, यदि उसी आय को अन्य साधनों से आय से स्वीकार किया जाता तब सम्बद्ध आय अर्जित करने के लिये खर्च पर छूट दी जा सकती है। यदि आय का "व्यापार, व्यवसाय का आदि" शीर्षक में कर निर्धारण किया जाए तो सम्बद्ध व्यापार व्यवसाय आदि पर किये गये खर्च पर छूट दी जा सकती है।

परन्तु मैं फिर कहूंगा कि वर्ष 1968-69 के निर्धारण तक संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त भत्ते का कर निर्धारण वेतन से आय के रूप में किया जाना था क्योंकि वेतन तथा लेखा अधिकारी लोक सभा के स्रोत पर कटौती किये गये कर सम्बन्धी विवरण से पता चला है कि अधिकांश संसद सदस्यों की आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक थी, उन्हें धारा 139 (1) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने चाहिये थे। अतः मैंने अपने वक्तव्य में सभा को कोई गलत जानकारी नहीं दी थी और न ही कोई गलत धारणा बनाने का प्रयत्न किया था।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I want the list of 350 Members. The Prime Minister had assured that I would get the same.

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : माननीय सदस्यों की यह मांग उचित है और मंत्री महोदय को उसकी सूची सप्लाई करनी चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The Hon. Minister has again asserted that his statement was correct. Even if the income of the Member of Parliament, who has no other source of income, is assessed under any of the above said heads, there is no need of submitting the returns under section 139 (1). Efforts have been made to malign us and equate us with Shri Jagjiwan Ram. The Hon. Minister's both the statements are incorrect. He would have stated that if an Hon. Member has no other source of income, he need not file the returns but if income is more then he should file the income-tax return.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उस दिन श्री मुहम्मद इमाम द्वारा प्रस्तुत एक गैर-सरकारी संकल्प पर वाद विवाद का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि लगभग 300 संसद सदस्यों ने अपने विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं। हम चाहते हैं कि यह राशि हमारे वेतन में से काट ली जाये। हमें पता है कि हमारे लिये विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है और न ही हमारे पास समय है। मुझे वेतन के रूप में 100 रुपये भी मुश्किल से मिलते हैं और बाकी सब कुछ कट जाता है। हम इस बात के लिये तैयार हैं कि हमारे वेतन से आय कर काट लिया जाये। यदि ऐसा नहीं हो सकता हो हमारे सम्बन्ध में गलत धारणा नहीं पैदा की चाहिए।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : एक बेईमान मंत्री के कारण मंत्री महोदय पूरी सभा पर आक्षेप लगा रहे हैं और फिर वह ब्यौरा बताने के लिये भी तैयार नहीं है। इसके अतिरिक्त विलम्ब से विवरण प्रस्तुत करना दस वर्ष तक विवरण प्रस्तुत न करने के बराबर नहीं हो सकता। अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने विवरण प्रस्तुत किये हैं परन्तु एक माननीय सदस्य को सम्मन भेजे गये हैं। इस प्रकार संसद सदस्यों को परेशान किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : हम संसद सदस्यों के लिए कोई अलग कानून नहीं चाहते। आयकर सम्बन्धी कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक आयकर विभाग किसी व्यक्ति की आय छूट की सीमा से अधिक निर्धारित न करे तब तक आयकर विवरण प्रस्तुत करने के लिये किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। धारा 139 (2) के अधीन जब तक मंत्री महोदय अथवा उनके विभाग ने नोटिस जारी करके प्रत्येक सदस्य की आय का पता न लगाया हो, इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि अमुक सदस्य दोषी है या नहीं। इसलिए उन्हें सभी सदस्यों को विवरण प्रस्तुत करने के लिये कहना चाहिये। तभी इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कोई माननीय सदस्य दोषी है या नहीं। (**व्यवधान**)

Shri Molahu Prashad (Bansgaon): On a point of order, Sir. I want to know on what basis Income Tax officers are authorised to use their discretion in the matters pertaining to recovery of income-tax.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : बात केवल इतनी है कि यदि माननीय सदस्यों को आयकर देना है और उन्हें विवरण प्रस्तुत करने हैं तो उन्हें वे विवरण प्रस्तुत कर देने चाहिये। हम देश के अन्य नागरिकों से अलग नहीं हैं।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): The Prime Minister had assured on 24-12-69 that we shall get the list of 350 Members but we have not got it till this day. It is the question of our privilege.

Shri Sheo Narain (Basti): The Government should deduct the income-tax from our salary. They should not try to malign us.... **(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात् सदस्यों की यह सूची अध्यक्ष को भेजी गई थी और अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी और समस्त स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी, अभी इसका कानूनी पहलू विचाराधीन है और पूरे मामले पर विचार किया जा रहा है। मंत्री महोदय यदि चाहें तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर 6 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at six minutes past fourteen of the Clock.

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए** / **Shri Vasudevan Nair in the Chair**]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON TABLE

आयात व्यापार नियंत्रण नीति

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं वर्ष 1970-71 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-3031-70]**

कलकत्ता पत्तन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प तथा कलकत्ता पत्तन (संशोधन) विधेयक
STATUTORY RESOLUTION RE: CALCUTTA PORT (AMENDMENT) ORDINANCE AND CALCUTTA PORT (AMENDMENT) BILL

सभापति महोदय : अब सभा श्री कंवर लाल गुप्त के कलकत्ता पत्तन (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर विचार करेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): I beg to move:

"This House disapproves of the Calcutta Port (Amendment) Ordinance, 1970 (Ordinance, No. 2 of 1970) promulgated by the President on the 2nd February, 1970."

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 340 की ओर दिलाना चाहता हूं। इस नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद

किसी भी समय कोई सदस्य चर्चा स्थगित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। मुझे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों से व्यवसायिक कर के बारे में कई तार मिले हैं.....

सभापति महोदय : इसका यह उचित अवसर नहीं है। यह मामला इतना महत्व-पूर्ण नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने नियम 340 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा है। मेरी बात सुनने के बाद आप अपना विनिर्णय दे दीजिये मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।

सभापति महोदय : इन मामलों को बहुत से अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है। यह बात महत्वपूर्ण होते हुए भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि सभा का कार्य स्थगित कर दिया जाये।

Shri Kanwar Lal Gupta : There are two reasons for which I seek disapproval of the Calcutta Port (Amendment) Ordinance 1970. The Government had passed a Major Port Trust Act and they had given powers to the Port Commissioners that they could carry on their work as they wished. I want to ask why the Port Commissioner, Calcutta had not been given the same powers ?

My second objection is that it is wrong tendency to issue ordinance on the eve of the session. It is clear violation of parliamentary practice, decorum and propriety. In fact the House should have passed this Bill. This Bill has been introduced to empower the Port Commissioner, Calcutta to construct a second bridge over Hooghly. The question has been under consideration since long but all of a sudden the necessity of issuing ordinance had arisen. The Government is in the habit of using the exceptional powers in ordinary situations as a shield against their inactivity, omission and criminal negligence.

So far as the bill is concerned, I fully agree with the Government. The construction of a second bridge on Hooghly would not only remove the traffic congestion in Calcutta but it would also benefit Calcutta itself. Calcutta Port serves all the States of northern India. Therefore it should be developed and modernised.

With this I would like to mention two things. Even after spending Rs. 7 crores regularly per year it had not been possible for the Government to stop silting in Calcutta Port. I would also like to know whether the passage of this bill will in any way help us in saving this amount.

The original estimate for the construction of the bridge was about Rs. 7 crores. But it has now been revised to Rs. 22 crores. An inquiry should be conducted as to how the estimate has increased three fold. It is said that this increase is due to the fact that the height of the bridge would be increased, so that bigger ships could pass through it. The ministers should state whether after spending this money all the ships would be able to pass through that bridge.

The construction of Farakka barrage is being delayed due to interference of Pakistan . I would like to know what alternative steps Government are going to take in this regard.

Pilferage on a large scale is prevalent not only on Calcutta Port but on all the major ports of the country, resulting a great loss to the Government. This should be stopped by forming an effective machinery.

A multistoreyed building near Calcutta port was constructed after spending Rs. 5 to 6 crores for storing purpose. But since last two-three years it is lying unutilised due to some defects in its construction. Who is responsible for that. Has any investigation been ordered and guilty persons punished ?

Government should take immediate steps for the development of the Calcutta port so that the economy of West Bengal could improve.

संसद कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कलकत्ता पत्तन अधिनियम, 1890 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

यह एक छोटा तथा सामान्य विधेयक है, जिसके द्वारा कलकत्ता पत्तन अधिनियम 1890 का संशोधन करके कलकत्ता पत्तन आयुक्त को राज्य सरकार समेत अन्य प्राधिकरणों की ओर से कार्य करने का अधिकार दिया जायेगा । बड़े पत्तन न्यास अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है पर वह कलकत्ता पत्तन पर लागू नहीं होता, जिसकी व्यवस्था अपने ही अधिनियम के द्वारा होती है ।

इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता ने यह सवाल उठाया था कि इसे पहले क्यों नहीं लिया गया वास्तविकता यह है कि 1963 में जब बड़े पत्तन न्यास अधिनियम बनाया गया था तो इस बात पर विचार किया गया था कि क्या यह कलकत्ता पत्तन पर भी लागू हो सकेगा, पर कलकत्ता में स्थिति कुछ भिन्न होने के कारण हम इसके लिये नया अधिनियम बनाना चाहते थे । इसके लिये बड़े पत्तन आयोग का गठन किया गया है तथा वह कुछ महीनों में अपना प्रतिवेदन पेश कर देगा और उस प्रतिवेदन के आधार पर हमारा विचार कलकत्ता पत्तन अधिनियम समेत सभी बड़े पत्तन अधिनियमों में संशोधन करने का है ।

इस संशोधन की आवश्यकता हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण करने का विचार किए जाने के कारण हुई क्योंकि उसके निर्माण के कुछ भाग को वे कलकत्ता पत्तन आयुक्त को सौंपना चाहते थे ।

पर इसमें कई अड़चनें आईं, पश्चिम बंगाल में सरकार बदली राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ । फिर नई सरकार बनी और कुछ संशोधनों के बाद नया अधिनियम लागू किया गया । पर फिर कुछ अड़चने सामने आईं । हम पुल के निर्माण में और देर नहीं करना चाहते थे । अत: अध्यादेश लाया गया । विकास कार्यों के लिए अध्यादेश जारी करना गलत नहीं है । प्रस्तुतकर्ता ने भी इस बात को माना है कि यह एक बहुत ही जरूरी काम है और वे विधेयक के उद्देश्यों से सहमत हैं । हम किसी भी अधिनियम में अनावश्यक रूप से कोई संशोधन नहीं करना चाहते । जब बहुत ही आवश्यक हो तभी हम संशोधन करते हैं ।

यह कहा गया है कि कलकत्ता पत्तन का आधुनिकीकरण किया जाये। हम इस समय यही कार्य कर रहे हैं। फरक्का बांध का निर्माण हो रहा है। उसके लिये 150 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। जिससे कि पत्तन में पानी की पर्याप्त गहराई हो जाये। हल्दिया में हम एक आधुनिक पत्तन बना रहे हैं। प्रति वर्ष हुगली 120 लाख टन मिट्टी लाती है जिसे हटाने के लिए बड़े ड्रेजर की व्यवस्था की गई है।

सामान की चोरी होने का भी जिक्र किया गया। इस सम्बन्ध में हमने कलकत्ता पत्तन में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी प्रबन्ध किए हैं। कलकत्ता में चोरी रोकने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है तथा जो उसे रोकने में मदद करते हैं उन्हें पारितोषिक दिये जाते हैं। इससे स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

जहां तक कलकत्ता पत्तन पर बनी इमारत के इस्तेमाल न किये जाने की बात है, उसके बारे में मैं जांच पड़ताल करूंगा और यदि कोई निश्चित सूचना मिलेगी तो इसके बारे में कार्रवाई की जायेगी।

श्री मि० सू० मूर्ति (अनकापल्लि) : मैं विधेयक के उद्देश्य से सहमत हूं, पर मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकार ने अपनी ओर से हुगली पर पुल बनाने का काम पत्तन आयुक्त को क्यों सौंपा क्या सरकार पत्तन आयुक्त को ठेकेदार बनाना चाहती है। उसके पास अपने ही बहुत से काम हैं जिन्हें वह पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाता। फिर यह एक और नया काम उसे क्यों सौंपा जा रहा है ?

यह सही हो सकता है कि हुगली पर पुल बनाने में कुछ तकनीकी कठिनाइयां हों। 1964 में प्राक्कलन समिति ने इसके निर्माण के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें की थी पर सरकार उसे दबाए बैठी रही। अब सरकार इस काम के लिए निविदाएं मंगा सकती हैं। यदि कोई तकनीकी दिक्कत हो तो भी राज्य सरकार और पत्तन आयुक्त के बीच इस प्रकार का एक आपसी समझौता होना चाहिए जिससे कि वे कार्य को भली प्रकार कर सकें।

कलकत्ता पत्तन पर चोरी होती है, इस बात को स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि चोरियों में कमी हुई है, पर कम होने से काम नहीं चलता वह पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए।

कलकत्ता पत्तन के सुधार का कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए। नदी के मुहाने से 80 मील तक के क्षेत्र का रेत हटा दिया जाना चाहिए तभी जहाज आसानी से पत्तन तक पहुंच सकते हैं। जब तक कि ऐसा नहीं किया जाता तब तक हम जहाज वहां तक नहीं ला सकते और आयात-निर्यात नहीं हो सकता।

श्रीमती इलापालचौधरी (कृष्णनगर) : इस संशोधन के किये जाने की मुझे प्रसन्नता है क्योंकि इससे आयुक्त ऐसे कार्य हाथ में ले सकेगा जो बहुत आवश्यक है। कलकत्ता पत्तन से क्षेत्र का 42 प्रतिशत निर्यात और 25 प्रतिशत आयात होता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण पत्तन

है। इसलिए हुगली पर दूसरे पुल का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए। पत्तन को अच्छे ड्रेजर दिए जाने चाहिए, जिससे वे बार-बार खराब नहीं और बेकार न पड़े रहें और रेत शीघ्रता से हटाया जा सके। जहाजों को हुगली में चलाने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और वह विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है। अतः जहाज चलाने वालों को प्रसन्न रखना चाहिए और उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिए।

समस्त गोदी कर्मचारियों के वेतनमानों का अध्ययन एक आयोग कर रहा है। मुझे आशा है कि कर्मचारियों को उनका प्राप्य मिलेगा और कलकत्ता पत्तन का विकास किया जायेगा।

श्री लोबोप्रभु (उदीपि) : कलकत्ता पत्तन जिसका स्थान कभी देश में पहला था, अब वह चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यह एक बड़ी ही गम्भीर बात है। कलकत्ता पत्तन आयोग के प्रति जितना ध्यान दिया जाता है, उससे अधिक ध्यान देना चाहिए।

कलकत्ता पतन में नौकाओं की भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण स्टीमर आदि के पत्तन में आने तक कठिनाई होती है, उस भीड़ को कम किया जाना चाहिए।

दूसरे गोदामों की कमी का प्रश्न है। यद्यपि कलकत्ता में गोदी भाड़ा कम होता जा रहा है फिर भी वहां भाड़े का हिसाब ठीक से नहीं रख जाता है तथा चोरी आदि की अनेक घटनायें होती हैं।

तीसरे कलकत्ता पतन पर मशीनों की सहायता का कोई प्रबन्ध नहीं है। माल उठाने तथा लादने के लिये क्रेनों की व्यवस्था नहीं है। ऐसी ही अन्य मशीनों के अभाव के कारण स्टीमर को घाट पर लगने में 2.6 दिन लगते हैं और एक दिन में लगभग 11,000 से 12,000 रुपये तक व्यय आता है। ये आंकड़ें 66-67 के हैं परन्तु अभी तक इस ओर कोई उन्नति नहीं हो पाई है।

चौथे कलकत्ता में मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है। मजदूरों के कारण अनेकों कठिनाइयां होती हैं। यद्यपि यहां मजदूरों की संख्या 42000 है और बम्बई में 30,000 फिर भी वहां पर बम्बई का आधा भाड़ा प्राप्त होता है। कार्य पर लगाये गये व्यक्ति तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों में कोई अनुपात नहीं मिलता। जैसा कि यहां के मजदूरों के पारिश्रमिक बढ़ाने के विषय में कहा गया है मेरे विचार से मजदूरों को वेतन के बराबर कार्य भी करना चाहिये।

फरक्का बांध का प्रश्न भी इसी से संबद्ध है। यह योजना इस वर्ष पूरी हो जानी चाहिये थी परन्तु अभी यह आगामी दो वर्ष तक पूरी होती प्रतीत नहीं होती दूसरी पूर्ति में देरी होने से पाकिस्तान के विरोधों में वृद्धि होती जायगी तथा भागीरथी और हुगली नदियां भी अपना कार्य सम्पन्न करने में समर्थ सिद्ध नहीं हो सकेगी। फरक्का बांध के साथ ही हाल्दिया पत्तन का कार्य भी शीघ्र ही कराया जाना है। इस क्षेत्र में भी मंत्रालय अपना वचन पूरा नहीं कर सका है।

1946 से 1966-67 तक भाड़े में 10 बार वृद्धि की गई है और इस समय संसार के किसी भी पत्तन की अपेक्षा यहां भाड़े की दर दुगनी है। जब तक ये दरें नीची नहीं की जातीं इस पत्तन का विकास नहीं किया जा सकता।

मिट्टी निकालने के सम्बन्ध में हमें ध्यान रखना चाहिये कि एक करोड़ टन मिट्टी प्रति वर्ष निकाली जाती है। जहां तक मुझे ज्ञात है 50 लाख टन मिट्टी भी एक वर्ष में नहीं निकल पाती है जिसके कारण अधिकाधिक रेग एकत्र होती जा रही है। मिट्टी निकालने का प्रश्न सभी पत्तनों के लिये महत्वपूर्ण है। मंगलौर तूतीकोरिन तथा पारादीप पत्तनों पर जो खुदाई का कार्य कराना है। वहां पर खुदाई करने वाली मशीनों की संख्या अपर्याप्त है। सरकार ने गार्डन रीच रिसर्च वर्कशाप को एक ड्रेजर का और आदेश दिया है परन्तु यह फर्म 1 ड्रैजर 34 महीने में तैयार करती है तब तक सब कुछ नष्ट हो जायगा।

मेरा अनुरोध है कि प्रतिरक्षा-मंत्रालय ड्रैजर की पूर्ति करने का आश्वासन दे। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो सरकार युगोसलविया अथवा अन्य किसी सदुर पूर्वी देश से ड्रेजर खरीद सकती है। मद्रास पत्तन से भी मई में एक ड्रैजर प्राप्त हो सकता है। यदि ड्रैजर का प्रबन्ध नहीं किया गया तो सारा कार्यक्रम ठप्प हो जायगा।

मंगलौर पत्तन में एक करोड़ टन मिट्टी की खुदाई आवश्यक है। एक ड्रैजर से वहां कार्य पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके द्वारा 12.50 लाख टन मिट्टी खोदी जा सकती है। गार्डन रीच वाला ड्रैजर कई साल तक नहीं मिलने का और सरकार ने एक हौयर डैजर का आदेश दिया है परन्तु हमें कटर डैजर की आवश्यकता है। यदि यह उपलब्ध नहीं हुआ तो इस योजना पर व्यय की जाने वाली 15 करोड़ की राशि से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार ने जितने ड्रैजरों की व्यवस्था की है, मेरे विचार से, इनसे 50 लाख घनफीट मिट्टी खोदी जा सकती है जबकि हमारा लक्ष्य 250 घन फीट मिट्टी खोदने का है। इस प्रकार टूटीकोरीन तथा मंगलौर की योजना 5 वर्ष में पूरी होगी। और एक ड्रैजर पर 3 करोड़ रुपये व्यय न करके सरकार को 10 या 12 करोड़ रुपये ब्याज देना होगा। मद्रास पत्तन के कार्य निष्पादन में विलम्ब होने के कारण 4.6 के स्थान पर 15 करोड़ की राशि व्यय करनी पड़ी। ऐसी बातें समस्त मंत्रिमंडल के लिये अपमान जनक हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : इस सम्बन्ध में मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। एक तो यह कि कलकत्ता पत्तन पर विद्यमान ड्रैजरों का उनकी क्षमता के अनुसार उपयोग नहीं किया गया है। प्राक्कलन समिति तथा अन्य निकायों द्वारा इसी आशय के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। दूसरे मेरा विचार यह है कि अधिक ड्रैजर रखने पर भी गुण प्रकार में कोई सुधार नहीं होगा क्योंकि एक स्थान पर नदी से मिट्टी आदि निकाली जाती है और दूसरे स्थान पर उसी नदी में डाल दी जाती है। हमारे पास ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है जिसके द्वारा इस मिट्टी को किनारे पर ही दबा दिया जाय और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग किया जाय।

हुगली पर दूसरा पुल बनाने के सम्बन्ध में पत्तन आयुक्त इस बात पर बल दे रहे हैं कि इस नये-पुल को इतना ऊंचा बनाया जाय कि समुद्र में चलने वाले स्टीमर इस पुल के नीचे से निकल सकें। इसका तात्पर्य यह है कि पुल नदी से 125′ ऊंचा होगा। यदि कलकत्ता पत्तन आयुक्तों का सुझाव मान लिया गया तो पुल की संभावित ऊंचाई 120′ होगी और ऊंचे तथा नीचे पुल बनाने में 8 से 10 करोड़ की राशि का अन्तर होगा। हावड़ा ब्रिज तथा नये बनने वाले पुल के मध्य कलकत्ता पत्तन आयुक्तों की कुछ जेटियां है जो माल उतारने तथा चढ़ाने के काम आती हैं। ये जेटी बहुत पुरानी है। अभियन्ताओं के विचारानुसार इनको धीरे धीरे गिरवा देना चाहिये। परन्तु पत्तन आयुक्त इस बात पर बल दे रहे हैं कि नया पुल ऊंचा बनाया जाय जिससे पुल के नीचे से निकल कर समुद्र में चलने वाले स्टीमर आदि इन जैटियों तक पहुंच सके। संयुक्त मोर्चा सरकार यह तर्क दे रही है कि पतन आयुक्तों ने अपने ही प्रतिवेदन में कहा है कि जितना माल इन जैटियों द्वारा उतारा चढ़ाया जायगा 1980 तक उसकी व्यवस्था किंगजार्ज डाक में की जा सकती है। फिर भी पत्तन आयुक्त इन जैटियों के कार्य करते रहने पर बल दे रहे हैं। यदि इन के पास जैटियों के नवीनीकरण की कोई योजना होती तो ये सबल तर्क प्रस्तुत करते परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि अन्ततः इन जैटियों को समाप्त किया ही जायगा परन्तु इस समय इनके नाम से ही ऊंचे पुल के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। हमने संयुक्त मोर्चा सरकार से इस प्रस्ताव की स्वीकृति के विषय में पूछा था उन्होंने यही उत्तर दिया कि यदि हम अपने तर्कों पर ही जमे रहे तो भारत सरकार को एक बहाना मिल जायगा और 10-20 साल तक कोई पुल नहीं बनने का। पिछली बार संयुक्त मोर्चा सरकार के मंत्री महोदय ने यहां श्री मोरारजी देसाई से इस विषय में चर्चा की श्री देसाई ने यही कहा कि कुछ न होने से ऊंचा पुल बन जाना ही ठीक है क्योंकि केवल हावड़ा ब्रिज से काम नहीं चल सकता। इन्हीं कारणों से उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। जैसा कि सबको ज्ञात है नदी तल से 120′ ऊंचे पुल के दोनों ओर पहुंच सड़क बनाने का कार्य एक समस्या है। पुल के दोनों ओर बहुत अधिक भूमि अर्जित करनी होगी जिसमें पुल तक पहुंचने के लिये सड़क बनाई जायगी। पुल पर व्यय की जाने वाली 16.5 करोड़ की कुल पूंजी में से केवल 4 करोड़ पुल पर व्यय होगा तथा 12 करोड़ के लगभग इन सड़कों आदि पर। इस पुल से यातायात में भी कोई सहायता नहीं मिलने की परन्तु फिर भी पत्तन आयुक्तों की जिद के कारण यह सब कुछ किया जा रहा है।

यदि आप ऊंचा पुल बनाने पर ही बल देते हैं तो पश्चिमी बंगाल के बजट पर बोझ न लादा जाय पुल के निर्माण के लिये ऋण देने के स्थान पर अनुदान दिया जाय।

जिस ढंग से पुल के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है उससे अनेक उलझने होंगी। निर्माणाधीन पुल के (हावड़ा वाले छोर) पर एक स्थल—राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 है। इन दोनों स्थलों को मिलाना पड़ेगा। जैसा कि मंत्री महोदय को ज्ञात है कोना एक्सप्रैस मार्ग की योजना दीर्घकाल से लम्बित है। कोना एक्सप्रेस मार्ग उपरोक्त दोनों स्थलों को जोड़ सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि कोना एक्सप्रैस मार्ग पर इस नई योजना के अभिन्न अंग के रूप में विचार किया जाय।

कोना एक्सप्रैस मार्ग पर व्यय होने वाली धनराशि अर्थात 5 करोड़ रुपये भी केन्द्र सरकार को देना चाहिये, क्योंकि इस मार्ग से कलकत्ता को ही लाभ नहीं होगा बल्कि राष्ट्रीय महत्व के विषय वाणिज्य-व्यापार आदि में भी सहायता मिलेगी । पत्तन आयुक्तों के अतिरिक्त भी संसार में अनेक कुशल अभियन्ता हैं । मेरा निवेदन है कि सरकार इस समस्या पर इनसे विचार विमर्श करे। एक पुल के स्थान पर दो पुल बनाये जा सकते है जिससे यातायात की कठिनाई बहुत सीमा तक दूर हो जायगी ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Calcutta port is very old and is one of the best ports in India. However, big ships cannot enter it and therefore it requires to be modernized. Big vessels have to wait very far from the coast. Consequently there is delay and inefficiency in loading and unloading.

It has been stated in a magazine named "Indian Shipping" that Calcutta Port is lagging behind in traffic by 17 or 18 years as compared to the other ports of India. There are several reports to this effect but no positive steps are taken to improve the existing situation.

As regards the improvement of the present condition, there are two alternatives. One is the early development of satellite port and the other is to provide as much aid as possible to make the port up to date. The Working group of union ministry has recommended an aid of Rs. 296.83 crores for the development of Calcutta port in the coming 4th plan. But I fail to understand as to why the aid was restricted to Rs. 280 crores by the planning commission.

I would like the Government to consider the position and take steps to make Calcutta port uptodate.

The Government have been neglecting the Calcutta Port for a long time. This should be stopped and all possible efforts should be made to mordernise this Port. Once it is developed, cargo and passenger traffic will be improved and as a result, export trade will also be improved. This will make considerable change in the economy of the country.

I want a reply from the Minister having kept all these things in view.

Shri Bhagaban Dass (Ausgram) : Mr. Chairman, I welcome the Bill introduced in the House regarding the Calcutta Port, which seeks to give power to the Calcutta Port commissioner.

This was formerly a first class port, but now it has been pushed back to fourth rate. It happened because the Government did not pay any heed to this side. This is a very important port. The Government could have achieved more income, by way of export and import trade, had they paid heed in this direction. Now the Government is trying to modernize the port. May I know when it will be completed ?

The bridge, on river Hooghly which is under constuction now, should be completed as early as possible.

I would also like to know how much amount will be spent in the construction of this bridge and how many years it will take to complete the work.

The workers working there are getting very poor salary. The Government should take note of it.

May I know how much amount is spent in a year for Calcutta port? How much is provided for that and whether the expenditure is more as compared to the revenues received from the port? If it is more, what steps are proposed to be taken by the Government to minimise it?

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : कलकत्ता पत्तन के सम्बन्ध में सरकार का यह विचार बिल्कुल ठीक है कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अत: सरकार अब इसकी सुरक्षा तथा इसे यथासम्भव विकसित करने को सोच रही है।

मगर मुझे संदेह है कि हुगली नदी के सम्बन्ध में जो आशंकायें हैं, फरक्का बांध के निर्माण से वे दूर हो जायेंगी। मैंने किसी तकनीकी शोध-निबंध में पढ़ा था कि यह नदी ऐसी स्थिति में है कि जब जोर से प्रवाह होता है, तो गाद, रेत आदि जोर से आते हैं और इन नदियों में जमा हो जाते हैं। पाकिस्तान इससे बचा रहता है। जब भी ज्वार भाटा होता है, सारे रेत, गाद आदि बंगाल की खाड़ी से राज्य के बहुत अंदर तक घुस आते हैं, और वहां जमा होते हैं। मेरे विचार से फरक्का बांध इस समस्या को सुलझा नहीं सकता क्योंकि इस बांध से छोड़े जानेवाले पानी से पहले ही जमा हुए रेत व गाद को हटाया नहीं जा सकता। इसको सुलझाने के लिए बंगाल की खाड़ी से लगे हुए तट की जल-विज्ञान सम्बन्धी खोज की जानी चाहिये और तदनुसार कोई उपाय ढूंढना चाहिए ताकि रेत व गाद का जमाव न हो। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक कलकत्ता पत्तन सुरक्षित न रहेगा।

इस प्रकार, रूपनारायण जैसी अन्य नदियां भी हैं जो बिल्कुल गहरी नहीं है। नदी को नियंत्रित करने का भी कोई प्रबन्ध वहां नहीं है। उन नदियों की चौड़ाई को कम करना चाहिये ताकि प्रवाह अधिक तेज हो सके। वैसे ही बड़ी नदियों की जो शाखा नदियां हैं उनमें भी यही काम करके प्रवाह को तीव्र किया जा सकता है और उनके द्वारा जमे हुए रेत, गाद आदि को हटाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। हम यह समझ रहे हैं कि फरक्का बांध एक तरह का रक्षाकवच है, परन्तु इस रक्षाकवच से काम नहीं बनेगा। हमारे अभियन्ताओं में से अधिकांश लोग भविष्य में होनेवाली कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचते हैं। वे केवल वर्तमान समस्याओं पर विचार करेंगे और तदर्थ हल खोज निकालेंगे, जो कभी भी वास्तविक हल नहीं कहा जा सकता। पुल के निर्माण के सम्बन्ध में हम जानते हैं कि क्या किया जा रहा है। 120 फुट ऊंचे पुल को मिलानेवाली सड़क को कलकत्ता के उस भाग में बनाना बहुत कठिन है।

अत: मेरा सुझाव यह है कि इन बातों पर सरकार सावधानी से विचार करे। कुछ ऐसी बातें अवश्य हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये, मगर समस्या के स्थायी पहलुओं को हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि कलकत्ता पत्तन की सुरक्षा हेतु हम फरक्का बांध पर पूर्णत: निर्भर न रहें। इससे समस्या का हल नहीं होगा। अन्य संबद्ध कार्य भी किया जाना चाहिये।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं पत्तन के श्रमिकों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। समाचार-पत्रों में आया है कि पत्तन व गोदी श्रमिकों के लिये नियुक्त किए गए वेतन बोर्ड ने कुछ सिफारिशें दी हैं। जब हम पत्तन-विकास पर विचार करते हैं, तो हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिये कि श्रमिकों के जीवन स्तर का इससे महत्वपूर्ण एवं गहरा सम्बन्ध है।

लम्बे चार या पांच वर्षों के बाद प्राप्त हुए इन सिफारिशों को सरकार ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। एक सिफारिश में यह कहा गया है कि इसको भूतलक्षी प्रभाव देकर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। वेतन बोर्ड पिछले चार वर्षों से काम कर रहा है। इस विधेयक में, जो अब सदन में प्रस्तुत किया गया है, इन बातों का जिक्र नहीं किया गया। यदि वेतन की नियुक्ति की तारीख से इसको प्रभावी बना दिया होता, तो दो लाख पत्तन व गोदी श्रमिक इस विधेयक का आम तौर पर स्वागत कर लेते।

कलकत्ता के पत्तन श्रमिकों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने कहा था कि कलकत्ता पत्तन श्रमिकों के विभिन्न वेतन ढांचे के सम्बन्ध में, जैसाकि वेतन बोर्ड ने सिफारिश की है, पृथक् रूप से विचार किया जायगा और तत्सम्बन्धी आदेश शीघ्रता से जारी किया जायगा। पता नहीं लगता कि तत्सम्बन्धी निर्णय लेने में और कितने वर्ष लगेंगे। उनसे कहा गया है कि जो किराया वे मकान के लिए देते हैं, वे आगे भी उन्हें मिलता रहेगा। मगर उक्त निर्णय तक को भी इस सिफारिश में से हटाया गया है।

विलम्ब होने पर भी मैं वेतन बोर्ड के बहुमत निर्णय का स्वागत करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे तुरन्त इसको कार्यान्वित करें और तत्द्वारा दो लाख पत्तन व गोदी श्रमिकों की सहायता करें।

पाराद्वीप एक ऐसा पत्तन है जिसका निचला भाग पूर्णत: रेत से भरा हुआ है और यह सबसे गहरे पत्तनों में से एक है। किसी भी हद तक इसकी खुदाई की जा सकती है। विशेषज्ञों का मत है कि खुदाई द्वारा इस पत्तन को संसार के सबसे गहरे पत्तनों में एक बनाया जा सकता है और दो लाख टन के टैंकर तक इसके अंदर आ सकते हैं। मगर मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार इसके साथ हमेशा सौतेली मां का जैसा व्यवहार करती रही है। जब अन्य कई पत्तनों का समुचित विकास हुआ है, केवल इसकी बराबर उपेक्षा होती रही। यद्यपि हाल में यहां एक माल उतारने चढ़ाने की वर्थ का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, फिरभी ऐसे अनेक वर्षों का निर्माण बाकी है जो इस प्रकार के पत्तन के लिये जरूरी है। उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है। उसका औद्योगिक विकास इनके जैसे अनेक छोटे-मोटे पत्तनों के विकास पर निर्भर है। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में स्पष्ट आश्वासन दें कि इस पत्तन का शीघ्र विकास किया जायगा ताकि यह भारत के अन्य पत्तनों के बराबर आ जाये। अब इसको विकसित किया जायगा तो यह भारत के ही नहीं, सारे संसार के सबसे बड़े पत्तनों में एक बनेगा।

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): महोदय ! इस विधेयक पर बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों ने हुगली नदी पर दूसरा पुल बनाने के उद्देश्य का समर्थन किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पुल की ऊंचाई के बारे में भी चर्चा की है। इस सम्बन्ध में वर्ष 1964 में सभी प्रकार की तकनीकी और गैर-तकनीकी बातों पर पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों ने विचार किया था। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल ने फिर हमसे इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये कहा। हमने अपने तकनीकी सलाहकारों की सहायता से इस बात की पूरी जांच की तथा मैंने स्वयं इस बात की पूरी जांच की है कि इस जांच से कलकत्ता पत्तन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उत्तर भारतीय राज्यों के साथ जिन महत्वपूर्ण संस्थानों से व्यापार होता है, उनमें कलकत्ता पतन भी है अतः बंगाल तथा देश के इस भाग के विकास के लिये इस पत्तन के लिये कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। कलकत्ता पत्तन के साथ जितनी प्राकृतिक कठिनाइयां हैं, उतनी किसी पत्तन के साथ नहीं हैं। इस समय प्रस्तावित ढंग से कार्य करने पर 5 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है किन्तु भविष्य में यह अहितकर और अदूरदर्शी सिद्ध होगा। फरक्का बांध को जल से हुगली को चौरस करके हम कुछ समस्याएं हल करना चाहते थे। हम इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। यह सभी इंजीनियरों ने स्वीकार किया है कि यदि इस पुल की सतह नीची रखी जायेगी तो स्तम्भों से गाद में वृद्धि होगी। हम इस समस्या पर 150 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और यदि एक अन्य कठिनाई उपस्थित की गई तो गाद की वृद्धि होना अनिवार्य है। कलकत्ता पत्तन पर जहाजों के लंगर डालने के स्थान होने चाहियें। सभी जहाजों को अन्दर रखना कठिन है अतः कुछ को बाहर भी रखना पड़ता है। 85 नौबन्धों में से 38 नौबन्ध इस पुल से परे होंगे। जब जहाज को पत्तन पर लाया जाता है तो उस समय ब्रेक आदि की सहायता से इसे रोकना कठिन है। मैंने स्वयं वहां जाकर पूर्ण स्थिति का निरीक्षण किया है तथा यह पाया है कि नीची सतह के पुल के निर्माण में स्वयं बंगाल और कलकत्ता की हानि है। हमारे दृष्टिकोण का बड़े इंजीनियरों, कलकत्ता पत्तन आयुक्त तथा उनके सलाहकार तथा अनेक विभागों के व्यक्तियों ने समर्थन किया है। यदि तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्ति कोई ऐसी सलाह देते हैं जिसमें कलकत्ता के व्यक्तियों का लाभ निहित है तो मैं अन्य व्यक्तियों की बात क्यों स्वीकार करूं। जहां तक ऋण देने का प्रश्न है, हमने इतना ऋण इस समस्या को विशिष्ट समस्या मान कर दिया है। कलकत्ता इस देश का सबसे बड़ा नगर है तथा उसकी समस्याओं का समाधान करना सरकार का कर्तव्य है। साथ ही इस समस्या की तुलना किसी अन्य समस्या के साथ भी नहीं की जा सकती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम का उल्लेख किया है। हमने भी इस विधेयक को पिछले सत्र में पुरःस्थापित कर दिया था किन्तु इस पर विचार-विमर्श करने का अवसर नहीं मिल सका। दूसरे सदन ने इस विधेयक को पारित भी कर दिया है। फिर भी पुल आयुक्तों की नियुक्ति के लिये अध्यादेश जारी कर दिया गया है जिससे कि वे कार्य आरम्भ कर सकें।

हुगली में गाद की समस्या को रोकने के सम्बन्ध में हम इंजीनियरों को सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान कर रहे हैं। हमने कलकत्ता पत्तन को एक अत्यन्त बड़ा ड्रेजर दिया है जिसकी सहायता से यह समस्या यदि पूर्णरूप से नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से तो हल हो ही जाये।

वहां 14 बार हैं जो अलग-अलग समस्याएं उत्पन्न करती हैं। एक समस्या यह भी है कि गाद को निकाल कर कहां फेंका जाये। उसके लिये भी स्थान चाहिये। इसके उपरांत यह भी देखना है कि वह फिर बहकर उसी स्थान पर न आ जाय। इस मामले में भी तकनीकी जानकारी प्राप्त लोगों की सलाह ली जा रही है तथा विशेषज्ञों ने समस्या का पूरा अध्ययन किया है। कलकत्ता पत्तन के पास छोटे, बड़े और मध्य स्तर के अनेक ड्रेजर हैं तथापि समस्या वास्तव में विकट है।

श्री भगवान दास ने इस बात का उल्लेख किया है कि कलकत्ता पत्तन कोई लाभ नहीं कमा रहा है। सरकार ने इस सम्बन्ध में भट्टाचार्य समिति नियुक्त की थी तथा उसकी अधिकतर सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। सरकार नदी के रख रखाव पर आने वाले व्यय की आधी राशि देती है तथा भागीरथी हुगली नहीं के निर्माण कार्य पर आने वाले पूर्ण खर्च को भी वहन करती है जिसकी राशि 11 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं से कलकत्ता पत्तन की सभी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी।

केवल इतना ही नहीं है कि सरकार कम ऊंचाई वाले पुल के निर्माण के सम्बन्ध में सहमत नहीं है। हम अपनी ओर से कलकत्ता पत्तन की सहायता के लिये बड़ा कार्यक्रम बना रहे हैं। हल्दिया परियोजना पर इसी उद्देश्य से लगभग 58 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं। आशा है इन सभी उपायों से कलकत्ता पत्तन की स्थिति में भारी सुधार होगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पत्तनों के लिये निर्धारित राशि का पांचवां भाग कलकत्ता पत्तन तथा हल्दिया परियोजना तथा नदियों के बहाव को मोड़ने के कार्य पर खर्च की जा रही है।

कई माननीय सदस्यों ने 'किसी व्यक्ति' (एनी पर्सन) शब्दों पर आपत्ति व्यक्त की है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हुगली नदी तथा भागीरथी फरक्का तक पत्तन आयुक्तों के अधीन नदी-क्षेत्र के अन्तर्गत होगा। अतः यदि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिये कोई छोटी जेटी बनाना चाहे तो केवल पत्तन आयुक्त ही के द्वारा उस कार्य को किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को यह कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आशा है माननीय सदस्यों की गलतफहमी अब दूर हो गई होगी।

श्री लोबो प्रभु ने मंगलौर पत्तन की समस्याओं का उल्लेख किया है। वहां 110 लाख घन मीटर स्थान का तलकर्षण किया जा रहा है। इस कार्य के लिये सभी उपाय किये जा रहे हैं। सरकार ने मंगलौर तथा पारादीप पत्तनों की सभी समस्याओं की जांच की है। पारादीप के लिये नये माल वर्थ की मंजूरी दी गई है। पुनः इसकी गहराई 39 फीट कर दी गई है। मैं समझता हूं इतनी सहायता कम नहीं है। यद्यपि राज्य सरकार हमें भूमि नहीं दे रही है तब भी सरकार पत्तन की सहायता कर रही है।

महोदय ! मैंने लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और अब मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, the Hon. Minister has stated that the construction of Farakka Barrage will take about one year but I think it would take much more time than this. In this context may I know the steps proposed to be taken to deal with the difficulties likely to take place within this interim period ?

The Hon. Minister has also stated that a committee has been appointed by the Government to check the cases of pilferage etc. but I am sorry to comment that no substantial effect has been observed in this matter even after the appointment of that committee.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Sir, the Hon. Minister has refered to several projects and schemes that have been undertaken, or proposed to be under taken by the Government. These steps may be proved effective in respect to the improvement of Calcutta Port. But I wanted to know the steps being taken by the Government to modernise the Calcutta Port with a view to ameliorate the economic condition of not only Bengal but of other northern States of the country.

The Hon. Minister has himself admitted that this Bill was introduced two years before but they could not find an opportunity to take up this Bill. I would like to remind the Hon. Minister that it is the duty of the Government, the concerned Minister and the chief whip to find time for the discussion on this Bill. Due to the lethargic attitude of the Government this Bill has been unnecessarily delayed for two years and the Hon. Minister should feel that this is a serious lapse on his part.

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं इस संकल्प के बारे में अधिक जोर नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मैं इस रूप में विधेयक के विरोध में नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापिस लेने की सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।
The Statutory Resolution was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कलकत्ता पत्तन अधिनियम, 1890 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

खण्ड 2

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

It has been said in Clause 2:—

"The Commissioners may undertake to carry out on behalf of any person (including any State Government) any works or services or any class of works or services on such terms and conditions as may be agreed upon between the commissioners and such person."

I want that it should also be provided in Clause 2 that commissioners should undertake to carryout any works after due and prompt intimation to the Union Government.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 2 तथा 3 प्रस्तुत करता हूं । संशोधन संख्या 2 का समर्थन श्री इन्द्रजीत गुप्ता तथा श्री मि० सू० मूर्ति ने किया था । श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने दो मुख्य बातें उठाई थीं । पहिली नौका घाट पर पहुंचने के लिए 120 फुट ऊंचा पुल बनाने की आवश्यकता पर विचार किया गया था । बाद में कहा गया कि इन नौका घाटों की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि किंग जार्ज नौका-घाट का विस्तार किया जाना है । दस वर्ष से यह कार्य रुका हुआ है । कुछ इन्जीनियरों ने सहमति प्रकट की है कि यह पुल 120 फुट ऊंचा होना चाहिये । प्रवेश मार्गों की लम्बाई को बढ़ाया जाना है और कई मकानों को किराया जाना है । इस कार्य में 12 करोड़ रुपये व्यय होंगे । मेरा सुझाव यह है कि इतनी बड़ी धन-राशि लगाने एवं जोखिम लेने से पहले पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए ।

कलकत्ता पत्तन न्यास को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनको सीमित करने के लिये खण्ड में संशोधन करना आवश्यक है । उपबन्ध में कहा गया है कि आयुक्त को, किसी भी व्यक्ति जिसमें राज्य-सरकार भी शामिल है, की ओर से किसी भी कार्य या सेवा या किसी प्रकार की कार्य या सेवा ऐसे नियमों एवं शर्तों के आधार पर क्रियान्वित करने का अधिकार है जो आयुक्त एवं सम्बन्धित व्यक्ति को स्वीकार्य है । इस प्रकार उन्हें मनमाने अधिकार दिए गए हैं । क्या उन्हें ऐसे अधिकार देना आवश्यक है ?

कलकत्ता पत्तन न्यास में 42000 कर्मचारी हैं । आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होने पर भी उन्हें उपरिसमय भत्ता दिया जाता है । उन्हें अन्धाधुन्ध कार्य करने की अनुमति क्यों दी गई है ? पिछले वर्ष इस न्यास ने तीन करोड़ का घाटा दिखाया है । क्या सरकार यह निर्माण कार्य न्यास को सौंपकर घाटे की राशि को और भी बढ़ाना चाहती है ?

समुद्र को गहरा करने के विषय की उपेक्षा की गई है । जिस गति से यह कार्य चल रहा है, उसके अनुसार इस कार्य को 5 वर्ष लगेंगे । सरकार का कार्य एक ड्रेजर से, जो कि विदेश से खरीदा जाना है, कैसे हो सकता है ? सरकार एक तरफ तो गोदी बनाने का कार्य कर रही है और दूसरी तरफ समुद्र को गहरा करने का काम नहीं किया जा रहा है । इससे तो सरकार का व्यय और भी बढ़ जाएगा ।

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : जहां तक कलकत्ता पत्तन न्यास के ठेके का प्रश्न है, यदि उसमें व्यय होने वाली राशि 2 लाख से अधिक है तो कलकत्ता पत्तन न्यास को सरकार से अनुमानित व्यय की मंजूरी लेनी चाहिए। अगर संशोधन स्वीकार नहीं भी किया जाता तो सरकार को कलकत्ता पत्तन अधिनियम के 48 वें अनुच्छेद के अन्तर्गत अनुमति देनी ही पड़ती है । अतः संशोधन स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं।

कलकत्ता पत्तन न्यास का बजट स्वीकृति हेतु सरकार के पास आता है। बिना स्वीकृति के न्यास कुछ भी नहीं कर सकता। बड़ा पत्तन न्यास अधिनियम विशाखापटनम, पारादीप, कोचीन एवं कांडला आदि पत्तनों पर लागू होता है। जब इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया गया तो यह कैसे माना जा सकता है कि कलकत्ता पत्तन न्यास इसका दुरुपयोग करेगा ? कलकत्ता पत्तन न्यास को अधिकार इसीलिए दिये गये हैं कि दूसरे हावड़ा पुल-निर्माण का कार्य चल सके।

समुद्र को गहरा करने के सम्बन्ध में मैं सदन में पहले ही बता चुका हूं। कलकत्ता को आधुनिक बनाने की समस्या क्रेनों की समस्या नहीं है। कलकत्ता को आधुनिक बनाने की समस्या समुद्र को गहरे करने की है और इसके लिए काफी धन व्यय किया जा रहा है। सरकार एक नया अनुषंगी आधुनिक पत्तन बना रही है । कलकत्ता को आधुनिक बनाने के लिये ऐसे बड़े कार्य किये जा रहे हैं। अतः माननीय सदस्य के संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : माननीय सदस्य ने बताया है कि संशोधन स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बात का उत्तर नहीं दिया गया कि संशोधन स्वीकार करने में क्या हानि है ?

श्री इकबाल सिंह (फाजिल्का) : मैंने बताया कि यह उपबन्ध बड़े पत्तन न्यास अधिनियम में पहले से दिया गया है। इस उपबन्ध के दुरुपयोग का एक भी उदाहरण नहीं मिला है। यह कैसे माना जा सकता है कि कलकत्ता पत्तन न्यास इसका दुरुपयोग करेगा । वांछनीय यही होगा कि कलकत्ता पत्तन न्यास को पूरे अधिकार दिए जाएं । अतः संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 1 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में	विपक्ष में
53	86
Ayes 53	Noes 86

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड 2 का संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3,4,1, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन-सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 3, 4, 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री इकबाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक को पारित किया जाये ।'

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

'कि विधेयक को पारित किया जाये ।'

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं कुछ मिनट तृतीय वाचन पर बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्ता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा ऊंची सतह का पुल बनाने के पक्ष में दिये गये तर्क का इन जेट्टियों के प्रयोग करने या न करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके तर्क का जो आधार है, वह इंजीनियरों के परामर्श पर आधारित है कि यदि निम्न स्तर का पुल बनाया जायेगा तो वह खंभों पर बनेगा तथा उससे रेग की भराई में वृद्धि की संभावना है । मैं इस बात से सहमत हूं । परन्तु हुगली नदी पर जो पुराना हावड़ा पुल है, वह नदी से 35 फुट ऊपर है तथा वह खंभों पर नहीं बना हुआ है तथा आधुनिक पुल-निर्माण की तकनीक तो इतनी विकसित हो गई है कि खंभों पर पुल बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । मेरी यह समझ में नहीं आता कि इंजीनियर यह क्यों कहते हैं कि निम्न स्तर के पुल निर्माण से रेग की भराई में वृद्धि होगी अत: हमें उसे बनाना छोड़कर 16 करोड़ रुपयों की लागत से 120 फुट ऊंचा पुल बनाना चाहिये । यदि परियोजना पर दुबारा गौर करें तथा हमें यह कारण बता कर संतुष्ट करें कि क्यों नहीं खंभों पर निम्न स्तर का पुल बनाया जा सकता है ? अधिक भीड़ की समस्या को दूर करने की आज आवश्यकता है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय, मैं इस विधेयक की ताईद करता हूं। कलकत्ता में आवागमन की भयानक समस्या है। हावड़ा पुल पर आवागमन कई घंटों तक बन्द रहता है। कलकत्ता से हावड़ा को जोड़ने वाला एक मात्र पुल हावड़ा पुल है, आवागमन की समस्या पर चर्चा करते समय मैं पहले ही आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं सरकार का ध्यान लन्दन जैसे बड़े शहरों की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां हुगली नदी जितनी बड़ी कोई नदी नहीं है फिर भी वहां पर कई पुल हैं। सरकार एक और पुल बनाने को तैयार है। कलकत्ता तथा हावड़ा दोनों ही औद्योगिक क्षेत्र हैं और हुगली नदी के दोनों तरफ 40-50 मील तक होने के कारण एक पुल का होना अपर्याप्त है। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि एक और पुल जो बनाया जाना है, उसे पूरा होने में कितना समय लगेगा। हमें कलकत्ता पत्तन के लिये आवश्यक सुविधायें जैसे आवागमन, व्यापार, युद्ध-स्थल आदि के दृष्टिकोण से सब पर विचार करना होगा। यह सर्व विदित है कि कलकत्ता में 50 प्रतिशत विदेशी व्यापार तथा पूर्वी क्षेत्र का 40 प्रतिशत अन्तर्देशीय व्यापार होता है। दूसरे पुल के निर्माण में क्या इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि विदेशी इंजीनियर नहीं लगाये जायेंगे तथा देश के इंजीनियरों को काम करने का मौका दिया जायेगा। कलकत्ता पत्तन तथा शहर को बनाये रखने के लिये जो कलकत्ता तथा हावड़ा का सम्बन्ध है, उसे कायम रखने के लिये पुल के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री इकबाल सिंह : श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने फिर ऊंचे स्तर के पुल का प्रश्न उठा दिया। उन्होंने यह कहा कि मैं कलकत्ता के जहाज के मंच के बारे में नहीं बोला हूं। यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार द्वारा इसे सहमति मिल गई है। निम्न स्तर का पुल बनाना भी जोखिमी है क्योंकि उससे रेग की भराई में वृद्धि हो सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : बिना खंभों के भी ?

श्री इकबाल सिंह : ऐसा करना तो नौवहन के लिये जोखिम होगी क्योंकि यदि निम्न स्तर का पुल बना तो वह कलकत्ता पत्तन का घूमने का चक्र पुल से 4000 फुट रहेगा। कलकत्ता पत्तन की क्षमता और अधिक होनी चाहिये क्योंकि वहां जहाजों को आने जाने में 2-3 दिन लग जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : ऐसा किंग जार्ज बन्दर को बढ़ाकर किया जा सकता है।

श्री इकबाल सिंह : कलकत्ता में जहाजों के मंचों की भी आवश्यकता है क्योंकि कलकत्ता पत्तन के हित के लिये हम उनका पूरा प्रयोग कर रहे हैं। जहाज के मंचों, उन्हें ठहराने की क्षमता, नौवहन की जोखिम आदि को ध्यान में रखने पर ऊंचे स्तर का पुल बनाना वांछनीय है। सभी तकनीकी क्षेत्र के व्यक्ति तो इस बात से सहमत हैं केवल राजनीति से सम्बद्ध व्यक्ति नहीं।

इसके बनने में कितना समय लगेगा, यह पश्चिम बंगाल सरकार की परियोजना है। मुझे यह पता नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार तथा पुल आयोग इस बारे में कोई सुझाव चाहेंगे। यह

तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्णय किया जाना है । परन्तु उन्होंने मुझे इतना अवश्य बताया है कि इसे पूरा होने में कम से कम पांच वर्ष लगेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

आवश्यक वस्तु (संशोधन) बनाए रखना अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) बनाये रखना विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) CONTINUANCE ORDINANCE AND ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) CONTINUANCE BILL

अध्यक्ष महोदय : हम संकल्प तथा विधेयक पर चर्चा करेंगे । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इन पर चर्चा के लिये दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, I move that the Essential Commodities (Amendment) continuance Bill 1970 for which the Government have issued Ordinance be disapproved. In 1964 there was acute shortage of foodgrains and to meet that situation this Act was passed in which it was proposed that there must be provisions for summary trial for immediate action. This Bill was passed in order to have it in force only for two years but it is said that this Act must remain in force upto 1971.

The Government should have allotted two-three hours for discussion on this Bill when they take it as an important Bill. Why did they issue ordinance from the back-door.

There is clear violations of our fundamental rights in this Bill. The Preventive Detention Act was in force in 1964. Whether the situation regarding foodgrains is the same to-day ? The persons who are found guilty in summary trial would be punished and they cannot appeal. This provision of summary trial is unjustified. They must be given opportunity to appeal. There is already provision for summary trial in Criminal Procedure Code then why the Government try to enact a new law ? The Government is unware of all the laws enacted so far, nor does it care to see that they are applied. If applied, their application is right or wrong but instead they are going on adding to the number of laws.

To-day foodgrains is grown in huge quantity. The situation has changed. Though there is black-marketing but it is not to the extent it was five-six years before. It has just been said that no foodgrains under PL 480 will be imported upto 1971 then why they want to have this Bill in force upto 1971 ?

The provision of summary trial is not applicable to the Naxalites and rebel Nagas, the persons who are black-marketers must be punished strictly. I want that the black-marketers must be punished but no poor and petty shop-keepers by harassed by the officers. Therefore this is not needed to-day because the situations have improved.

This Act has been in force since 1964 but during the period of six years have the Government succeeded in achieving any of its fourfold purposes of regulated supply, proper distribution, production and sale at reasonable rates ? If at all the situation has improved it is not this Act but timely rains.

The Essential Commodities Act has failed in achieving its objectives. Under its provisions the Government are empowered to give licences, to ensure prices etc. and they have encouraged the industrialists and made use of this Act to serve their own vested interests. The Government have taken action against the petty shop-keepers. In the name of regulation the concentration of wealth which was comparatively low before six years has increased.

What decision has been taken by the Government regarding sugar ? It is learnt that fraud of crores of rupees has been done in this connection. I cannot name the persons but I can say with confidence that money has exchanged hands and on that account it was decided that so much amount of sugar will be sold in open market and so much amount under the control. This Act has been used as black mailing and not for the benefit of poor people.

According to the figures of the Government 8422 cases were filed in 1969 but these cases were not against the big industrialists but against petty shop-keepers.

Under the provisions of this Act, shop-keepers have to maintain certain registers but the petty shop-keepers are harassed and the officers extract money from them. I would give an example of a shop-keeper who mentioned the postal address of the customer in the column-complete Address of the register—he was convicted and punished on the grounds that he did not write the Home-address.

After every fifteen days the prices of dalda and vanaspati ghee are increased. People think that the Government have raised the prices after due considerations and therefore they keep mum. The general public can resist this but since the Government is there, they do not express their anger with the result that Government comes out with a revised price list and confirms the increased prices. There is shortage of dalda, vanaspati ghee, cement, paper etc. what has been done regarding that ? The Hon. Minister assures that the prices would be controlled but time passes, and nothing is done. We know that the essential commodities like stationery are sold in a particular season.

The delay will help the profiteers in reaping good profit and thereafter they will contribute to the coffers of the ruling party and the story will end there. This act is not being used for the benefit of the people. We do not want that this act should be scrapped altogether but the complaint is that it is not being implemented properly. For example there is scarcity of vanaspati ghee in Delhi but if one is prepared to pay extra amount he can have vanaspati ghee as much as he likes. Government is aware of this fact but no action is being taken to curb such activities. In fact arrangements should be made to make things available at reasonable prices. It has been observed that petty shop-keepers are being victimised whereas Public Undertakings, State Trading Corporation etc. are making huge profits and there is no control over them. They should be asked to earn only reasonable profits. Profiteering and exploitation are equally bad for the Government also and Government should take necessary steps to check the same. It may also be pointed out that foreign drug companies are making net profit of 22 percent whereas Indian drug companies are making only 2—7 percent profit. I want to know as to why Government have no control over these foreign companies ? In fact this problem cannot be

solved simply by passing legislation without changing the economic policy and adopting a realistic approach. The production should be increased so that black-marketing could be checked. Government should have brought out some suitable changes in this Bill but no change has been brought about.

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से प्रस्ताव करता हूं "कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिए चालू रखने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

इस विधेयक में आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 की अवधि को 31-12-69 के पश्चात् अन्य दो वर्षों तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में धारा 12क जोड़ कर आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 1964 बनाया गया था। इस धारा में इस बात की व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार उत्पादन किसी आवश्यक वस्तु की पूर्ति अथवा वितरण के हित में तथा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत किये गए अपराधों सम्बन्धी मुकदमों की संक्षिप्त सुनवाई करवाने का आदेश दे सकती है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 की अवधि मूलत: 31-12-69 तक बढ़ाई गई थी। अनेक आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की निरन्तर कठिन स्थिति रहने के कारण यह कार्यवाही आवश्यक थी। जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर (जिनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है) सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की यह राय है कि संक्षिप्त सुनवाई के लिये व्यवस्था की अवधि जो 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त हो रही है, दो वर्ष तक और बढ़ा दिया जाना चाहिये। खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय और कुछ अन्य मंत्रालयों ने भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये, कुछ आदेशों को संक्षिप्त सुनवाई के प्रयोजन के लिये विशेष आदेश घोषित किये हैं।

गृह कार्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालयों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, के अधीन संक्षिप्त सुनवाई वाले मुकदमों के आंकड़े दिये हैं। वर्ष 1968 में 17960 मुकदमें दायर किये गये थे और 6018 व्यक्तियों को दंड दिया गया था। वर्ष 1969 में 8422 मुकदमें संक्षिप्त सुनवाई के लिये प्रस्तुत किये गये थे और 4330 व्यक्तियों को दंड मिला था। इससे पता चलता है कि राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन संक्षिप्त सुनवाई सम्बन्धी उपबन्धों का उपयोग करते रहे हैं और उन्होंने इन उपबन्धों को लाभप्रद पाया है। इसलिये मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उपर्युक्त व्यवस्था को 31-12-1969 के बाद दो वर्षों तक बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमत होंगे।

अब मैं अनुरोध करता हूं कि सभा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 1969 पर विचार करे।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : On a point of order, Sir, Government should stop writing "except Jammu and Kashmir". Such Bill should not be entertained in this House. I want your ruling in this matter.

Mr. Speaker : How can I give ruling on this matter. The Hon'ble Member may express his views during the course of his speech.

श्री मि० सू० मूर्ति (अनकापल्लि) : इस विधेयक को विलम्ब से लाने का कारण यह बताया गया है कि राज्य सरकारों से देर से उत्तर मिले थे और अध्यादेश इस लिये जारी करना पड़ा क्योंकि संसद के दोनों सदन इस विधेयक को पास नहीं कर सके थे। मैं पूछना चाहता हूं कि विलम्ब राज्य सरकारों के उत्तर न मिलने के कारण अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अत्यधिक समय लेने के कारण हुआ है क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त करने लिए कोई तिथि निर्धारित की थी ?

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अनेक वस्तुएं आ रही हैं और ऐसी सभी वस्तुओं की सप्लाई बहुत कम है। यह कमी गत 20 या 25 वर्षों से है परन्तु इस सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उन्हें जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था कमी वाली अर्थव्यवस्था है। खाद्य पदार्थों, इस्पात, लोहा, चीनी, पटसन, सीमेंट, कागज आदि सभी वस्तुओं की कमी है।

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

मूल अधिनियम में उल्लिखित है कि सरकार किसी भी कृषि योग्य भूमि को अपने नियंत्रण में ले सकती है और उसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित फसल उगाई जानी चाहिये। परन्तु क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ? यदि सरकार इन प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं कर सकती तो वह इन अधिकारों को हाथ में क्यों लेती है ? जिन वस्तुओं की कमी है, सरकार ने उनके उत्पादन की व्यवस्था करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये हैं। कच्चे माल की सप्लाई बढ़ाने के लिये भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। केवल चोर बाजारी बढ़ रही है।

कुछ खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की सप्लाई के लिये केवल कुछ लोगों को परमिट दिये जाते हैं। केवल गरीब, साधारण और निर्दोष व्यक्तियों का दंड दिया जाता है और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। सरकार को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिये। आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर वितरण की भी कोई योजना होनी चाहिये अन्यथा हम मूल्य वृद्धि को कभी नहीं रोक सकते। प्रतिवर्ष मूल्यों में वृद्धि हो रही है और सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर रही है। यदि उत्पादन का तरीका योजनाबद्ध हो, तभी वस्तुओं के उचित मूल्य पर वितरण का प्रश्न उठता है। इस प्रकार अधिनियम की अवधि बढ़ाते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को इस अधिनियम की अवधि 5, 6 या 10 वर्ष तक बढ़ाने के लिये सभा के समक्ष एक योजनाबद्ध कार्यक्रम रखना चाहिये। इससे जनता में विश्वास की भावना पैदा होगी। फिर संक्षिप्त सुनवाई वाले न्यायालयों में केवल निर्दोष व्यक्तियों को दंड मिलता है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी

रिहा कर दिये जाते हैं। चोर बाजारी बन्द करने और उन वस्तुओं के उचित मूल्य पर सप्लाई करना सुनिश्चित करने के लिये कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये। हम इस अधिनियम की अवधि को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते। यदि सरकार का काम करने का ढंग यही है, तो फिर इसकी अवधि बढ़ाने से कोई भी लाभप्रद उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Although the aims and objectives of the Bill are, no doubt, good, it is our past experience that the provisions are misused and only the poor people are made the target and they have to suffer and undergo harassment unnecessarily at the hands of the police. We shall be glad if the enactment of this legislation results in the proper and equitable distribution which will benefit both the consumer as well as the producer. But the shape which this law assumed particularly after 1964, has usurped the rights of peasants, labourers and the people of the poor sections. There are instances where farmers of the area near Delhi were arrested on the charge of smuggling while carrying their cereals to their homes after harvesting ; only because of the fact that they had to pass through a small track belonging to Haryana. We have seen that this law instead of materialising proper distribution causes undue harassment to the people.

The quota-permit system is the product of this Act. Those people are benifited by it who procure foodgrains from farmers at cheap rates, resort to hoarding and then blackmarketing. Similarly, a large scale adulteration is taking place under this Act and the number of such cases is awfully high. People approach Ministers and high officials for acquiring agencies of scarce commodities and it spreads corruption.

Nearly 80 percent of the population lives in rural areas but only 10 per cent of the total production of cement in the country is allotted to them. We fail to understand how this distribution and the basis thereof is justified. Sugar-cane is procured from farmers at a very low price but sugar which is product thereof is not available to them. Similarly they get other essential commodities like iron, cloth etc. in meagre quantity—much less than their requirements. The only way to put an end to this state of affairs is to abolish the quota-permit system.

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : जितना हम निर्बाध बाजार समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही अधिक काला बाजार प्रारम्भ होगा। जब लोगों को तरह-तरह के कानूनों तथा विनियमों से दबाया जाता है तो कानून के प्रति उनकी असम्मान की एक आम भावना उत्पन्न होती है। इस विधेयक का परिणाम भी यही होगा।

इस अधिनियम का मुख्य अन्तर्निहित उद्देश्य मूल्यों में वृद्धि रोकना तथा कमी वाली अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण को नियमित करना है। किन्तु यह अधिनियम अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सका है। गत सात वर्षों में वस्तु मूल्य सूचकांक 74 प्रतिशत बढ़ गया है। यदि हम खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल, कपड़े आदि जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य देखें तो मालूम होगा कि उनकी कीमतें 100 प्रतिशत बढ़ गई हैं। केवल पिछले ही वर्ष सामान्य मूल्य सूचकांक 18 प्रतिशत बढ़ा है, अभी हाल में केन्द्रीय बजट के पेश किये जाने के बाद कई वस्तुओं के, जिन पर अतिरिक्त शुल्क लगाये गये हैं, दाम बढ़ने के समाचार मिले हैं। मूल्यों को रोकने के लिये सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से क्या किया है? यह अधिनियम

सरकारी प्रशासकों तथा अधिकारियों के हाथ में एक कोड़े के रूप में है जिसका प्रयोग लोगों को दबाव से ऐंठने के लिये और ऐसे व्यापारियों को भयभीत करने, दबाने तथा तंग करने के लिये किया जाता है जो सरकार के इशारों पर नहीं नाचते, लेकिन काला बाजार करने वाले अन्य व्यापारियों अथवा सामाजिक विनियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

इस अधिनियम में विरोधाभास भी है। मूल्य तब बढ़ते हैं जब मांग पूर्ति से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमानी का काम मूल्यों को जबर्दस्ती कम करना अथवा वितरण पर अनिश्चित काल तक नियंत्रण रखना नहीं है बल्कि उन साधनों को सरलता से उपलब्ध कराना है जिनसे उत्पादन में वृद्धि होती है। इस उद्देश्य के हेतु भी यह अधिनियम सरकार को लाइसेंस, परमिट या किसी अन्य तरीके द्वारा उत्पादन अथवा किसी आवश्यक वस्तु के निर्माण को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। पिछले 22 सालों से हम यही देख रहे हैं कि सरकार को लाइसेंस, परमिट अथवा कोटा द्वारा मूल्यों को विनियमित करने के लिये दी गई इन शक्तियों का परिणाम केवल विलम्ब, उत्पादन की कमी तथा परेशानी अथवा अन्यथा उत्पादन में बाधा रही है। हर क्षेत्र में उत्पादन का यही हाल है और इस नीति से कमी दूर नहीं की जा सकती, उदाहरणार्थ स्कूटरों का ही मामला ले लीजिये। सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिये आवेदनपत्रों पर कोई निर्णय ही नहीं लेती जिस कारण कमी तथा कदाचार जारी है और उत्पादन बढ़ता नहीं। दूसरी ओर चीनी का उदाहरण है जिसमें आंशिक नियंत्रण होने पर भी पिछले तीन वर्षों में उत्पादन $2\frac{1}{2}$ गुना बढ़ गया है। जब चीनी के मामले में इतनी सफलता मिली है, तो अन्य कमी वाली वस्तुओं के मामले में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम के असफल होने का एक अन्य कारण यह है कि इसे युक्तिपूर्ण तथा न्यायिक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है। कई बार तो तैयार माल की कीमत कच्चे माल अथवा अन्य सम्बन्धित वस्तुओं की कीमत कम किये बिना कम की जाती है, जैसा कि कार के मूल्य के मामले में हो रहा है। उसकी कीमत बढ़ाने के लिये सरकार राजी भी नहीं होती और उसके पुर्जों आदि की कीमतें रोकने के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही भी नहीं करती है। इस प्रकार इस्पात, मिश्र इस्पात, तांबे की तारों, तांबे की चादरों तथा कारों के निर्माण में प्रयुक्त विविध वस्तुओं के मूल्यों पर कोई प्रतिबन्ध लगाये बिना कार की कीमत पर नियंत्रण लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

यदि यह अधिनियम मूल्य वृद्धि रोकने तथा मांग को पूरी करने के लिये उत्पादन बढ़ाने में असफल रहा है, तो फिर वह किसमें सफल रहा है? इस विधेयक की अवधि और आगे बढ़ाने, प्रयोजन अभियोगों की तत्काल सुनवाई की अनुचित प्रणाली को जारी रखना तथा ऐसे मामलों में लोगों को न्याय से वंचित रखना है। तत्काल सुनवाई के मामले बड़ी जल्दबाजी में और गलत ढंग से निपटाये जा रहे हैं। ऐसी सुनवाइयां लोगों को न्याय प्रदान करने की अपेक्षा उन्हें भयाक्रान्त तथा हतोत्साहित करती हैं। सरसरी निगाह से देखने पर भी मालूम होगा कि

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 99 प्रतिशत मामलों में नियम विरुद्धता बिल्कुल तकनीकी स्वरूप की होती है क्योंकि ज्यादातर सभी मामलों में उत्पीड़ित लोग (अभियुक्त) छोटे व्यापारी तथा किसान और सुदूर गांवों के लोग होते हैं।

चूंकि यह अधिनियम मूल्यों को स्थिर रखने या आवश्यक वस्तुओं का न्यायोचित वितरण करने अथवा उत्पादन बढ़ाने अथवा अपना कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा है, अतः स्वतंत्र दल इसका विरोध करता है।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : हमारे जैसे देश में जहां उत्पादन बढ़ने पर खपत बढ़ती है और कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है, यह अत्यन्त आवश्यक है कि जनता के लिये आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा मूल्यों को विनियमित करने के लिये सरकार के पास कुछ शक्ति होनी आवश्यक है। वर्तमान स्थिति में इस अधिनियम की अवधि बढ़ाना जनता, उपभोक्ता तथा उत्पादक सभी के हित में है, सरकार की बुद्धिमतापूर्ण कार्यवाही का ही परिणाम है कि चीनी का मूल्य आज उत्पादन शुल्क सहित 200 रुपये प्रति क्विन्टल है। सरकार इस अधिनियम की अवधि केवल दो वर्ष के लिये बढ़ाना चाहती है क्योंकि जब मूल्य कम होने आरम्भ हो जायेंगे, तो ऐसी शक्तियों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि उद्योगों के उत्पादन को नियन्त्रण करने की हमारी नीति में बहुत कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है। आजकल एक प्रेक्षक को लाइसेंस बनवाने के लिए ही दो वर्ष का समय लग जाता है और उसके तीन साल बाद जाकर कहीं उत्पादन कार्य आरम्भ होता है। अतः इस तरह 5 वर्ष लग जाते हैं। इस पांच वर्ष के समय में मांगों में वृद्धि होती रहती है इसीलिए हमें अपना उद्योगिक विकास तेजी से करना होगा। इन परिस्थितियों में हम प्रार्थना पत्रों के चुनने में और अधिक समय नहीं दे सकते। निश्चय ही सरकार को कोई ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे विभिन्न पार्टियों और ठेकेदारों को बुलाकर, उनकी योजना के विषय में विचार विमर्श कर तुरन्त ही निर्णय दे दिया जावे। इस प्रकार की नीति से द्यौद्योगिक विकास तीव्रता से ही रुकता है। इस प्रकार हम अपनी आवश्यकता से भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं जोकि अपने आप में अनिवार्य भी है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें सदा उत्पादन वृद्धि के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये और इसके मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करना चाहिए।

पंजाब में भी इस समस्या का समाधान इसी तरह किया गया। मेरा एक मित्र पंजाब में अपना कारखाना लगाना चाहता था। सरदार प्रताप सिंह कैरो ने उसके प्रार्थना पत्र पर इसी प्रकार एक मीटिंग (बैठक) में तुरन्त विचार किया और $1\frac{1}{2}$ वर्ष के समय में ही उस कारखाने ने उत्पादन आरम्भ कर दिया। मेरे मतानुसार केन्द्रीय सरकार को भी इसी प्रकार की नीति का अनुसरण करना चाहिये। अधिक उत्पादन से ही रोजगार के अवसर अधिक मिल सकते हैं और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का अनुमोदन करता हूं।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : सभापति महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व मैं माननीय मित्र श्री कंवरलाल गुप्त के द्वारा प्रस्तुत, अध्यादेश को अस्वीकार करने के प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि मंत्री महोदय ने श्री गुप्त की बातों का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया ।

हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार तो अध्यादेशों की केवल असाधारण, आपात-कालीन और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही जारी किया जा सकता है । परन्तु इस व्यवस्था का उपयोग संसद में किसी विषय पर विवाद से बचने या सरकार की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिये करना बिलकुल उचित नहीं है । बिना किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों के हर विषय पर ही अध्यादेश जारी कर देना उचित नहीं है । संविधान की व्यवस्था का अपनी सुविधा अनुसार अर्थ ग्रहण कर लेना सरकार के लिए ठीक नहीं है । सरकार ने यह इस प्रकार का पहला अध्यादेश नहीं दिया वह इससे पूर्व इस प्रकार के कई अध्यादेश जारी कर चुकी है । हमें इसकी घोर निंदा करनी चाहिये ।

गत कुछ महीनों में हमने देखा है कि संसद की कार्यवाही बहुत तीव्रता से और कभी कभी तो बड़ी निष्ठुरता से की जाती रही है । विचार-विमर्श के लिए उपयुक्त अवसर नहीं दिया जाता । यदि सरकार कानूनों को जल्दी-जल्दी पास करने को अच्छा नहीं समझती तो उसे अपने उन अधिकारों को तिलांजलि देनी चाहिये जो उसने अपने लिए संचित कर रखे हैं । उन्हें प्रशासन से सम्बद्ध सभी अधिकारियों के साथ सरकारी दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिये । ऐसा करने से संसद में उद्देश्यपूर्ण वाद-विवाद के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे । अन्यथा या फिर अधिवेशन की अवधि बढ़ाना पड़ेगा ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर पूर्ण विचार-विमर्श किया जा सके । यदि हम विधेयकों पर वाद-विवाद के लिए उपयुक्त समय नहीं देते तो यह लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के विपरीत होगा । यदि संसद का कार्य सरकार की प्रत्येक कार्य-वाही को पास करना ही है तो यह लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के विपरीत है और इससे देश के लोकतन्त्र की जड़ें खोखली होंगी ।

अब मैं विचाराधीन विधेयक के विषय में संक्षेप से कुछ कहूंगा । बाजार नियन्त्रण का एकमात्र उद्देश्य यही हो सकता है कि नकली अभावों से बचा जा सके और काला बाजार करने वाले व्यापारियों-मुनाफाखोरी आदि के जो अवसर उपलब्ध होते हैं उन्हें कम किया जा सके । अब जब हम खुला-बाजार समाप्त करने जा रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इन विनियमों द्वारा समाज विरोधी कार्यवाहियों को रोका जा सके ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, लोग इसे केवल एक दण्डात्मक उपाय ही मानते हैं एक नियामक साधन नहीं । सरकार द्वारा इस अधिनियम को जारी करने के पूर्व आभास से यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के द्वारा उत्पादन का नियमन नहीं किया जा सका । मैं पूरे जोर के साथ यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस अधिनियम की सभी व्यवस्थाओं की सुचारु रूप से लागू करने में असफल रही है । इसका कारण यह रहा है कि उन्होंने विभिन्न

प्रान्तों में किसी विशिष्ट वस्तु की स्थिति का ठीक ठीक जायजा लेने और उससे सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करने का प्रयत्न नहीं किया। यदि उन्होंने स्थिति का इस प्रकार से निष्पक्ष जायजा लिया होता तो आज देश की सम्पूर्ण स्थिति में सुधार हुआ होता।

सभापति महोदय, उदाहरणार्थ चीनी को ही लीजिए। मेरे माननीय मित्र श्री तापुरिया ने कहा कि चीनी का उत्पादन बढ़ा है परन्तु क्या इसके फलस्वरूप चीनी की कीमतों में भी कोई कमी नहीं हुई। इस विषय पर तामिल नाडु ने केन्द्रीय सरकार से बार बार अनुरोध किया कि तामिल नाडु के लिए चीनी की जो दर निश्चित की गई है वह अन्य राज्यों से अधिक है। परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में उत्पादन शुल्क में और अधिक वृद्धि हुई। साधारण व्यक्ति इसे दे सकने में समर्थ नहीं था। दूसरी ओर चीनी के कारखानों में चीनी इकट्ठी होने लगी। कारखानों के लिए उत्पादन करना कठिन हो गया। इसका प्रभाव किसानों पर सबसे बुरा पड़ा। जिस नियन्त्रण ने यह भयानक स्थिति पैदा कर दी, उसे लाभदायक कैसे कहा जा सकता है। यदि नियन्त्रण को वास्तव में लाभदायक बनाना है तो हमें किसी विशिष्ट पर्ण का अध्ययन उसकी विशिष्ट परिस्थितियों स्थान और समय के अन्तर्गत करना होगा। यदि इस दृष्टि से विधेयकों को तैयार किया जाये, तभी इससे कोई लाभ हो सकता है। परन्तु मैं जानता हूं कि सरकार ऐसा नहीं कर रही।

कुछ वर्ष पूर्व जबकि गुजरात सरकार के समक्ष भोज्य तेल की बढ़ती हुई कीमतों की समस्या थी,तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को भोज्य तेल बाहर न भेजकर राज्य में ही इकट्ठा करने की अनुमति दे दी थी ताकि कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। परन्तु कुछ समय बाद जब कुछ अन्य राज्यों के समक्ष भी इसी प्रकार की समस्या आई तो केन्द्रीय सरकार ने उन्हें इस प्रकार की अनुमति नहीं दी। यह सब मैं केवल यही स्पष्ट करने के लिये कह रहा हूं कि प्रत्येक राज्य में किसी विशिष्ट पर्ण की समस्या उसी विशेष क्षेत्र के अनुसार होती है। कुछ दिन पूर्व तमिल नाडु राज्य के हथकरघा उद्योग के राज्य मंत्री ने कहा कि उनके राज्य में मिलों के कपड़े का आयात बन्द होना चाहिये ताकि हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिल सके। अत: हमें प्रत्येक पर्ण की समस्या पर विशिष्ट समय और परिस्थितियों के सन्दर्भ में विचार करना होगा।

यदि सरकार इस अधिनियम को वास्तव में रचनात्मक और हितकारी बनाना चाहती है तो इसे लागू करने से पूर्व इसे राज्य सरकारों से सलाह कर, उनकी अनुमति ले लेनी चाहिये। इस अधिनियम को लागू करने के यदि कुछ अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिये जायें तो इस अधिनियम का सर्वत्र स्वागत होगा और साथ ही इसकी सराहना भी की जायेगी। अन्यथा लोगों की इस अधिनियम के विषय में पूर्व धारणा तो यही है कि यह अधिनियम केवल दंडात्मक ही है, रचनात्मक नहीं।

Shri P. G. Sen (Purnea) : The points raised by Hon. Member Shri Kanwar Lal Gupta in his Resolution disapproving this Bill is correct. According to Shri Randhir Singh also, the worst affected people by this Essential Commodities Act are poor farmers. The people, who can

afford to bribe can have an easy escape. The poor and ignorant people of border villages and districts sometime become the worst victims of such an act. One Mr. Abid Hussain of Baliharpur village who was carrying some wheat for grinding in the flour mill for domestic use was caught under the charge of smuggling it from bordering State. This case was taken to the S.D.M's court from where his case was sent to District Magistrate and is still going on with the result that this poor man is ruined. I would suggest that his case be referred to C.I.D. to ascertain whether poor Abid Hussain had gone to Kanharica Mandi for grinding his foodgrains if so, why he was caught without any fault of his own. If the State Government or its concerned authorities are responsible for it, action should be taken against them.

Who will judge that the powers which are being given to State Governments under this act will be properly utilized? Alongwith other things Jute and Sugarcane has been included in it. A lot has been said about the sugarcane and its cost of manufacturing. So far as industries are concerned, the cost of manufacturing is justified but no manufacturing cost has been shown against jute. But where is entry for the efforts and labour which is required for preparing raw-jute. Jute is smuggled from India to Nepal but there is none to check it. Indian Paddy is smuggled to Nepal but no action is taken against the smugglers. I suggest that case against the poor peasants be withdrawn.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Mr. Speaker, I support the bill because I am not in favour of blackmarketing, profiteering and hoarding. The anti-social elements who indulge in blackmarketing, profiteering and hoarding also form a part of our society. I must charge the Government for not giving deterrent punishment to such anti-social elements. It is only because of the Act that these crimes can be checked. I therefore, wish that this Act should be extended for three years instead of two years. I support the amendment of Shri Shiva Chandra Jha and the viewpoint of Shri Randhir Singh that poor farmers should not become its victims. State to State smuggling is very common. Border Registration is only by name. After 11 P. M. there is unification of all States and there is no check. This all can only be stopped by deterrent punishment.

According to Mr. Tapuriah, there was increase in sugar production after its partial de-control. Is it not a fact that sugar production has decreased after complete decontrol. The expected sugar production was 29 to 30 lack tonnes where as the actual production came down to 22 lacks only. This led to artificial sugar shortage. Thus sometime there is control, decontrol, partial de-control and artificial shortage. Some definite policy should be adopted so far as sugar and cement is concerned. I therefore want to warn this Government that its policy should not fluctuate between control and de-control. It should be either way. Once the Government has finalised a policy, it should not be influenced by vested interests or capitalists. With these words, I support the bill and hope that the State Government will act upon it impartially and not under any political influence.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : श्रीमान जी, मैं श्री गुप्त जी के साथ इस बात पर तो सहमत हूं कि अध्यादेश को जिस ढंग से जारी किया गया है, वह ठीक नहीं, परन्तु मैं उन सदस्यों के साथ सहमत नहीं हूं जो इस विधेयक को अवांछनीय और अस्वीकार्य कहते हैं। प्रथमत: तो यह कि मन्त्रालय को यह पहले ही पता होना चाहिये था कि धारा 12A और 8A समाप्त होने वाले हैं और 1964 का अधिनियम भी 31 दिसम्बर 1969 को समाप्त होना है। इसके बारे में सूचना पूर्व ही दी जानी चाहिये थी और कालावधि बढ़ाने वाला यह विधेयक अधिवेशन काल

में ही सदन में प्रस्तुत किया जाना अभीष्ट था । यह सरकार की भारी भूल है कि वह बार-बार अध्यादेशों द्वारा उन कार्यों को करती है जो पहले ही हो जाने अभीष्ट थे ।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि जब यह कहा जाता है 1964 के अधिनियम के काल को बढ़ाया जा रहा है तो विधेयक के साथ-साथ 1964 के अधिनियम का होना भी तो अनिवार्य है । 1964 के मौलिक अधिनियम में भी तो बहुत से संशोधन हो चुके हैं ।

यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि भारत के लोगों का दृष्टिकोण बदलने के लिए क्या हमारी सरकार ज्योतषियों से सलाह लेती है । शायद उन्हीं की सलाह के अनुसार 1964 में दो वर्ष के लिए, 1966 में तीन वर्ष के लिए और अब इस बिल को और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है । अब शायद ज्योतिषी ने मन्त्री महोदय को यह बताया होगा कि गत दो वर्षों में भारत के व्यापारी जखीराखोरी और चोरबाजारी छोड़ देगें अन्यथा शायद वह उसे पक्का अधिनियम ही बना देते । परन्तु इस प्रकार के अधिकार तो सरकार के पास रहने ही चाहिये क्योंकि जब तक इस देश में पूंजीपति रहते हैं, तब तक चोरबाजारी भी रहेगी ।

श्री तापड़िया ने सत्य ही कहा है कि जब मांग पूर्ति से अधिक होगी तो निश्चय ही कीमतें बढ़ेंगी । इस विधेयक का उद्देश्य भी तो पूर्ति को बढ़ाना ही है ताकि जखीरेखोरों को पूर्ति करने के लिए बाध्य किया जा सके ।

यह सच है कि घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाना चाहिए । श्री रणधीर सिंह तथा अन्य सदस्यों ने प्रशासन की त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है । हम सब इनकी निन्दा करते हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि दोषियों को दण्ड देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को शक्तियां दी जानी चाहिए । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री ज्योतिबसु पर आक्रमण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ATTACK ON SHRI JYOTI BASU

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आज प्रातः आठ बजकर पन्द्रह मिनट पर पटना रेलवे स्टेशन पर एक निन्दनीय घटना घटी, जिसमें श्री ज्योतिबसु पर एक व्यक्ति ने गोली चला दी । श्री ज्योतिबसु को कोई चोट नहीं आई परन्तु अली इमाम नाम एक व्यक्ति को जो उनको लेने आया था, गोली लगी और उसकी हत्या हो गई । आक्रमणकारी फरार होने में सफल हो गया । तुरन्त जांच आरम्भ की गई और सुरेन्द्रप्रसाद नामक एक व्यक्ति को सन्देह में गिरफ्तार कर लिया गया है । जांच की जा रही है ।

मैंने आज सुबह बिहार के मुख्य मंत्री से बातचीत की और उनसे अनुरोध किया है कि वह इस मामले की पूरी तरह जांच करें । राज्य सरकार से मुझे सूचना मिली है कि श्री ज्योतिबसु की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिये गये हैं । नगर में शान्ति बनाये रखने के लिए भी प्रबन्ध किये गये हैं । मैंने श्री ज्योतिबसु से भी बातचीत की और गहरी चिन्ता व्यक्त की है । मुझे विश्वास है कि हिंसात्मक गतिविधियों की निन्दा करने में, जिससे लोकतंत्र तथा लोकतंत्रात्मक संस्थाओं के आधार को खतरा है, सभा मेरे साथ है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): This is not the first occasion when an attempt is made on the life of a dignatory. Shri Deendayal Upadaya was murdered at a railway station. An attempt was also made at the life of Dr. Ram Subhag Singh. I want to know whether the State Government have sought the help of Central Government for investigating this matter or the Central Government will itself extend the help without being asked?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्य सरकार ने अभी तक कोई सहायता नहीं मांगी है । यदि वह सहायता न भी मांगे तो भी हम उनको सहायता की पेशकश करेंगे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दण्ड देने के लिए सभी साधनों का उपयोग करेंगे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्री ज्योतिबसु पर हुए आक्रमण की मैं निन्दा करता हूं । श्री ज्योतिबसु ने ऊपरी-पुल से गुजरते समय भीड़ में एक व्यक्ति की ओर संकेत किया था परन्तु उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया और वह फरार होने में सफल हो गया । क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास पूरे तथ्य नहीं हैं । इस अवस्था पर कुछ कहना मेरे लिए कठिन है ।

Shri Rabi Ray (Puri): It is in the spot news.

Shri Y. B. Chavan: That is correct but I have no information about it.

Shri P. G. Sen (Purnea): I want to know whether the spot news is correct or not ?

Mr. Chairman: The State Government is conducting investigations. Central Government is also prepared to offer all sort of help. I, therefore, request you not to ask any more questions. Moreover this matter is now sub-judice.

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : श्री ज्योतिबसु पर हुए आक्रमण की निन्दा की गई है, मैं उससे सहमत हूं । ईश्वर का धन्यवाद है कि उनकी जान बच गई । परमात्मा उनको दीर्घ आयु दे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मरने वाले के परिवार को कुछ मुआवजा दिया जा रहा है ?

सभापति महोदय : इस मामले की जांच हो रही है । अब सांविधिक संकल्प तथा विधेयक पर चर्चा की जायेगी ।

आवश्यक वस्तु (संशोध) बनाये रखना अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और आवश्यक वस्तु (संशोधन) बनाये रखना विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE: ESSENTIAL COMMODITIES (AMENEDMENT) CONTINUANCE ORDINANCE AND ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) CONTINUANCE BILL

श्री के० रमानी (कोयम्बतूर)* : मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) बनाये रखना विधेयक, 1970 जोकि सरकार द्वारा सभा में प्रस्तुत किया गया है, का विरोध नहीं करना चाहता परन्तु

* मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित ।

*English Translation of the speech delivered in Tamil.

इस अधिनियम को पहले जिस प्रकार क्रियान्वित किया गया, मैं उसकी आलोचना करना चाहता हूं।

1968 में संक्षिप्त विचारण के लिए 17,960 मामले आये परन्तु 6,068 मामलों में ही दोष सिद्धि की गई। इसी प्रकार 1969 में संक्षिप्त विचारण के लिए 8422 मामले आये परन्तु इनमें से केवल 4330 मामलों में ही दोषसिद्धि की गई। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की दोषसिद्धि की गई है, वे साधारण लोग हैं, छोटे व्यापारी और उद्योगपति हैं अथवा वे बड़े-बड़े चोर बाजार करने वाले, जमाखोर तथा मुनाफाखोर हैं। जिन लोगों को दण्ड दिया गया है, वे किस वर्ग के लोग हैं।

मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल साधारण लोगों को ही दण्ड दिया जाता है। उचित ढंग से न्याय नहीं किया जाता। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात की जांच करें।

इस अधिनियम का उद्देश्य केवल दण्ड देना ही नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत इसका उद्देश्य चोर बाजार करने वालों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को दण्ड देना तथा साधारण लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना होना चाहिए। इन वस्तुओं के उचित वितरण को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो न तो लोग ही इसका स्वागत करेंगे और न ही इसकी क्रियान्विति से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हाल में वनस्पति घी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है और घी बाजार में उपलब्ध भी नहीं है। जबकि तेलों, खाद्यान्नों, कपड़े, धागे, कागज, औषधियों, चीनी आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की बाजार में कमी है तो सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों से इन वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण को विनियमित करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर सावधानी से विचार करे।

कोयम्बतूर में मूंगफली के तेल का एक टिन जो पहले 42 रुपये में मिलता था अब, 64 रुपये में बिक रहा है। नारियल का तेल सात रुपये पचास पैसे किलो है। समाचार पत्रों में ऐसे समाचार आये हैं कि नारियल के तेल तथा घी के मूल्यों में कोई अन्तर नहीं रह गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन आवश्यक वस्तुओं के वितरण को विनियमित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

सरकार इस वर्ष घाटे की अर्थ-व्यवस्था को पूरा करने के लिये 225 करोड़ रुपये के नोट छापने जा रही है और बजट में 170 करोड़ रुपये के नये कर तथा शुल्क लगाने के प्रस्ताव है। इन दो चीजों से मूल्यों के अत्यधिक बढ़ जाने की सम्भावना है। इससे आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी भी होगी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि उसने बड़े बड़े जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही न करके छोटे व्यापारियों तथा सामान्य लोगों को दण्डित किया तो लोग इस अधिनियम का विरोध करेंगे।

जिन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं तथा जीवन की रोजमर्रा की वस्तुओं की कमी है, वहां पर उनके वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को कठोरता से लागू करना चाहिए। प्रश्न यह है कि आज तक ऐसा क्यों नहीं किया गया। उनको यह बात स्पष्टरूप से बतानी चाहिए कि 1968 और 1969 में बड़े-बड़े कितने चोर बाजार करने वाले लोगों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को दण्ड दिया गया है।

आज राज्यों में केन्द्रीय कानूनों तथा रिजर्व पुलिस बल के माध्यम से दमनकारी उपाय किये जा रहे हैं। चोर बाजार करने वालों, मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों के उन्मूलन की मांग करने वाले लोगों का सख्ती से दमन किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों को दण्ड देने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करे।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I want to know as to why the prices of the steel are allowed to be raised first before the issue of the ordinance. I think this has been done to please the producers of steel in the private sector. I will, therefore, say that it has not been properly used and I oppose it. But I welcome the Bill. I will request that the period of two years may be extended to three years.

The Government should ensure the distribution of essential commodities in the country and punish the hoarders, profiteers and black-marketers. Who are responsible for the rise in prices and due to the acts of these persons the essential commodities become beyond the reach of common man. The Government should deal with such persons with heavy hand.

It is true that some innocent persons will also be punished under this Act but I would say that Government will equip itself with sufficient powers to have control over the essential commodities and they will become within the reach of the common man.

While welcoming this Bill I would like to say that in spite of the Bill and Governmental machinery the prices of the agricultural products have gone up. In spite of the green revolution and bumper crop prices in the whole-sale market have gone up. It means that the Government have failed to implement the ordinance in a proper way. In spite of the fact that various doubts have arisen from its implementation in the past I would say that Government will have an instrument whereby it will be able to have control over essential commodities.

With these words I welcome the Bill.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : जिन सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है अथवा मूल्यवान सुझाव दिये हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

विनियंत्रण से आम जनता में जो विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। अत: आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कभी-कभी कुछ उपाय करना अनिवार्य हो जाता है। इस विधेयक के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रक्रिया को ही जारी रखा जा रहा है और हम केवल अधिक अवधि बढ़ाने का ही प्रयास कर रहे हैं। यह एक सीमित चीज है, इसी बात को ध्यान में रखकर हमें विधेयक पर विचार करना है।

मुझे विश्वास है कि किसान आमतौर पर इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। वे मुख्य रूप से उत्पादक हैं और ऐसी कोई गुंजायश नहीं है कि वे कोई ऐसा कदाचार करेंगे जो इस कानून के अन्तर्गत आता है। अतः उनके डरने की कोई बात नहीं है। राज्य सरकारें इस बात का ध्यान रखेंगी कि इस कानून के अन्तर्गत निर्दोष व्यक्तियों को परेशान न किया जाये।

जहां तक संक्षिप्त विवरण के द्वारा मामलों के निर्णय का संबंध है, कानून में अपील करने की व्यवस्था है। अन्य मामलों के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 414 लागू होगी।

श्री कंवर लाल गुप्त: जब उन्होंने परिवर्तित परिस्थितियों में परीक्षण के बिना नजरबन्दी को रद्द कर दिया है तो अपील की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी: मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिये न्यायालयों द्वारा कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके लिए संक्षिप्त विचार की व्यवस्था की गई है। संहिता के अन्तर्गत अधिकार तथा दायित्व दिये गये हैं।

वितरण को सुनिश्चित करने तथा चोर बाजारी पर नियंत्रण करने तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवश्यक वस्तुओं के मामलों में सामान्य लोगों का शोषण न हो तथा ऐसा करने वालों को दण्ड देने के लिए ही संक्षिप्त विचार की व्यवस्था की गई है और कानून में यह कोई नई चीज नहीं है। मुझे आशा है कि आप लोग इसकी सराहना करेंगे। अधिक जुर्म बड़े-बड़े पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा ही किये जाते हैं जिनको पकड़ना कठिन होता है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो कानून उसके रुतबे को मान्यता नहीं देता। कानून के समक्ष सभी समान हैं। अतः जनता के हितों की रक्षा करने तथा परीक्षणों को शीघ्र निपटाने तथा दोषियों को दण्ड देने के लिए ही इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है। यह कोई नई चीज नहीं है और यह दण्ड प्रक्रिया संहिता में पहले से ही विद्यमान है। मैं तो केवल इसकी अवधि बढ़ाने के लिए ही कह रहा हूं।

मैंने वाद-विवाद आरम्भ करते समय जो भाषण दिया था, उसमें उन सभी परिस्थितियों के बारे में बता दिया था जिनके कारण अध्यादेश जारी करना पड़ा था। मैं समझता हूं कि उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। श्री कंवर लाल गुप्त ने अपने संकल्प के समर्थन में जो तर्क रखा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं और मुझे आशा है कि सभा इसको अस्वीकार कर देगी।

Shri Kanwar Lal Gupta: The Hon. Minister has not replied my question as to why the black marketers and hoarders are not being given the right of appeal and why their cases are dealt with under the summary trials when we are giving this right of appeal to rebel Nagas and Naxalities. The Hon. Minister has also not said anything about the effects of its implementation in the past.

I have already written three letters to Shri Fakhruddin Ali Ahmad regarding the prices of Coca-Cola which is now selling at 45 paise per bottle. The Government has not done anything to check its prices.

As has been said by Shri Randhir Singh Rural areas will not be benefited by it. The prices of Sugarcane should have been raised proportionate to the prices of sugar.

I will call it a Black Bill. If you want to pass this Bill you must provide some benefits for the farmers. They should be paid more for their raw materials. You have not applied it for their benefits. There is a great deal of black marketing going on in M. Ps. and M. L. A's. They are being sold in black market in sophisticated manner.

Members of Parliament are accepting money for defections in Gujrat. This law should be applied to stop horse trading in M. L. As.

There is dishonesty and corruption throughout the country.

This has in fact brought Inspector Raj in the country. I want to know whether Government will impose some restrictions on spending money and thereby on consumption.

There is no appeal against a penalty of Rs. 200. But big industrialists like Birla and Tata have the right to appeal. I cannot understand this discrimination. All the people should have the right to appeal as prescribed in the constitution. The Government should adopt new policies according to the changed circumstances.

I am sorry that all my suggestions to the Bill have been rejected. I oppose this Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "यह सभा आवश्यक वस्तु (संशोधन) चालू रखना अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 10) का, जो 30 दिसम्बर, 1969 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 को अग्रेतर अवधि के लिये चालू रखने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motioin was adopted

खण्ड 2

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I beg to move Amendment No. 1 and 2.

This Act was first extended from 1964 to 1966 and after 1966 it was extended upto 1969 and now this Act was again extended upto 1971. I want to know why this Act has not been extended for three or four years. I want to know the basis on which this Act has been extended. If this Act has been extended for three years the Government could have made its policies accordingly.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 1 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 8
विपक्ष में 66

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया
Clause 2 was added to the Bill

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली-सदर): मेरा इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है। श्री शिव चन्द्र झा के संशोधन के बारे में आपने कहा कि 'हाँ' वाले सदस्य अधिक हैं और संशोधन स्वीकार कर लिया गया है।

सभापति महोदय : जी, नहीं। मैंने कहा है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।

श्री शिव नारायण : आप इस बारे में अपना रिकार्ड देखिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : You did not call clause No. 2. You simply have voting on Amendment No. 2. You cannot get it passed. You should take it again. Shri Shiv Chandra Jha's first amendment was negatived. Then you took his second amendment. You cannot take direct voting on Clause No. 2.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : It is correct that you have said "Clause 2 stand part of the Bill."

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : We have the same respect for the Chair as Shri Randhir Singh has.

There is no harm in admitting the amendment. The Government is not going to fall by admitting the amendment.

Shri Sheo Narain : We demand that the record should be seen (**interruptions**).

श्री रा० ढो० भंडारे (बम्बई-मध्य) : सभापति महोदय ने स्पष्टतया कहा था कि "खंड 2 विधेयक का अंग बने।" यह रिकार्ड में है। जहां तक संशोधन संख्या 2 का प्रश्न है उस पर विचार नहीं किया गया। अतः सभापति महोदय ने जब यह कहा कि "खंड 2 विधेयक का अंग बने" तो उनका ऐसा कहना न्यायोचित था। संशोधन संख्या 2 पर मतदान नहीं हुआ और इस पर जोर भी नहीं दिया गया। सदस्यों को अध्यक्ष पीठ का आदर करना चाहिये और उनको गुमराह नहीं करना चाहिये।

सभापति महोदय : इस बारे में मेरा विनिर्णय यह है कि संशोधन संख्या 2 अवरुद्ध है ।

मैंने कहा था कि "खंड 2 विधेयक का अंग बने" यह रिकार्ड में है ।

अब प्रश्न यह है कि :

खंड 3, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 3, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 3, Clause 1, the Enacting Formula and the title, were added to the Bill

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक को पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 30 मार्च, 1970 को पास किए गए पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1970 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 30 मार्च, 1970 को पास किये गए पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1970 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 28 मार्च, 1970 को पास किये गये विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1970 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(चार) कि लोक-सभा द्वारा 28 मार्च, 1970 को पास किये गए विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1970 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

अनुदानों की मांगें--1970-71
DEMANDS FOR GRANTS—1970-71

गृह-कार्य मंत्रालय

सभापति महोदय : सभा अब गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग संख्या 42 से 56, 121 और 122 पर विचार तथा मतदान करेगी ।

कटौती प्रस्ताव कल तक सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

सभापति महोदय द्वारा, गृहकार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे वर्ष 1970-71 के लिये प्रस्तुत की गईं

The following Demands in respect of Ministry of Home Affairs for the year 1970-71 were put.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	गृह-मंत्रालय	
		रुपये
42	गृह-मंत्रालय	1,54,04,000
43	मंत्रि मंडल	61,38,000
44	न्याय प्रशासन	2,12,000
45	पुलिस	57,56,74,000
46	जनगणना	5,23,17,000
47	अंक संकलन	3,47,83,000
48	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	1,13,000
49	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशने	24,01,000
50	दिल्ली	42,69,68,000
51	चंडीगढ़	6,62,33,000
52	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	7,76,15,000
53	आदिम जाति क्षेत्र	23,13,04,000
54	दादर और नगर हवेली क्षेत्र	57,05,000
55	लक्कदीप, मिनीकोय और अमीनदीव द्वीप समूह	1,11,00,000
56	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	10,96,58,000
121	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	22,07,56,000
122	गृह-मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,77,50,000

सभापति महोदय : श्री पाटिल

श्री स० क० पाटिल (बानसकंठा) : सभापति महोदय मैं सभा का कुछ समय लूंगा.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल आरम्भ करें।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 1 अप्रैल, 1970/11 चैत्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 1, 1970/Chaitra 11, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—18-8-70—340